ISSN: 3139-5260

BJAR (https://bjar.in) | October-December | 2025 | Volume-1 | Issue-2

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

An International Open Access,
Quarterly Peer Reviewed,
Referred Journal of Academic Research

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

BJAR

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च

Bundelkhand Journal of Academic Research

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English)
International Journal of Academic Research

Year: 2025 **Quarter: October-December** **Volume: 01**

प्रधान संपादक
Editor-in-Chief
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'
Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan'
E-mail: gayatripublication2025@gmail.com

2

प्रबंध संपादक
Managing Editor
बृजेन्द्र सिंह
Brijendra Singh
E-mail: gayatri.kbs@gmail.com

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर का संपादक मंडल
(Editorial Board of the BJAR)

Dr. Ajay Singh, Professor, Department of Management & Information Systems, College of Business Administration, University of Hail: **Saudi Arabia,** E-mail: a.singh@uoh.edu.sa

Dr. Sunil Kumar, Professor (Sociology), Department of Sociology, Kurukshetra University, Thanesar: **Haryana.**
E-mail: sksoc@kuk.ac.in

Dr. Andrew T. Kugedera, Agriculture and Research, Morgenster Teachers College Morgenster, Masvingo: **Zimbabwe**
E-mail: kugederaandrew48@gmail.com

Dr. N. K. Gupta, Professor & Director (PM&E), Department of Basic Science, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: nkgupta.pphy@sknau.ac.in

Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: mukeshkumar@gtgdc.org

Dr. Atul Kumar Kushwaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: atulkk2008@gtgdc.org

Dr. Siddhant Chaturvedi, Assistant Professor, Department of Botany, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: siddhantau1@gtgdc.org

Mr. Ram Lakhan Research Scholar, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: potteras9125@gmail.com

Dr. Sanjaya Acharya, Professor, Department of Economics, Tribhuvan University Kirtipur; Kathmandu: **Nepal.**
E-mail: sanjaya.acharya@cdec.tu.edu.np

Dr. Bhupendra Kumar, Professor, Amity Business School, Amity University, Gwalior: **Madhya Pradesh.**
E-mail: bkumar@gwa.amity.edu

Dr. Shambhu Nath Singh, Professor, Institute of Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi; **Uttar Pradesh.** E-mail: drsnsingh@bujhansi.ac.in

Dr. Rajesh Kumar Pal, Principal, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.rajeshkumar@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: amitkumarsingh@gtgdc.org

Dr. Sonu Jain, Assistant Professor (Agricultural Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sonujain.ageco@sknau.ac.in

Dr. Rachit Jaiswal, Assistant Professor, Department of Commerce, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: rachitjaiswal@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Yadav, Assistant Professor (Sociology), Government Degree College Pahi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: sch.amitkum58@bujhansi.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के विशेषज्ञ (Experts of the BJAR)

Dr. C. B. Singh, Professor, Department of Economics & Finance, Former Dean of Arts Faculty, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: dr.cbsingh195@bujhansi.ac.in

Dr. Girdhari Lal Meena, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan.** E-mail: glm57@rediffmail.com

Dr. Rakesh Rana, Professor, Department of Sociology, Mahanand Mission Harijan College, Gaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ranarakesh@gmail.com

Dr. B. S. Badhola, Assistant Professor, Department of Agriculture Extension Education, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: bsbadhola.ext@sknau.ac.in

Dr. Sheela Kharkwal, Assistant Professor, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sheela.ageco@sknau.ac.in

Dr. Krishna Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Dinesh Meena, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Aurobindo College, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi University: **New Delhi.**
E-mail: dmeena_comm@aurobindo.du.ac.in

Dr. Vinay Kumar Patel, Assistant Professor (History), Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vinay.net2012@gmail.com

Dr. Subhita Kumawat, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: subhita.ageco@sknau.ac.in

Dr. Uma Ratan Yadav, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: uryadav69@gmail.com

Dr. Hari Singh, Professor, Department of Agricultural Economics, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (MPUAT): **Rajasthan**.
E-mail: singhhari71@gmail.com

Dr. Onkar Nath Mishra, Assistant Professor (Sr. Grade), Department of Economics, Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, **Bihar.**
E-mail: aavirmishra@gmail.com

Dr. Mithilesh Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith University,Varanasi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.mithileshkumarsingh@gmail.com

Dr. Prahlad Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: prahladanora9@gmail.com

Dr. Ajay Singh, Assistant Professor, Department of English, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ajaysingh@gtgdc.org

Dr. Shyam Singh Gaur, Assistant Professor, Deptt. of Education & Humanities, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot: **Madhya Pradesh.**
E-mail: shyamsinghedu3@gmail.com

Dr. Dharmendra Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.dharmendrasingh67@gmail.com

Dr. Pratibha Manohar, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: pratibha.maths@sknau.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के सलाहकार (Advisors of the BJAR)

Dr. Kiran Gaur, Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: kirangaur.stats@sknau.ac.in

Durgesh kumar Shukla, Principal & Professor, Government Degree College, Manikpur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: durgeshshukla70707@gmail.com

Dr Vinod Kumar, Principal & Associate Professor, Government Model Degree College Piparahari, Banda, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinodkumar786@gmail.com

Dr. Manjri Damele, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: manjridamele@gmail.com

Dr. Gajendra Nath, Principal, Rajarshi Purushottam Das Tandon Government Post Graduate, Lalitpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: gajendranath11@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: mksharma.stats@sknau.ac.in

Dr. Virendra Pratap Chaurasia, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College Kalpi, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: virendraauphd@gmail.com

Dr. Maneesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, D.D.U. Gorakhpur University Gorakhpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: maneeshkumar61@gmail.com

Dr. Brijendra Singh Boudh, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**.
E-mail: dr.bsboudha1999@gmail.com

Dr. Vinay Kumar Chaudhary, Professor & Principal, Government Degree College, Mathura, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vkc2014eng@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sandeepsps@gmail.com

Dr. Heeralal, Principal, Government Degree College, Ganeshpura, Babina Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**. E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Sachendra Kumar, Principal, Fundi Singh Launa Government Post Graduate College, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sachendra877@gmail.com

Dr. Ravindra Singh Shekhawat, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR), Karnal: **Haryana.**
E-mail: ravindra.shekhawat@icar.org.in

Dr. Jay Prakash Singh, Assistant Professor, Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: jayprakash7619@gmail.com

Dr. Ashutosh Kumar Shukla, Assistant Professor, Department of Political Science, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ashutoshshukla0907@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के समीक्षक (Reviewers of the BJAR)

Dr. Mahendra Singh, Assistant Professor (Economics), Veerabhumi Government PG College Bhatipura, Mahoba: **Uttar Pradesh.**
E-mail: mahendrasinghalld1990@gmail.com

Dr. Brijesh Kumar Pal, Assistant Professor (Hindi), Dr. B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: brijeshjaishree@gmail.com

Dr. Sanju Kumawat, Assistant Professor, Department of Agriculture, University School of Agriculture Science, Rayat Bahra University, Mohali: **Punjab.**
E-mail: sanju.19117@rayatbahrauniversity.edu.in

Dr. Deepak Gupta, Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Pulses, Pearlmittet, College of Agriculture, Fatehpur Shekhawati, Sikar, **Rajasthan.**
E-mail: deepakgupta.pbg@sknau.ac.in

Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, Library Science, Dr. S. R. Ranganathan Institute of Library and Information Science, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinoddlis79@gmail.com

Dr. Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Government Girls Post Graduate College, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: shivkumar25678@rediffmail.com

Dr. Ramesh Chand Asiwal, Assistant Professor (Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: rcasiwalageco.coalalsot@sknau.ac.in

Dr. Sandeep Kumar Pundir, Assistant Professor, Department of Physics, University of Lucknow: **Uttar Pradesh.**
E-mail: pundir_s@lkouniv.ac.in

Dr. Shelly Gupta, Assistant Professor (Law), Vaish College of Law, Rohtak,Maharishi Dayanand University, Rohtak: **Haryana.**
E-mail: shellysushil@gmail.com

Dr. Anand Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Sitapur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: anand_smsvns@yahoo.co.in

Dr. Devendra Nath Giri, Assistant Professor, Department of History, Smt. Indira Gandhi Government PG College Lalganj, Mirzapur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: giridevendranath@gmail.com

Dr. Amita Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: singhamita1984@gmail.com

Dr. Veer Pratap Singh, Assistant Professor (Botany), Maharani Lal Kunwari (MLK) PG College, Balrampur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvpsingh1984@gmail.com

Dr. Ram Chiranjeev, Assistant Professor (Sociology), Chaudhary Mahadeo Prasad (CMP) Degree College, Prayagraj,University of Allahabad, **Uttar Pradesh.**
E-mail: chiranjivpal75@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)

Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR)

वर्ष: 01	त्रैमासिक: अक्टूबर-दिसंबर, 2025	वॉल्यूम-01	अंक-2
Year: 01	**Quarterly: October-December, 2025**	**Volume-01**	**Issue-2**

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल

(A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research)

प्रारंभिक वर्ष: 2025 **The Starting Year:** 2025

प्रकाशन: सुरेन्द्र कुमार (महासचिव), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Publisher: Surendra Kumar (General Secretary), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

मुद्रक: गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Printer: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

टिप्पणी: सभी प्रकार के भुगतान 'बीजेएआर' अतर्रा के नाम से देय है।

Note: All payments are payable in the name of 'BJAR' Atarra.

2. बीजेएआर के प्रधान संपादक और संपादक के पद मानद और अवैतनिक हैं। जबकि प्रबंध संपादक का वैतनिक है।

The positions of Editor-in-Chief and Editors of BJAR are honorary and unpaid, while the Managing Editor is paid.

हमसे संपर्क करें (कार्यालय):

: सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर),गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष: +918750184716 ई-मेल: gayatripublication2025@gmail.com

: बृजेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष:+918423141082 ई-मेल: gayatri.kbs@gmail.com

Contact Us (Office):

: Surendra Kumar, Publisher, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201.
Telephone: +91-8750184716, Email: gayatripublication2025@gmail.com

: Brijendra Singh, Managing Director, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201
Telephone: +91-8423141082 Email: gayatri.kbs@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार (महासचिव, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रित करवाकर प्रकाशित। प्रबंध संपादक: बृजेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश:210201

Note: The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary Disputes, if any shall be decided by the court at Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

Bundelkhand Journal of Academic Research

वर्ष: 01 त्रैमासिक: अक्टूबर-दिसंबर, 2025 वॉल्यूम-01 अंक-2

Year: 01 Quarterly: October-December, 2025 Volume-01 Issue-2

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

01. भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन 1-12
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन', डॉ. अमित कुमार सिंह

02. भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का एक अध्ययन 13-19
चंदा देवी, डॉ. निर्मला सिंह

03. चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन 20-34
वैभव कुमार, डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

04. सहकारी विकास के संदर्भ में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन 35-39
विमलेश कुमारी, डॉ. रश्मि पाण्डेय

05. चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन 40-51
प्रतीक कुमार, डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

06. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका का अध्ययन 52-54
सुरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र कुमार कुशवाहा

07. A Study of the Impact of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) 55-64
Shiv Kumar, Dr. Vinod Kumar

08. A Comparative Study of Women's Empowerment: India, the United States, the European Union, and China 65-71
Dr. Umesh Gautam, Prof (Dr.) Bhupendra Kumar

09. The Biogeochemical Differentiation and Movement of Arsenic within Groundwater Aquifers Amid Fluctuating Redox States 72-78
Madhubala Sarojny

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], डॉ. अमित कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424678

सारांश

पिछले 78 सालों में भारतीय महिलाओं की स्थिति में घर की चारदीवारी से बोर्ड रूम तक बदलाव आया है। महिलाएं अब 'सहनशील' से 'निर्णायक' बन रही हैं। वो त्याग भी कर रही है और चुनाव भी कर रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति तेजी से बदल रही है। शिक्षा, कानूनी अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकालकर निर्णय लेने की क्षमता दी है। वे कॉर्पोरेट जगत, राजनीति, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की साक्षरता दर में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में लड़कियों का नामांकन तेजी से बढ़ा है, जिससे वे अधिक जागरूक और मुखर हुई हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों में कमी आई है। समाज में महिलाओं की गरिमा को स्वीकार किया जा रहा है और एकल परिवार प्रणाली ने महिलाओं को घर में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया है। संपत्ति में समान अधिकार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों ने महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान किया है। महिलाएं पारंपरिक नौकरियों से आगे निकलकर कॉर्पोरेट नेतृत्व, स्टार्ट–अप, तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। वे अब केवल आश्रित नहीं, बल्कि परिवार की मुख्य आर्थिक स्तंभ हैं। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन अब परिवारों में लिंग आधारित श्रम विभाजन टूट रहा है। आज महिलाएं परंपराओं को ढोने के साथ–साथ आधुनिक मूल्यों का भी संतुलन बना रही है। तकनीक भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी को नए सिरे से लिख रही है, उन कक्षाओं से लेकर जहाँ लड़कियाँ रोबोटिक्स सीखती हैं, उन गाँवों तक जहाँ माताएँ टेलीमेडिसिन का उपयोग करती हैं, और जन धन खातों तक जहाँ सीधे महिलाओं के हाथों में रुपया जाता है। समावेशी रूप से डिजाइन किए जाने पर डिजिटल उपकरण जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव, कार्यबल में भागीदारी का कम अनुपात और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह शोध पत्र भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करता है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 24 अक्टूबर, 2025 **स्वीकृत:** 30 नवंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 40

मुख्य शब्द: भारतीय नारी, परंपरा परिवर्तन, तकनीकी सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी का औचित्यपूर्ण स्थान रहा है। नारी अपनी सृजनशीलता और कलात्मक प्रवृत्तियों से नर की सृष्टि को पूर्णता प्रदान करती आ रही है। 'नारी' शब्द 'न' धातु से नहीं, बल्कि 'नर' शब्द से बना है, जो कि स्वयं 'नृ' धातु से उत्पन्न हुआ है। 'नर' शब्द का अर्थ है वीर, नेता, गति करने वाला या क्रियाशील व्यक्ति और 'नारी' इसी का स्त्रीलिंग रूप है।

वेदों में नारी के गौरव का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। एक स्थान पर नारी को ब्राह्मण कहा गया है कि वह स्वयं विदुषी होते हुए अपनी सन्ता को सुशिक्षित बनाती है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठाता है ("स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ"—ऋग्वेद 8।33।19)। वेदों में नारी का गौरवमय स्थान इससे भी ज्ञात होता है कि नारी को ही घर कहा गया है अर्थात् घर, घर नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है। गृहिणी के द्वारा ही गृह का अस्तित्व है (जायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनि स्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु।।—ऋग्वेद 3।53।4)। यजुर्वेद में नारी पर कई श्लोक हैं, जो उसकी गरिमा को दर्शाते हैं कि हे नारी! तू महाशक्तिमती है। तू सुव्रती संतानों की माता है। तू भरपूर क्षात्रबल से युक्त है (मंहीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम। तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशर्माणमदितिं सुप्रणीति।।—यजुर्वेद 21।5)। इसी प्रकार, तुम सन्तान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना, स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है (स्वैर्दक्षैर्दक्षपितेह सीद, देवानाऽसुम्ने बृहते रणाय"—यजुर्वेद14।3)। इस तरह वेद स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देते हैं अर्थात वैदिक काल में महिलाओं को समाज में समान व महत्वपूर्ण स्थान तथा सम्मान प्राप्त था।

वेदों की ही तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नारी का गौरव वर्णित है। यहाँ नारी को सावित्री कहा गया है ("स्त्री सावित्री" जैमिनीय उप. ब्रा. 25।10।17)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे आत्मा का अर्द्धांश बताया है ("अर्धो वा एष आत्मनः यत पत्नी" तैत्तिरीय ब्राह्मण 3।3।3।5)। इसी में एक अन्य स्थान पर बताया गया है कि नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है, इसलिए सपत्नीक यज्ञ करें ("अयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः" तैत्तिरीय ब्राह्मण 2।2।2।6)। यही नहीं शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना जीवन अधूरा है ("यावत् जयाँ न विन्दते, असर्वो हि तावद् भवति" शतपथ ब्राह्मण 5.2.1. 10)। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री के अपमान को निन्दनीय माना गया है ("न वै स्त्रियं हनन्ति"। शतपथ ब्राह्मण 11.4.3.2)। तैत्तिरीय के अनुसार पत्नी गृहलक्ष्मी है, साक्षात श्री है ("श्रिया वाएतद् रुप्यं यत् पत्नयः" तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.9.4.7)। उपनिषदों ने भी नर और नारी में कभी भेद किया ही नहीं। उन्होंने नर और नारी दोनों में ही एक ही तत्व का अस्तित्व, एक ही चेतना की छाया देखी है।

स्मृतिकारों ने नारी को विशेष सम्मान दिए हैं। मनु का कहना है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देव निवास करते हैं। जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ प्रगति, उन्नति की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ("यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः।"—मनुस्मृति 3।56।8)। वृहत्संहिता में कहा गया है कि सत्यवती स्त्री अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से सहस्रों पुरुषों का उद्धार यानि श्रेष्ठता की दिशा का मार्गदर्शन करती है ("पुरुषाणाँ सहस्रं च सती स्त्री समुद्धेरत"—वृहत्संहिता)। व्यास संहिता में कहा गया है कि पत्नी के प्राप्त होने के पूर्व तक पुरुष अधूरा है ("यायन्त विन्दते जायाँ, तावदर्धोभवेतपुमान"—व्यास संहिता)।

अन्य शास्त्रकारों की ही भाँति पुराणों में भी नारी की गरिमा का उल्लेख है। मार्कण्डेय पुराण में समस्त स्त्रियाँ और समस्त विधाएं देवी शक्ति का ही स्वरूप माना गया है (विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु॥—मार्कण्डेय पुराण)। तन्त्रशास्त्र के प्रणेता तो शक्ति के उपासक ही रहे हैं। यही कारण है कि उनकी नारी के प्रति श्रद्धा, पुराणकारों से भी कहीं अधिक मुखर ढंग से अभिव्यक्त हुई है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि स्त्री पुरुषों की धार्मिकता है ("नृधर्मान् नारी, नरस्यापि नारी" महाभाष्य 4।4।9)। आचार्य यास्क के मत में स्त्री का स्त्रीत्व उसके लज्जाशील होने में ही है ("स्त्रियः स्त्यायन्ते अपत्रपणकर्मणः" निरुक्त 3।21।2)। ऐसा अर्थ आचार्य दुर्ग ने भी निरुक्त की टीका में लिखा है कि लज्जार्थस्य लज्जन्ते अपि ताः अर्थात् वे लजाती हैं, इसलिए स्त्री हैं। भाष्यकार के मत में 'गुणानां स्त्यानं स्त्री' अर्थात् शब्द, स्पर्श, रुप, रस एवं गन्ध आदि सबकी खान है स्त्री। नारी के लिए प्रयुक्त 'स्त्री' शब्द जितना अधिक व्यापक है, उतना ही अधिक प्रचलित भी है। यह स्त्री शब्द आज भी भारत की लगभग सभी भाषाओं में अपना स्वरूप किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित नारी की विशिष्टता का आधार उसकी अन्तर्निहित क्षमता एवं सद्गुण सम्पत्ति है, जिसे प्राचीन भारत में विकसित होने के संपूर्ण अवसर थे। यही नहीं प्राचीन पूर्वजों के मन में उसके लिए भरपूर सम्मान और समता की भावना थी। इसलिए नारी की वर्तमान उपेक्षित स्थिति के लिए वेद, शास्त्र, पुराण आदि को दोष देकर अर्थहीन विवाद खड़े करते रहने और ठोस कार्य कुछ न करने के स्थान पर जरूरत इस बात की है कि नारी को पुनः वैसा ही सक्षम, समर्थ बनाया जाए, जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है।

उपर्युक्त अनुशीलन के साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन नारी की स्थिति का परिचय सही रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वेदों में वर्णित समाज में स्त्री—पुरुष में किसी भी प्रकार के विभेद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अनेक वैदिक मन्त्रों से वेदों में भावनात्मक दृष्टि से भी नारी का समान रूप से आदर का भाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक मनीषियों ने नारी शिक्षा के महत्व के साथ—साथ नारी के लिए सभी क्षेत्रों में भी समानता के अधिकार की बात कही है। नारी के शिक्षा, धर्म, विवाह, राजनीति एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता की चर्चा वेदों में की गयी है, जिन्हें विभिन्न उदाहरणों से समझा जा सकता है।

प्राचीन भारत में नारी को अध्ययन–अध्यापन में समान अधिकार प्राप्त था जैसा कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है कि "देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः। भीमा जाया ब्राह्मस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्।।"(ऋग्वेद–10।109।41), "ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम" (अथर्ववेद–11।5।18) और "अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी" (ऋग्वेद–10।159।2) अर्थात् ब्रह्मचर्य सूक्त एवं ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करके ही विवाह करे, वह ज्ञानवती एवं शत्रुनाशिका हो। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती, आत्रेयी एवं अनुसूया सदृश नारियों का अस्तित्व इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वैदिक काल में नारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

प्राचीन भारत में नारी को विवाह की स्वतन्त्रता थी, जैसाकि ऋग्वेद में कहा गया है कि नदियां जैसे स्वयं समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार कन्याएं भी युवक का वरण करती हैं ("युवतयो युवानं परिसन्त्यापः" ऋग्वेद–2।35।4)। प्राचीन भारत में नारी को श्रवण एवं वाचन का अधिकार भी था कि "गुहा चरन्ती मनुषो न योषा समावती विद्यायेव संवाक्" (ऋग्वेद–1।167।3) और "आ विदथमावदासि" (अथर्ववेद–14।1।21) अर्थात् स्त्री स्वयं रथ का चयन, उस पर आरोहण कर संस्थाओं में श्रोत्री एवं वक्त्री के रूप में स्वतंत्रतया अधिकारिणी है।

प्राचीन भारत में नारी को राजनीति में समान अधिकार प्राप्त था, जैसाकि यजुर्वेद में कहा गया है कि राजा के समान नारियों की भी राजकार्य में सहभागिता होनी चाहिए (यजुर्वेद–13।18)। न्याय व्यवस्था में भी वह समान रूप से भाग ले सकती हैं (यजुर्वेद–13।7)। वहीं सोलहवें अध्याय के चवालीसवें मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि शूरवीर स्त्रियों की भी सेना होनी चाहिए और उन्हें भी युद्ध करना चाहिए (यजुर्वेद–16।44)। ऋग्वेद के एक मन्त्र में स्त्रियों की सेना का उल्लेख प्राप्त होता है ('स्त्रिया हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेनाः' ऋग्वेद–5।10।9)।

प्राचीन काल से नारी मातृशक्ति की प्रतीक रही है। वैदिक काल के समकालीन शास्त्रों में भी नारीशक्ति का महान गौरव दृष्टिगोचर होता है। 'मातृदेवो भव', 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' (मनुस्मृति–3।56।8) इत्यादि सूक्तियों का संदेश रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों पर दृष्टि डालें तो यही प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रकार के चिंतन का केंद्र बिन्दु नारी ही रही है, जैसे आचार अध्याय में ब्रह्मचारी प्रकरण में स्त्री संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है। विवाह प्रकरण में कन्या लक्षण, कन्यादान, ब्राह्मविवाह, कन्याहरण दण्ड, व्यभिचार, पतिव्रता स्त्री, स्त्री कर्तव्य, स्त्री धर्म इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गयी है। व्यवहार अध्याय में नारी से संबंधित स्त्री संग्रहण आदि अनेक पक्षों का विश्लेषण किया गया है।

2. महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति : द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल देश में बौद्ध और जैन के उदय का दौर था, जिसमें महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन पर गौर करें तो बौद्ध काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में मिश्रित परिवर्तन हुए हैं। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को मठों में प्रवेश और निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार देकर आध्यात्मिक समानता प्रदान करने के बावजूद पारंपरिक विवाह और परिवार की भूमिका कायम रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के समान शैक्षिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। इस दौर में महिलाओं को कुछ हद तक शिक्षा का अवसर मिला, लेकिन यह पुरुषों के बराबर नहीं था और उन्हें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में समान स्वतंत्रता नहीं थी। विवाह और परिवार को बनाए रखना महिलाओं का मुख्य कार्य बना रहा। कुछ साक्ष्यों से बाल विवाह प्रचलित प्रतीत होता है, लेकिन परिपक्व और विलंब विवाह भी होते थे। कुछ महिलाएं, विशेषकर राज परिवारों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थीं। उदाहरण के लिए, सातवाहन रानी नयनिका और वाकाटक राजकुमार प्रभावती ने अपने नाबालिग पुत्रों की ओर से शासन किया। इस दौरान विशाखा जैसी महिलाएं अपनी दानशीलता के लिए प्रशंसित हुई हैं। चीनी यात्रियों के अनुसार, 7वीं शताब्दी में महिलाओं के मठ मौजूद थे, जो उनकी सामाजिक भूमिकाओं के विस्तार को दर्शाता है। हालांकि, बौद्ध साहित्य में महिलाओं के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण थे। एक ओर उन्हें 'पाप' और 'दुष्ट' के रूप में चित्रित किया गया, दूसरी ओर, उन्हें 'शुभ' और 'निस्वार्थ' के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में कुछ प्रतिबंध बने रहे, जो कुछ भिक्षुणियों की दुर्दशा और उनकी कुछ मांग पर बुद्ध के पुनर्विचार से स्पष्ट होता है।

जैन काल में महिलाओं के सामाजिक परिवर्तनों में उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और भागीदारी में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें साध्वी बनने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने का अवसर मिला। उन्हें विवाह स्वीकार करने या ब्रह्मचर्य का पालन करने की स्वतंत्रता थी, उन्होंने धार्मिक कार्यों में भी योगदान दिया। हालाँकि, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और भिक्षुणियों से जुड़ी कुछ सीमाओं के कारण पूर्ण समानता नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में भिक्षुओं से कमतर माना जाता था। जैन संघ की संरचना में भिक्षुणियों को पुरुषों के समान सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें कुछ मामलों में भिक्षुओं से कमतर माना जाता था। हालांकि भिक्षुणियां इकाइयों की प्रमुख हो सकती थीं, फिर भी वे आचार्यों के प्रति उत्तरदायी थीं। धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के बावजूद, भिक्षुणियों को अक्सर पुरुष सहकर्मियों का सम्मान करना पड़ता था। शिक्षित होने के बावजूद, कई गृहस्थ जैन महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पति पर

निर्भर रहना पड़ता था। जैन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल नहीं हुई। जहाँ उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था और कुछ रूढ़िवादी सोच के कारण उन्हें कई सीमाओं का सामना करना पड़ा है। इस तरह, महाजनपद काल में देश में सामान्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक भूमिकाओं में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ है।

3. उत्तर प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति : मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति में सामाजिक परिवर्तन संतोषजनक था, जिसमें उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की आयु 12 वर्ष और पुरुष की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। दहेज प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्वतंत्र जीवन जीने वाली विधवाओं को 'छंदवासिनी' और धनी विधवाओं को 'आढय' कहा जाता था। प्रशासनिक भूमिकाओं में स्त्रियाँ गुप्तचर के रूप में भी काम करती थीं, जिन्हें 'कूटनी' कहा जाता था। सम्राट की अंगरक्षिका के रूप में भी महिलाएँ कार्य करती थीं। गणिकाओं को राजकोष का हिस्सा माना जाता था और उनकी फिरौती की राशि 24000 पण निर्धारित थी। गणिकाओं को गायन और नृत्य जैसी कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। मौर्य काल में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। कुछ शर्तों के साथ, उन्हें उत्तराधिकार का भी अधिकार था जैसे यदि पति की मृत्यु पुत्रहीन अवस्था में होती थी, तो विधवा को अपने पति की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था। बेटियों को भी विधवा की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार था। इस तरह, मौर्य युग में महिलाओं के अधिकार उनके वर्ग और स्थिति पर निर्भर करते थे। महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी, उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी और समाज में उनका सम्मानजनक स्थान था। समकालीन लेखक मेगस्थनीज के अनुसार, भारत में गुलामी की कोई अवधारणा नहीं थी।

गुप्त और गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जहाँ शिक्षा, सामाजिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध बढ़ गए। महिलाओं की आर्थिक आजीविका के लिए पुरुषों पर निर्भरता बढ़ी, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हुई। स्त्रीधन (जैसे आभूषण, उपहार) के अलावा, अचल संपत्ति पर अधिकार बहुत सीमित था। कई कानूनों ने उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना, विशेषकर विवाहित पुत्रियों को। इस दौर में शिक्षा का स्तर गिरा और महिलाओं को मुख्यतः घरेलू कामों तक सीमित कर दिया गया। विवाह में दहेज प्रथा की व्यापकता देखी गई। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसा कि ऐरण में भानुगुप्त के शिलालेख से पता चलता है। नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था कमजोर हुई है। इस काल में प्रभावती गुप्ता जैसी महिलाएँ भी थीं, जो राजनीतिक शक्ति रखती थीं और सामाजिक मानदंडों को तोड़ सकती थीं। लेकिन उच्च वर्गों की महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय थी। जबकि निम्न वर्णों की महिलाओं को आजीविका कमाने की स्वतंत्रता थी, जो उच्च वर्णों की महिलाओं के पास नहीं थी। कुछ महिलाएँ धर्म परिवर्तन कर सकती थीं, जैसा कि गहडवाल शासक की पत्नी कुमार देवी बौद्ध बनीं थी।

4. पूर्व मध्य काल में महिलाओं की स्थिति : पूर्व मध्यकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत गिरावट आई, जिसमें सती प्रथा, बाल–विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं बढ़ीं, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। इस दौर में संभ्रांत परिवारों में विधवाओं को पति के साथ सती होने के लिए मजबूर करने के साक्ष्य मिलते हैं, और कुछ परिस्थितियों में महिलाओं ने जौहर किया है। मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशियों के डर से बाल–विवाह को बढ़ावा मिला, जिससे कम उम्र में ही बालिकाओं के विवाह हो जाते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशियों के आगमन के बाद पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा (जहां मुसलमानों का प्रभाव नहीं था, वहाँ स्त्रियाँ पर्दे का पालन नहीं करती थी। गौरी शंकर ओझा, मध्यकालीन, भारतीय संस्कृति, पृष्ठ–54, जवाहर लाल नेहरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पृष्ठ–242), जिससे महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम हो गई। दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा, जो बाल–विवाह और कन्या–हत्या जैसी कुप्रथाओं का कारण बना। तलाक की प्रथा प्रचलित हुई और वेश्यावृत्ति भी एक सामाजिक समस्या बन गई थी। परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक भूमिकाएं काफी सीमित हो गई। बाल–विवाह और पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट आई, जिससे महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने जैसे अधिकार भी नहीं रहे। कुछ महिलाएं रानी और शासक बनीं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, पुरुष–प्रधान समाज के कारण यह बहुत कम महिलाओं तक ही सीमित था। प्रारंभिक मध्यकाल में महिलाओं के पास महत्वपूर्ण भूमि अधिकार थे। कुछ मामलों में पति की मृत्यु के बाद विधवा को उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल जाता था। लेकिन इस दौर में भूमि और संपत्ति के अधिकार भी सीमित हो गए।

5. मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति : मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उनमें प्रथागत बुराइयों के पनपने के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह और सती प्रथा का

प्रचलन बढ़ा, जिससे महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को शिक्षा के अवसरों से दूर रखा गया, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। महिलाओं पर कई धार्मिक और सामाजिक बंधन थे, जैसे कि पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, जो उनके जीवन को कठिन बना देते थे। इसके बावजूद कुछ महिलाओं ने राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भक्ति आंदोलन ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। चाँद बीबी, रानी दुर्गावती और नूरजहाँ ने भी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कई महिलाओं ने साहित्यिक योगदान दिया, जैसे कि मुगल राजकुमारियों ने लेखिका के रूप में योगदान दिया। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया, जिससे उनकी सामाजिक पहचान मजबूत हुई। मीराबाई जैसी महिला संत कवयित्रियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर और गुरु नानक जैसे गुरुओं ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के सिद्धांत का प्रचार किया और महिलाओं को धार्मिक संस्थानों में नेतृत्व करने की अनुमति दी।

मराठा काल में महिलाओं की सामाजिक भूमिकाओं में परिवर्तन दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों के बीच थे। एक ओर, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। दूसरी ओर, जीजाबाई जैसी शक्तिशाली शासक महिलाओं का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ने भी महिलाओं की धार्मिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस तरह, मध्यकालीन भारत में सामान्य महिलाओं को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन बाधाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका ने उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और भक्ति आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों ने भी उनकी स्थिति को सुधारने में मदद की है।

6. ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति : ब्रिटिश काल में समाज के संभ्रांत परिवारों में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन था, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को सीमित करती थीं (दिवेदी, 2020)। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और वे प्रायः अशिक्षित थीं। महिलाओं में साक्षरता दर इतनी कम थी कि लगभग 100 में से सिर्फ एक महिला ही पढ़–लिख सकती थी। शिक्षा की कमी और पुरुषों के मुकाबले कम वेतन ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। उनकी पहचान मुख्य रूप से परिवार की सीमाओं तक सीमित थी। रूढिगत प्रथाएँ महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता को बुरी तरह सीमित करती थीं। संभ्रांत परिवारों में पति के मरने पर विधवा को उसके साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, एक गंभीर सामाजिक समस्या थी, हालांकि यह कुछ विशेष जातियों, संभ्रांत परिवारों और क्षेत्रों तक ही सीमित थी। विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं के काम करने के अवसर कम थे और यदि उन्हें काम मिलता भी था, तो उनका वेतन पुरुषों से बहुत कम होता था। इस तरह, ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। शिक्षा की कमी और पुरुषों के मुकाबले कम वेतन ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। हालांकि, ब्रिटिश काल में समाज सुधारकों और ब्रिटिश शासन के प्रयासों से इन कुप्रथाओं को खत्म करने की शुरुआत हुई।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए गए। इस दौरान महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला और सुधार आंदोलनों ने भी महिला अधिकारों और सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी सुधारों जैसे कि संपत्ति के अधिकार और विवाह कानून में बदलाव किए गए, जिससे महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया, जिससे महिलाओं को अपनी जान देने से रोका गया। बाल विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधारकों ने प्रयास किए, हालांकि इसका उन्मूलन नहीं हो सका। विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई संगठन बनाए गए, जिनमें विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं, जिसमें बालिका विद्यालयों की स्थापना और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था। इस दौर में महिला भारतीय संघ जैसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 के विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम ने महिलाओं को अपनी संपत्ति का मालिक बनने का अधिकार दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) ने विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया, जिससे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। अधिनियम ने विवाह और तलाक से संबंधित कुछ कानूनों में सुधार किया, जिससे महिलाओं को कुछ हद तक कानूनी अधिकार मिले। विशेष विवाह अधिनियम (1872) ने अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की, जिससे लोगों को पारंपरिक सामाजिक सीमाओं से परे विवाह करने की स्वतंत्रता मिली। महिलाओं ने धीरे–धीरे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई महिला संगठनों ने

मताधिकार जैसे अधिकारों की मांग की। महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का एक नया मार्ग था।

औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों की दिशा में काम किया। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का काल था। इस अवधि में ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में विभिन्न सामाजिक सुधार नीतियों की शुरुआत की, जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक थीं। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा। उदाहरण के लिए, सती प्रथा उन्मूलन (1829), विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), और बाल विवाह के खिलाफ कानूनी पहलें, महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम थे (शर्मा, 2019, गुप्ता, 2020)। दूसरी ओर, ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने भारतीय महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं और संरचनाओं को चुनौती दी, जिससे मिश्रित परिणाम सामने आए (कुमार, 2021)। हालांकि, इन सुधारों के सीमित दायरे और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुँच की कमी के कारण इनका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं था।

7. आजादी के बाद नारी सशक्तिकरण : आजादी के बाद भारत में नारी सशक्तिकरण एक लंबी और निरंतर चलने वाली यात्रा रही है। कानूनी अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कार्यक्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया और बहुविवाह पर रोक लगाई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए।

महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को विकास और अधिकारिता के विविध आयामों में शक्तिशाली बनाने से है। इसमें वे स्थितियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनसे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं, अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में उनके अधिकार एवं स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। नारी ने अपने सद्व्यवहार, त्याग, आचरण और निर्माण शक्ति से परिवार एवं समाज को प्रभावित कर सदा सन्मार्ग दिखलाया है। नारी सदैव मनुष्य के लिए पथ–प्रदर्शिका रही है। हमारी सांस्कृतिक विशिष्टताएं समाज में सर्वदा नारी का एक सम्मानित स्थान देती रही हैं। हमारी इतनी विस्तृत एवं विश्व प्रसिद्ध संस्कृति होने के उपरान्त भी जब नारी उत्थान की बात चलती है तो अनायास ही मस्तिष्क में यह प्रश्न उभरता है कि सृष्टि के प्रारम्भिक काल में जब नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, तो क्या कभी नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय भी रही होगी। वास्तविकता यह है कि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों में भी अन्तर आया है। एक समाज में किसी व्यक्ति विशेष को उच्च स्थान प्राप्त होता है, वहीं दूसरे परिवेश में वही व्यक्ति निम्न स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, यही स्थिति नारी की भी हुई है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि देश में लम्बे अतीत से लैंगिक असमानता और समाज में पुरुष की प्रधानता रही है। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा दबाया जाना, उनके प्रति की गयी विविध प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव जैसे देवदासी, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह आदि प्रतिगामी परम्पराओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत पतित किया है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। भेदभावपूर्ण विधानों के साथ ऐसी कुप्रथाओं का कारण पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता रही है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर की ओर ले आता है, जो देश की विकास प्रक्रिया को समावेशी और प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी बनाता है अर्थात को पीछे की ओर धकेलता है।

7.1. महिलाओं में तकनीकी सशक्तिकरण: पिछले दशकों में तकनीक और डिजिटलीकरण की प्रगति ने हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित किया है। इसने विशेष रूप से भारत में महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान किए हैं। भारत के तकनीकी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है, जो यह दर्शाती है कि समय के साथ बढ़ते सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विकास पर केंद्रित रणनीतियों ने महिलाओं को मजबूती प्रदान की है। विशेषज्ञ स्टाफिंग कंपनी एक्सफेनो के अनुसार, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर पूर्णकालिक हाइब्रिड (रिमोट वर्किंग, वर्क–फ्रॉम–होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल) नौकरियों के केंद्र बन गए हैं, जो ऐसे अवसरों का 39 प्रतिशत हिस्सा हैं। इन वर्किंग मॉडलों को अपनाने

वाले प्रमुख क्षेत्रों में आईटी सेवाएँ, तकनीकी स्टार्टअप, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर विकास और बैंकिंग शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से उपलब्ध कुल हाइब्रिड नौकरियों के 38 प्रतिशत का योगदान करते हैं। यह बदलाव काम की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हुए नौकरी के अवसरों तक अधिक लचीलापन और पहुँच प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हाइब्रिड कार्य मॉडल महिलाओं को पारंपरिक, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं की तुलना में अपने समय के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण कारक महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करके कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बेन एंड कंपनी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटलीकरण की लहर कार्यबल की गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और महिलाओं के बीच सूक्ष्म उद्यमशीलता एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है। वर्तमान में 13.5 से 15.7 मिलियन महिला–स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जो सभी भारतीय व्यावसायिक उपक्रमों का प्रभावशाली 20 प्रतिशत है। यह पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह परिवर्तन डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर निर्भर करता है, क्योंकि वे महिला उद्यमियों के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम करने की क्षमता के माध्यम से समानता लाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से मोबाइल फोन का महत्व बढ़ गया है। ये न केवल महिला उद्यमियों को बाजारों से जोड़ने और बहुभाषी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अमूल्य उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि सामूहिक कार्रवाई को भी सुगम बनाते हैं। मार्गदर्शन, नए कौशल सीखने और मौजूदा कौशलों को बेहतर बनाने के कार्यक्रम महिला उद्यमियों को बदलती डिजिटल दुनिया में फलने–फूलने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षमताएँ और समझ प्रदान करके उनकी मदद करते हैं। डिजिटल परिवेश में यह निरंतर परिवर्तन वित्तीय आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करता है और एक ऐसा व्यावसायिक परिदृश्य तैयार करता है जहाँ विविधता और समावेशिता अधिक होती है।

भारत में डिजिटल क्रांति ने वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को सीखने, प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुए हैं। वित्तीय संसाधनों तक पहुँच में आसानी ने महिलाओं को उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अभूतपूर्व वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने और प्रशिक्षण के ढेरों अवसर प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं को विभिन्न वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, ई–कॉमर्स विकल्पों जैसे डिजिटल बिजनेस मॉडल के आगमन ने महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को अपेक्षाकृत आसानी से बाजार में लाने का अधिकार दिया है। सरकार ने भी महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, वाणिज्य और डिजिटल लेनदेन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) एक उल्लेखनीय पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल खाई को पाटना है, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करना, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल हैं।

भारत में तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जिसमें कार्यबल में उनकी संख्या में वृद्धि, दूरस्थ कार्य के कारण बेहतर कार्य–जीवन संतुलन, और उद्यमिता के नए अवसरों का खुलना शामिल है। सरकारी पहल और शिक्षा में प्रगति से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालाँकि, नेतृत्व के पदों पर अभी भी कुछ कमी है। भारत के तकनीकी उद्योग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 32 प्रतिशत तक पहुँच गया है। डिजिटल परिवर्तन ने दूरस्थ कार्य के अवसर खोले हैं, जिससे महिलाओं को घर से काम करते हुए पेशेवर जीवन और घरेलू जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद मिली है। सरकार और निजी क्षेत्र महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे स्टार्टअप और अन्य व्यवसायों में सफल हो रही हैं। कई क्षेत्रों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। तकनीकी और डिजिटल साक्षरता तक महिलाओं की पहुँच को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो उनकी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

7.2. ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी परिवर्तन : ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की अधीनता वर्तमान समय में भी बहुआयामी है। ग्रामीण भारत में यह अधीनता भू–स्वामित्व, उत्पादन के साधनों में भागीदारी, आर्थिक स्वावलंबन में भूमिका, परिवार के मुखिया जोकि सामान्यतः घर का उम्र में सबसे बड़ा पुरुष ही होता है या उसके न होने पर सबसे बड़ा पुत्र होता है, सामाजिक रीति–रिवाज, अंधविश्वास आदि पर टिकी हुई है। तेजी से बदल रहे समय के सापेक्ष ग्रामीण भारत वर्तमान में भी बहुत धीमें सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है। आज भी ग्रामीण परिवेश का सामाजिक ताना–बाना लिंग आधारित पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के दौर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। भूस्वामित्व, पारिवारिक रणनीति और कृषि क्षेत्र में उत्पादन की विधियों में हो रहा बदलाव ग्रामीण महिला द्वारा उसके

परिवार दिए जा रहे योगदान को बहुत प्रभावित करता है। एक ग्रामीण परिवार में सदैव ही महिला की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी रहती है और सूक्ष्म परिवर्तन भी उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। जेंडर आधारित श्रम विभाजन में महिला पति व परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल, भोजन पकाना, बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि बेहद महत्वपूर्ण परंतु गैर आर्थिक व पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से कम महत्व के काम ही करती है। ग्रामीण परिवेश में तकनीकी परिवर्तन को समझने की दृष्टि से पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखने की विशेष आवश्यकता है।

महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि संबधी गतिविधियों में सक्रिय हैं। देश के ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र ही आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इनमें से 33 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जबकि 48 प्रतिशत पारिवारिक खेती में है। हालांकि, उन्हें इन गतिविधियों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे उनकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं के पास प्रायः शिक्षा और कौशल का अभाव होता है और औसत मजदूरी के मामले में भी उन्हें असमानता झेलनी पड़ती है। स्पष्ट है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि पर ही है। किसी परिवर्तन का प्रभाव उससे संबंधित लोगों पर पड़ता ही है। कृषि पर ग्रामीण महिलाओं की अतिनिर्भरता की वजह से कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन का गहरा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ना लाजिमी है।

वर्ष 1967–68 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण वर्ष रहा और भारत को खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनाने का स्वप्न देखा गया। इस सपने को साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के प्रयोग का रास्ता चुना गया। कृषि में वैज्ञानिक अनुसंधान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुयी। इस प्रकार हरित क्रांति के दौर में प्रवेश कर समय के साथ भारत ने तकनीकी परिवर्तनों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की और यह प्रगति आज भी जारी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रयोग से भूमिहीन मजदूर, विस्थापित मजदूर, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, पर्यावरण व जैव विविधता संकट, स्वास्थ्य संकट तथा गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या को बढ़ावा दिया है। इसका प्रभाव भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर पडा है। जहां हरित क्रांति से पहले खेती में मानव संसाधन के रूप में महिलाओं, भूमिहीन किसानों व पशुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वहीं हरित क्रांति के बाद खेती में मशीनों के प्रयोग ने ग्रामीण महिलाओं, खेतिहर गरीब मजदूरों एवं पशुओं को एक झटके में ही गौण बना दिया। इससे पहले एक निर्धन परिवार में महिलाएं अपने परिवार के भरण–पोषण और जीवनयापन के लिए पारिवारिक आय में अपना अहम योगदान दे रही थीं। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण (तकनीकी परिवर्तन) के कारण ग्रामीण महिलाओं की आय के साधन कम हो जाने से उनकी परिवार निर्वहन की क्षमता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए कृषि मशीनीकरण से पहले बैलों व भैंसों का विशेष महत्व था, जो उत्पादन के साधन के साथ पशुधन के रूप में भी महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण उन्हें बेचकर नकदी प्राप्त करते थे। कृषि मशीनीकरण के बाद बैल व भैंसे पशुधन नहीं रहे और न ही उनका कोई आर्थिक लाभ रहा। उनके हिस्से के सभी काम मशीनों ने छीन लिए। अब बैलों व भैंसों को जंगली व आवारा पशु कहा जाता है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तनों ने पशुओं की दशा पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डाला है और इसका परोक्ष प्रभाव महिलाओं पर भी पडा है।

कृषि में तकनीकी परिवर्तन (मशीनों का प्रयोग होने) से बड़ी जोत के किसान पुरुष भूस्वामियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होने के कारण लाभ की कृषि जेंडर आधारित विभेदीकरण में अपनी भूमिका निभाने लगी। इसने बड़ी जोत के पुरुष भूस्वामियों के वर्चस्व को एकाएक बढ़ा दिया। बड़ी जोत के पुरुष भूस्वामी अपने परिवार की महिलाओं से कोई भी कृषि कार्य कराना अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। जहां तकनीकी परिवर्तन से पहले सभी कृषि कार्य एक समान समझे जाते थे, वहीं तकनीकी परिवर्तन के बाद कृषि कार्यों में भी लैंगिक व सामाजिक विभेद किया जाने लगा। इससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा और जातिगत भेदभाव को भी मजबूती मिली। तकनीकी परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन महिला किसान (जिनमें सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की है) सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। कृषि मशीनीकरण के बाद निम्न दर्जे के समझे जाने वाले कृषि कार्य भूमिहीन महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के हिस्से में शेष रह गए। इस कारण से भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति आर्थिक व सामाजिक दोनों ही रूप से कमजोर हुई है। देश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तकनीकी परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ा है, वहां कृषि कार्यों में महिला भागीदारी में भी गिरावट आई है। इसने ग्रामीण महिलाओं के खाली समय में वृद्धि की है और महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में महत्ता को घटाया है। जबकि कृषि में तकनीकी परिवर्तन से छोटी जोत के महिला व पुरुष भूस्वामियों पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मशीनों के उच्च दाम उनकी

पहुंच से बाहर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर सरकारी प्रयास भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं लाए हैं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए तकनीकी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। गांव में रहने वाली भूमिहीन महिला मजदूरों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति, छोटी जोत वाले कृषकों की स्थिति को तकनीकी प्रयोग ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जब मानव संसाधन की जगह तकनीकी ने ली तो इनके प्रयोग से सृजित रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हुए हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण जनित समस्याओं के कारण महिलाएं स्वयं की खेती के लिए या फिर खेती में मशीनीकरण के प्रयोग से सृजित हुए सीमित नवीन रोजगारों यथा ट्रैक्टर से जुताई, ट्रैक्टर ट्राली से माल ढुलाई, फसल कटाई के थ्रेसर इत्यादि के लिए अयोग्य थीं। इस तरह ग्रामीण तकनीकों के प्रयोग में पुरुषों का लगभग एकाधिकार है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में देश के 21 राज्यों में केवल 4 प्रतिशत महिला ड्राइवर पंजीकृत थीं, जबकि सितंबर, 2019 तक कुल ड्राइविंग लाइसेंस में केवल 6.76 प्रतिशत महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल ड्राइविंग गतिविधि मुख्यतः पुरुष गतिविधि है और ये आंकड़े संपूर्ण भारत की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2020–21 में भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) केवल 25.1 प्रतिशत थी, जोकि 2004–05 में 42.7 प्रतिशत थी। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में काफी कम है। इसके अनुसार वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के लिए एलएफपीआर 46 प्रतिशत थी।

ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार भारत में महिलाओं की एलएफपीआर 2004–05 में 42.7 प्रतिशत थी, जो कि 2021 में मात्र 25.1 प्रतिशत रह गया है। यह इस समयावधि में तीव्र आर्थिक विकास के बाद भी बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा नौकरी छोड़ने को दिखाता है। घटती महिला श्रम भागीदारी के साथ महिलाओं के आय साधनों में कमी एवं आय में असमानता को बढाती है। वर्ष 2019–20 में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60 प्रतिशत के पास नियमित वेतन और स्वरोजगार की नौकरी थी, जबकि समान आयु वर्ग की केवल 19 प्रतिशत महिलाओं को नियमित और स्वरोजगार था। शहरी क्षेत्रों में भी नियमित और स्वरोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं की आय में काफी अंतर है। पुरुषों की औसत कमाई महिलाओं की कमाई का लगभग 2.5 गुना है। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की रोजगार व आय की स्थिति का आंकलन सहज ही लगाया जा सकता है। वर्ष 2010–11 में भारत की कुल जोतों में महिला परिचालित जोतों की संख्या 12.78 प्रतिशत थी और 2015–16 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं के पास भूस्वामित्व भी बहुत कम है। चूंकि ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव अधिकांशतः कृषि में तकनीकी परिवर्तन से जुड़ा है, क्योंकि 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का साधन कृषि है, लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत (सन् 1999) से लगातार लगभग 2000 किसान प्रतिदिन कृषि व्यवसाय त्याग रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान भी घट रहा है। यह वर्ष 1951 में 60 प्रतिशत के मुकाबले घटकर अब 20 प्रतिशत से कम रह गया है, जिसके चलते कृषि की घटती महत्ता निसंदेह कृषि स्टार्टअप्स एवं उद्यम विकास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन का मिश्रित प्रभाव देखने मिल रहा है।

7.3. तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी : आंकड़े बताते हैं कि भारत के तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन नेतृत्व में अंतर बना हुआ है। भारत के तकनीकी संविदा कार्यबल में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। महिलाओं की भागीदारी 2020 में 9.51 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 27.98 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि डिजिटल बुनियादी ढाँचे में प्रगति, दूरस्थ कार्य के अवसरों तक पहुँच में वृद्धि एवं विविधता, समानता और समावेशी पहलों के विस्तार से प्रेरित है। शेपिंग वर्कफोर्स इक्विटी रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ने सभी क्षेत्रों में लैंगिक विविधता में सुधार लाने में सबसे अधिक प्रगति की है, जहाँ महिला कार्यबल का प्रतिनिधित्व 2020 में 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 38.3 प्रतिशत हो गया है। हालाँकि, प्रवेश स्तर पर सुधार के बावजूद, वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है, जो 2020 में 11.43 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 13.60 प्रतिशत हो गया। इसके बावजूद, जीसीसी में वेतन असमानता एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जीसीसी में कुल लैंगिक वेतन अंतर 16.10 प्रतिशत है, जबकि वरिष्ठ स्तरों पर यह अंतर 16.4 प्रतिशत स्पष्ट है। उच्च–मांग वाली तकनीकी भूमिकाओं में लैंगिक वेतन अंतर 22.2 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, जबकि गैर–तकनीकी भूमिकाओं में यह अंतर काफी कम यानी केवल 0.8 प्रतिशत है। आईटी सेवा क्षेत्र में महिला कार्यबल भागीदारी 2020 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 21.2 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, यह वृद्धि महत्वपूर्ण करियर प्रगति में परिवर्तित नहीं हुई है, क्योंकि मध्य–स्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2020 में केवल 4.13 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 8.93 प्रतिशत हो गया है, जो दर्शाता है कि

महिलाओं को प्रवेश–स्तर की भूमिकाओं से आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उतार–चढ़ाव का रुझान देखा गया है। वर्ष 2021 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.36 प्रतिशत था, जो 2024 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 7.39 प्रतिशत हो गया, लेकिन उसी वर्ष इसमें गिरावट देखी गई, क्योंकि वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत घटकर 6.91 प्रतिशत रह गया। आईटी सेवाओं में लैंगिक वेतन अंतर एक और चुनौती पेश करता है। जहाँ कुल वेतन अंतर 3.55 प्रतिशत है, वहीं मध्य स्तर पर यह बढ़कर 6.12 प्रतिशत और वरिष्ठ स्तर पर 8.34 प्रतिशत हो जाता है, जिससे आईटी सेवा क्षेत्र में महिलाओं की सीमित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को बल मिलता है। प्रवेश स्तर से आगे महिला प्रतिभाओं को बनाए रखने का संघर्ष प्रणालीगत चुनौतियों से प्रेरित है, जैसे पदोन्नति में अचेतन पूर्वाग्रह, मार्गदर्शन के अवसरों की कमी और कार्यस्थल की नीतियाँ जो महिलाओं के दीर्घकालिक करियर विकास का पूरी तरह से समर्थन नहीं करतीं। रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र में गैर–तकनीकी भूमिकाओं में वेतन असमानता उल्लेखनीय रूप से 18.3 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

यद्यपि हम तकनीकी संविदात्मक भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति से उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिलाओं को अधिक नियुक्त करने के दृष्टिकोंण से आगे बढ़े। नेतृत्व के पदों पर प्रतिनिधित्व की कमी और लगातार लैंगिक वेतन अंतर दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। कंपनियों को ऐसे वातावरण बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहाँ महिलाएँ न केवल प्रवेश कर सकें, बल्कि अपने करियर में आगे बढ़ कर नेतृत्व कर सकें, क्योंकि कार्यबल समानता एक विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक आवश्यकता है। जो संगठन लैंगिक समावेशिता को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें विविध दृष्टिकोणों, मजबूत नवाचार और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन का लाभ मिलता है।

8. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे शिक्षा, आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक पहुँच आसान होती है, जिससे महिलाएं पारंपरिक बाधाओं को पार कर सकती हैं। यह दूरस्थ कार्य और ऑनलाइन उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, स्वास्थ्य निगरानी और टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है। स्वास्थ्य ट्रैकिंग ऐप्स और उपकरणों से महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं। तकनीक मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है। ऑनलाइन संसाधनों और प्लेटफार्मों के माध्यम से, महिलाएं अब कहीं से भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। यह तकनीक के उपयोग और तकनीकी क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे कौशल निर्माण में सहायता मिलती है। तकनीक ने दूरस्थ कार्य को संभव बनाया है, जिससे महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए पेशेवर भूमिकाओं में शामिल हो सकती हैं। ऑनलाइन समुदाय महिलाओं को एक–दूसरे का समर्थन करने और अपना अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और विस्तारित करने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय ऐप महिलाओं को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

डिजिटल युग का उदय भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में परिवर्तनकारी साबित हुआ है, जिससे उन्हें रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ी है। दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य संरचनाओं को अपनाने से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि तकनीकी प्लेटफार्मों ने व्यवसाय शुरू करने की बाधाओं को कम किया है, जिससे आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिला है। वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण ने महिलाओं को शिक्षा और पूंजी प्राप्ति के अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनका वित्तीय सशक्तिकरण बढ़ा है। हालांकि, समाज के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ाना होगा।

मानवीय आधार पर तकनीकी परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक व सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए समानता, तकनीकी का स्वयं प्रयोग, तकनीकी का आर्थिक लाभ, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में भागीदारी, तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी के उनके स्वास्थ्य व सामाजिक जीवन सकारात्मक प्रभाव अभी दूर की कौड़ी हैं। वर्तमान भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन केवल सरकारों का दायित्व है। ग्रामीण भारत में सामाजिक जीवन में परिवर्तन का जिम्मा कभी भी स्थानीय लोगों ने नहीं उठाया अन्यथा ग्रामीण महिलाओं पर तकनीकी परिवर्तन के दुष्प्रभाव अधिक न पड़ते। समस्त भारत में व्याप्त लैंगिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी, श्रम शक्ति में ग्रामीण महिलाओं की कम भागीदारी इत्यादि संकेतों से पता चलता है कि सरकारों द्वारा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के जो भी प्रयास हुए हैं। वे नाकाफी हैं और उनसे आशाजनक परिणाम नहीं आए हैं। आज भारत जब तकनीकी परिवर्तन, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी सहित के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं की विषम स्थिति चिंताजनक है।

धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिए मैं छोड़ती–हाँफती–भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर
अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ!

भारतीय समाज में नारी की स्थिति को बयां करती निर्मला पुतुल की उक्त पंक्तियाँ समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। हम भले यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 78 सालों में हमारी महिलाएँ चाँद पर पहुँच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, बड़ी–बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया हैय उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। यह भी सत्य है कि जब भी कोई स्त्री उपलब्धियों के हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तो उसे अनगिनत रीति–रिवाजों, परंपराओं की दुहाई देकर उसे समाज के नेपथ्य में जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।

आज भी देश में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं, पढ़ाई–लिखाई के दौरान बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़कों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, वर्ष 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। देश की कुल आबादी में 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 17 प्रतिशत है। यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं और 50 प्रतिशत महिलाएँ कार्यबल शामिल हो जाएँ, तो भारत अपनी मौजूदा विकास दर को 1.5 प्रतिशतांक प्रतिवर्ष बढ़ा सकता है।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में समय के साथ निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती आदि महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल 14 फीसदी महिलाएँ हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती हैं, लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं। न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

कुल मिलाकर, आजादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन मंजिल से अभी मीलों दूर हैं, क्योंकि महिला प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। हालांकि तकनीकी अनुप्रयोगों के माध्यम से महिला प्रगति और सशक्तिकरण की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, तकनीक भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी को नए सिरे से लिख रही है, उन कक्षाओं से लेकर जहाँ लड़कियाँ रोबोटिक्स सीखती हैं, उन गाँवों तक जहाँ माताएँ टेलीमेडिसिन का उपयोग करती हैं, और जन धन खातों तक जहाँ सीधे महिलाओं के हाथों में पैसा जाता है। समावेशी रूप से डिजाइन किए जाने पर डिजिटल उपकरण जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करे। यद्यपि संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन समाज अपने नियमों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। इसके लिए हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन् उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएँ भी शेष दुनिया की महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँय हमें महिला नवोन्मेषकों और पेशेवरों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने और पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान माने जाने वाले उद्योगों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. देवव्रत (संपादक,1962)। व्याकरण महाभाष्यम् (भाग–15), हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल, झज्झर, रोहतक, हरियाणा।
2. योगी सत्यभूषण (संपादक, 1966)। मनुस्मृति, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
3. केलकर, गोविन्द (1881)। इम्पैक्ट आफ ग्रीन रिवोल्यूशन आन वीमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन एण्ड सैक्स। सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, पृष्ठ–152।
4. श्रीवास्तव, सुधीर (1985)। यूमेन इम्पावरमेट। टाटा मैग्राहिल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–87।
5. माथुर, दीपा (1992)। वूमेन फैमिली एंड वर्क। रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ–1381
6. सिंह, सोरन (1997)। सिडियूल कास्ट इन इंडिया एंड डाइमेंशन ऑफ सोशल चेंज। ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–182।
7. आहुजा, राम (1999)। भारतीय सामाजिक व्यवस्था। रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ–186।
8. सक्सेना, किरण (2001)। विमेन्स एण्ड पॉलिटिक्स। ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ–34।
9. आहुजा, राम (2002)। भारतीय समाज। रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–321।
10. सिंह, दिनेश कुमार (2002)। रूरल वूमेन इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। विवेकानन्द एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, आगरा, पृष्ठ–87।
11. सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानन्द (संपादक, 2004)। यजुर्वेद, विजय कुमार हासानन्द, दिल्ली।
12. मिश्र, मण्डन (2009)। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।
13. शर्मा, मुकुन्द (2008)। निरुक्त, (विवृत्ति व्याख्या), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।
14. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (संपादक, 2010)। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत, हरियाणा।
15. शर्मा, डा. गंगा सहाय (संपादक, 2015)। अथर्ववेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
16. शर्मा, डा. गंगा सहाय (संपादक, 2016)। ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
17. शर्मा, ए. (2019)। भारतीय समाज में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति। समाजशास्त्र प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. शेखर, पी. (2019)। बाल विवाह और भारतीय समाज : ऐतिहासिक दृष्टिकोण। शैक्षिक प्रकाशन, कोलकाता।
19. सिंह, राम समुझ (2019)। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। क्वेस्ट जर्नल्स, नई दिल्ली पृष्ठ–85।
20. वर्मा, एस. (2020)। औपनिवेशिक भारत में महिला सुधार : सती प्रथा का अंत। ऐतिहासिक शोध प्रकाशन, जयपुर।
21. दिवेदी, आर. (2020)। भारतीय समाज में महिलाओं की पारंपरिक स्थिति। सामाजिक अध्ययन संस्थान, वाराणसी।
22. गुप्ता, एस. (2020)। औपनिवेशिक सुधार और महिला अधिकार : एक ऐतिहासिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन प्रकाशन, जयपुर।
23. चक्रवर्ती, ए. (2020)। औपनिवेशिक काल में शिक्षा और समाज सुधार। भारतीय अध्ययन प्रकाशन, पटना।
24. शुक्ला, ए. (2021)। आर्य समाज और महिला सशक्तिकरण । शैक्षिक अध्ययन संस्थान, पटना।
25. मालवीय, एन. (2021)। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रीय अध्ययन प्रकाशन, वाराणसी।
26. तिवारी, ए. (2021)। सती प्रथा और सामाजिक सुधार आंदोलन। भारतीय ऐतिहासिक परिषद, दिल्ली।
27. मेहरा, बी. (2022)। लैंगिक सिद्धांत और औपनिवेशिक नीतियां। लैंगिक अध्ययन प्रकाशन, मुंबई।
28. शर्मा, पी. (2022)। पंडिता रमाबाई और महिला सशक्तिकरण का इतिहास। महिला अध्ययन केंद्र, दिल्ली।
29. सिंघानिया, आर. (2022)। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सामाजिक प्रभाव। लैंगिक अध्ययन संस्थान, मुंबई।
30. सिंह, आर. (2022)। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का प्रभाव। सामाजिक विज्ञान अध्ययन, जयपुर।
31. दत्ता, एस. (2022)। एनी बेसेंट और भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण। भारतीय इतिहास परिषद, कोलकाता।
32. मिश्रा, के. (2022)। धार्मिक पुनर्जागरण और महिलाओं की स्थिति का परिवर्तन। सामाजिक सुधार प्रकाशन, जयपुर।
33. गुप्ता, वी. (2023)। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान। लैंगिक अध्ययन प्रकाशन, मुंबई।
34. कश्यप, पी. (2023)। भारतीय महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष । महिला अध्ययन केंद्र, दिल्ली।
35. कुमार, ए. (2023)। शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता : औपनिवेशिक संदर्भ। शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
36. कृष्णन, डी. (2023)। महिला सशक्तिकरण के औपनिवेशिक पहलू। भारतीय ऐतिहासिक संस्थान, चेन्नई।
37. चौधरी, आर. (2023)। औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की भूमिका का सांस्कृतिक विश्लेषण। ऐतिहासिक अध्ययन प्रकाशन, कोलकाता।
38. दुवे, वी. (2023)। भारतीय समाज में धार्मिक विचारधारा और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक अध्ययन संस्थान, मुंबई।
39. बनर्जी, ए. (2023)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिला अधिकारों का विकास। सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।
40. अंकिता (2024)। प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण : एक गौरवशाली अतीत की खोज। शोध साड़ीः एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल, 2024। 3(3): 347–362।

*****

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह एवं सिंह, डॉ. अमित कुमार (2025)। भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 01–12।

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का एक अध्ययन

चंदा देवी[1], डॉ. निर्मला सिंह[2]

1. **शोधार्थिनी (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोध पर्यवेक्षक एवं प्रोफेसर (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** patelchanda019@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424784

सारांश

गुणवत्तापूर्ण ज़िंदगी के लिए क्लीन एनर्जी तक पहुँच ज़रूरी है, फिर भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोशनी, हीटिंग और खाना पकाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्लीन एनर्जी पाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि 2030 तक क्लीन और सस्ती एनर्जी तक यूनिवर्सल पहुँच के यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को पाने में प्रगति हुई है, फिर भी असमानताएँ बनी हुई हैं। सेहत और पर्यावरण के फ़ायदों के लिए ज़रूरी मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, लाखों लोगों के लिए अभी भी पहुँच से बाहर हैं, विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में। बिजली और क्लीन कुकिंग फ्यूल तक पहुँच के बीच तरक्की में यह अंतर मॉडर्न कुकिंग फ्यूल को अपनाने में रुकावट डालने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए टारगेटेड पॉलिसी की ज़रूरत महसूस कराता है। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉज़िट के एलपीजी कनेक्शन देना था। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा हो गया था। इसके बाद अवशेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ और पीएमयूवाई कनेक्शन देना था, जो जनवरी 2022 में पूरा हो गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 के समय के लिए पीएमयूवाई के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने को मंजूरी दी, जो जुलाई 2024 में ही पूरा हो चुका है। मार्च, 2025 तक, देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन सक्रिय थे। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 08 सितंबर, 2025 **स्वीकृत:** 10 अक्टूबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 04 **चित्र एवं ग्राफ:** 01 **स्रोत एवं संदर्भ:** 09

मुख्य शब्द: पीएमयूवाई, स्वच्छ ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला, बीपीएल परिवार।

परिचय एवं पृष्ठभूमि: भारत के ग्रामीण घरों में खाना पकाने का साफ़ ईंधन मिलना एक बड़ी चुनौती है। यह कमी अधिकांश महिलाओं और उनके बच्चों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि घरों में गंदे ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं के नुकसानदायक असर का सबसे ज़्यादा सामना उन्हें ही करना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों को खाना पकाने का साफ़ ईंधन एलपीजी देकर उनकी सेहत को सुरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सोशियो–इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस (एसईसीसी, 2011) में शामिल परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉज़िट के एलपीजी कनेक्शन देना है, जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे है और जो प्रायः संसाधनों कमी से जूझ रही हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी–2011) में देश के 24.49 करोड़ (17.97 करोड़ ग्रामीण और 6.52 करोड़ शहरी) घर शामिल हैं। इनमें से 10.31 करोड़ परिवार अर्थात 8.72 करोड़ ग्रामीण (48.53 प्रतिशत) और 1.59 करोड़ शहरी (24.39 प्रतिशत) परिवार मौलिक संसाधनों की कम से कम एक

कमी से जूझ रहे थे, जिनकी पहचान भारत सरकार ने पीएमयूवाई के तहत पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए की है। हालांकि, सरकार ने पांच करोड़ बिना डिपॉज़िट वाले एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य (फरवरी 2018) बदलकर आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया, ताकि एसईसीसी–2011 सूची से पहचाने गए बीपीएल परिवारों या ई–पीएमयूवाई योजना के तहत सात कैटेगरी में से किसी एक के तहत आने वाले बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके, जिसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाना था।

अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से ग्रामीण महिलाओं से राहत दिलाने और ग्रामीण व ज़रूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में किस हद तक सफल रही है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1) पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचान का अध्ययन करना।
2) पीएमयूवाई के तहत वित्तीय सहायता का अध्ययन करना।
3) पीएमयूवाई का लक्ष्य और उपलब्धि का अध्ययन करना।
4) पीएमयूवाई की प्रगति का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकताः मई 2016 से संचालित होने के समय से यह भारत सरकार की चुनिंदा फ़्लैगशिप योजनाओं में शामिल रही है और पिछले 10 वर्षों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुकी है। इस दौरान योजना की सार्थकता को कायम रखने और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसलिए योजना के क्रियान्वयन की 10 वर्षों की समयावधि में योजना की प्रगति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

शोध प्रविधिः यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए विभिन्न स्तरों पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अध्ययन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसके लिए सरकारी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पीएमएफबीवाई के मामले में वर्ष 2015–16 से 2024–25 की अवधि के लिए यानि 6 वर्षों के आंकड़ों को एकत्र किया गया है ।भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) स्थिति सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों का प्रयोग किया गया है।

पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचानः पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन एसईसीसी–2011 की सूची में आने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पर प्रदान किया जाता है।

सारणी-1: पीएमयूवाई की पात्रता एवं पहचान के मानक

ग्रामीण परिवार	शहरी परिवार
केवल एक कमरे, कच्ची दीवारों और खपरैल / कच्ची छत वाले घर	केवल एक कमरे, कच्ची दीवारों और खपरैल / कच्ची छत वाले घर
16 से 59 साल के बीच के कोई भी वयस्क सदस्य नहीं	18 से 59 साल के बीच का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं
महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16-59 साल के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है	महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 18 से 59 साल के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
ऐसे परिवार जिनमें एक विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम सदस्य नहीं है	ऐसे घर जिनमें किसी भी तरह का दिव्यांग सदस्य हो और 18 से 59 साल के बीच का कोई भी सक्षम वयस्क सदस्य न हो
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार
ऐसे घर जिनमें 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई साक्षर वयस्क न हो	ऐसे घर जिनमें 21 साल से ज़्यादा उम्र का कोई साक्षर वयस्क न हो
ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं	ऐसे घर जिनमें किसी भी तरह का क्रॉनिक बीमार सदस्य हो और 18 से 59 साल के बीच का कोई भी एडल्ट सदस्य न हो अथवा घर की आय का मुख्य साधन अनियमित मजदूरी, असंगठित रोज़गार है।

एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, पात्र बीपीएल परिवार के लाभार्थी को निर्धारित फॉर्म भरकर निकटतम एलपीजी वितरक को आवेदन करना होता है और केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय पते का प्रमाण, आधार संख्या और अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है, तो

एलपीजी वितरक उसे प्राप्त करने में सहायता करेगा। परिवार में सभी वयस्क सदस्यों (18 वर्ष से ऊपर) की आधार संख्या प्रदान करना भी आवश्यक है। यदि उसके परिवार के वयस्क सदस्यों के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे एक वचन देना होगा कि आधार संख्याओं का पूरा सेट (सभी वयस्क परिवार के सदस्यों का) छह महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा। उसे यह भी घोषणा प्रदान करनी होगी कि परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों में से किसी के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इस तरह पीएमयूवाई के लक्षित लाभार्थियों में बीपीएल परिवारों की वे महिलाएं हैं जो एसईसीसी–2011 में शामिल हैं और सारणीबद्ध कमियों में से कम से कम एक कमी से प्रभावित हैं।

पीएमयूवाई के तहत वित्तीय सहायता: योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर हर एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपए की रकम सरकार देती है। यह रकम एसईसीसी–2011 में शामिल बीपीएल परिवारों की उन वयस्क महिलाओं को एक बार की फाइनेंशियल मदद के तौर पर दी जाती है, जिनके घर में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (ओएमसी) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड योजना के लाभार्थियों को, अगर वे चाहें तो, खाना पकाने के चूल्हे और पहले रिफिल का खर्च उठाने के लिए लोन लेने का ऑप्शन देंगी। लोन की रकम की ईएमआई–ओएमसी लाभार्थियों को रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम से वसूल करेंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

सारणी-2: वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	सहायता का विवरण	राशि (₹)
1.	सिक्योरिटी डिपॉज़िट (14.2 Kg LPG सिलेंडर)	1250
2.	सिक्योरिटी डिपॉज़िट (प्रेशर रेगुलेटर)	150
3.	सुरक्षा नली	100
4.	घरेलू गैस कंज्यूमर कार्ड बुकलेट	25
5.	इंस्टॉलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज	75
A	भारत सरकार से कुल सहायता (1+2+3+4+5)	1600
6.	स्टोव की कीमत	990
7.	14.2 kg सिलेंडर के लिए रिफिल की कीमत	517
B	ओएमसी द्वारा ऑप्शनल लोन सुविधा (कुल जोड़ 6+7)	1507
C	ग्रैंड टोटल (A+B)	3107
D	सेंट्रल गवर्नमेंट से बजटीय मदद।	1600
E	ओएमसी द्वारा बेनिफिशियरी को फाइनेंस (या लोन)	1507

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, भारत सरकार

पीएमयूवाई का लक्ष्य और उपलब्धि: पीएमयूवाई योजना का लक्ष्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था, जिसे 7 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 8वां करोड़वां एलपीजी कनेक्शन सौंप कर हासिल कर लिया गया। उज्ज्वला 2.0: पीएमयूवाई स्कीम के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, जिसमें माइग्रेंट परिवारों को स्पेशल सुविधा दी गई। उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन का टारगेट दिसंबर 2022 में पूरा हो गया, जिससे स्कीम के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हो गए।

उज्ज्वला 2.0 के तहत तीन वित्तीय वर्षों (2023–24 से 2025–26) के लिए 75 लाख एलपीजी कनेक्शन का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, जो जुलाई 2024 में पूरा हो गया, इस तरह स्कीम के तहत कुल कनेक्शन 10.35 करोड़ हो गए। भारत सरकार ने पीएमयूवाई के तहत 25 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे कुल टारगेट 10.6 करोड़ कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन अभी जारी किए जा रहे हैं, जैसा कि सारणी–3 के विवरण से स्पष्ट है।

सारणी-3: लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण		
चरण/आवंटन	लक्ष्य (करोड़ में)	लक्ष्य प्राप्ति तिथि
पीएमयूवाई फेज़-I (शुरुआती)	**8.00**	सितंबर 2019
उज्ज्वला 2.0 (शुरुआती)	**1.00**	जनवरी 2022
उज्ज्वला 2.0 (विस्तार)	**0.60**	दिसंबर 2022
अतिरिक्त आवंटन (वित्त वर्ष 23-26)	**0.75**	जुलाई 2024
मौजूदा अतिरिक्त टारगेट	**0.25**	अभी जारी है
कुल जारी किए गए कनेक्शन	**10.33**	मार्च 2025 तक
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, भारत सरकार		

पीएमयूवाई की प्रगतिः पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के निष्पादन में काफी प्रगति हुई है, जिससे ग्रामीण वंचित परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। योजना ने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, उनका समय बचाया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी, जो जुलाई 2024 के दौरान पहले ही हासिल कर लिया गया है। 01 मार्च, 2025 तक, भारत में सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या 32.94 करोड़ है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 10.33 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।

सारणी-4: एलपीजी की मार्केटिंग, उपभोक्ता और वितरण की प्रगति									एलपीजी सब्सिडी	
विवरण	एलपीजी सक्रिय घरेलू ग्राहक		पीएमयूवाई लाभार्थी		एलपीजी के वितरक		बॉटलिंग संयंत्र		एलपीजी	पीएमयूवाई
वर्ष	(लाख)	वृद्धि (%)	(लाख)	वृद्धि (%)	(संख्या)	वृद्धि (%)	(संख्या)	वृद्धि (%)	(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)
2015-16	1663	11.9	--	--	17916	12.5	188	0.5	22011	--
2016-17	1988	19.6	200	--	18786	4.9	189	0.5	12905	2999
2017-18	2243	12.8	356	77.7	20146	7.2	190	0.5	20905	2559
2018-19	2654	18.3	719	101.9	23737	17.8	192	1.1	31539	5670
2019-20	2787	5.0	802	11.5	24670	3.9	196	2.1	22726	1446
2020-21	2895	3.9	800	-0.2	25083	1.7	200	2.0	3658	76
2021-22	3053	5.5	899	12.2	25269	0.7	202	1.0	242	1569
2022-23	3140	2.9	959	6.6	25386	0.5	208	4.5	855	6110
2023-24	3242	3.2	1032	7.7	25481	0.4	210	1.0	1227	10217
2024-25	3297	1.7	1033	0.1	25566	0.3	211	0.5	366	13274
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार										

पिछले एक दशक में देश में एलपीजी की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सारणी–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में देश में 16 करोड़ 63 लाख एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 32 करोड़ 97 लाख हो गए। इस तरह, पिछले एक दशक में 16 करोड़ 34 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, एलपीजी के सक्रिय उपभोक्ताओं की वृद्धि दर में उत्तरोत्तर कमी दर्ज की गई है, विशेषकर वर्ष 2018–19 में यह वृद्धि दर 18.3 प्रतिशत थी, जो निरंतर घटते हुए वर्ष 2024–25 में 1.7 प्रतिशत रह गई है।

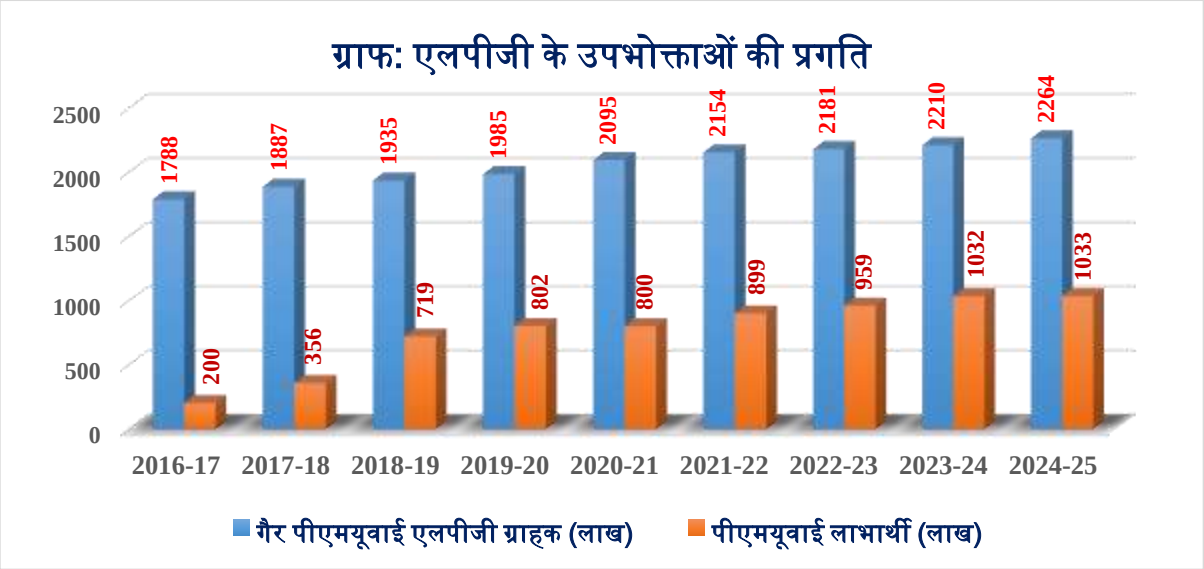
पिछले एक दशक में देश में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सारणी–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में देश में 2 करोड़ पीएमयूवाई एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 10 करोड़ 33 लाख हो गए। इस तरह, पिछले एक दशक में 8 करोड़ 33 लाख पीएमयूवाई उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की वृद्धि दर में काफी विचलन रहा है, जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की वृद्धि दर 77.7 प्रतिशत थी, जो 2018–19 में बढ़कर 101.9 प्रतिशत हो गई। इसके बाद इसमें कमी दर्ज की गई है और यह वृद्धि दर 2019–20 में 11.5 प्रतिशत

रह गई, 2020–21 में 0.2 प्रतिशत नकारात्मक हो गई, इसके बाद इसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है और यह वर्ष 2024–25 में 0.1 प्रतिशत रह गई है।

सारणी से स्पष्ट है कि देश में वर्ष 2015–16 में एलपीजी वितरकों की संख्या 17916 थी, जो एक दशक में 1. 43 गुना बढ़कर वर्ष 2024–25 में 25566 हो गए। इसी प्रकार देश में वर्ष 2015–16 में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या 188 थी, जो एक दशक में बढ़कर वर्ष 2024–25 में 211 हो गए। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियाँ लगातार नए एलपीजी वितरकों की स्थापना कर रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। पीएमयूवाई योजना के शुभारंभ के बाद से, तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 7959 वितरकों (01.04.2016 से 31.12.2024 के दौरान स्थापित) की स्थापना की है, जिनमें से 93 प्रतिशत यानी 7373 (1024 शहरी, 4974 ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी+आरजीजीएलवी)–1375) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 के 62 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग पूर्ण हो गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 वर्षों में एलपीजी सब्सिडी में काफी विचलन रहा है। वर्ष 2015–16 में देश में कुल एलपीजी सब्सिडी 22011 करोड़ रुपए थी, जो घटकर वर्ष 2024–25 में 13640 करोड़ रुपए रह गई। हालांकि, देश में पीएमयूवाई के तहत प्रदत्त सब्सिडी में बहुत अधिक विचलन देखने को मिला है। यह सब्सिडी वर्ष 2016–17 में 2999 करोड़ रुपए थी, जो 2017–18 में 2559 करोड़ रुपए, 2018–19 में 5670 करोड़ रुपए, 2019–20 में 1446 करोड़ रुपए, 2020–21 में केवल 76 करोड़ रुपए, 2021–22 में1569 करोड़ रुपए, 2022–23 में 6110 करोड़ रुपए, 2023–24 में 10217 करोड़ रुपए, 2024–25 में 13274 करोड़ रुपए हो गई। स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदत्त सब्सिडी में बहुत अधिक विचलन रहा है।

पिछले एक दशक में देश में गैर–पीएमयूवाई उपभोक्ताओं और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जैसाकि ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में देश में 17.88 करोड़ गैर–पीएमयूवाई एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे, जिनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 22.64 करोड़ हो गए। इसी तरह, पिछले एक दशक में 2 करोड़ पीएमयूवाई उपभोक्ता बढ़कर वर्ष 2024–25 में 10.33 करोड़ हो गए। स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की प्रगति काफी प्रगतिशील रही है।



भारत घरेलू खपत का लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत से जुड़ी होती है। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक) में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से फरवरी 2025 में 629 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत में 44 प्रतिशत की कमी आई (अगस्त 2023 में 903 रुपये से फरवरी 2025 में 503 रुपये तक)।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.01 (वित्त वर्ष 2019–20) से बढ़कर 3.68 (वित्त वर्ष 2021–22), वित्त वर्ष 2023–24 में 3.95 और वित्त वर्ष 2024–25 में 4.43 हो गई है।

देश भर में एलपीजी तक पहुंच में सुधार करने के लिए, पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने, कनेक्शनों को नामांकित करने और वितरित करने के लिए मेला/शिविर आयोजित करने, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन और बैंक खाते खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि, 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, पता और राशन कार्ड आदि से जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति काफी तीव्र हुई है।

सुझाव एवं अनुशंसाएं: योजना के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझावों पर गौर किया जा सकता है।

1. लाभार्थियों को प्रतिमाह एक सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सिलेंडर की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए, सिलेंडर की खरीद की लागत और चूल्हे खरीदने के लिए किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए।
2. एलपीजी के उपयोग और पारंपरिक ईंधनों के प्रति संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लक्षित शैक्षिक अभियान चलाए जाएं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाए।
3. मौजूदा और नए लाभार्थी के परिवार के सभी एडल्ट सदस्यों के आधार नंबर सिस्टम में डाले जाने चाहिए ताकि डी–डुप्लीकेशन की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर में सही इनपुट कंट्रोल, डेटा वैलिडेशन और ज़रूरी फील्ड इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि जो लाभार्थी अयोग्य हैं उन्हें एलपीजी कनेक्शन जारी करने से रोका जा सके;
4. पीएमयूवाई लाभार्थी की सही जानकारी इकट्ठा करने और उनकी असलियत को ऑथेंटिकेट करने के दोहरे फायदे पाने के लिए ई–केवाईसी शुरू करने की ज़रूरत है। नाबालिग लाभार्थी को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन, अगर परिवार पीएमयूवाई के तहत एलिजिबल पाया जाता है, तो परिवार के एडल्ट सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
5. पीएमयूवाई लाभार्थी द्वारा एलपीजी का सुरक्षित इस्तेमाल पक्का करने के लिए बड़े पैमाने पर सेफ्टी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। रेगुलर इंस्पेक्शन न होने पर होने वाले रिस्क से बचने के लिए ज़रूरी इंस्पेक्शन के खर्च पर सब्सिडी देने का ऑप्शन किया जा सकता है।
6. चूंकि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का टारगेट काफी हद तक पूरा हो गया है, इसलिए शून्य या कम खपत वाली कैटेगरी के पीएमयूवाई लाभार्थियों को लगातार इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही रिफिल की ज़्यादा खपत के मामलों का रेगुलर रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि दूसरी जगह इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।
7. महिलाओं की सेहत में सुधार और घरेलू एयर पॉल्यूशन में कमी जैसे मापने लायक फायदों के मामले में नतीजों का आकलन करने के लिए एक रोडमैप बनाया जा सकता है। योजना के प्रभावी आकलन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जा सकता है।
8. ऊर्जा नीति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की श्रम–बाजार की गतिशीलता से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले। सब्सिडी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आय–आधारित मूल्य निर्धारण को लागू किया जाए, ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके।
9. योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, जिससे धोखाधड़ी और कालाबाजारी कम हो सके। आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाने के लिए योजना के तहत अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष: उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की प्रगति के तहत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, जिससे 10.33 करोड़ कनेक्शन मार्च 2025 तक पूरे हो

गए, और 2025–26 के वित्तीय वर्ष में 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कुल कनेक्शन बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएंगे। यह योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस प्रदान करती है, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करती है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत में आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर परिवारों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में लाखों महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन प्रदान करके योजना ने महिला सशक्तिकरण और सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान, जागरूकता और पहुंच, रिफिल की सामर्थ्य और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता जैसी चुनौतियों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। लाभार्थी डेटा को अपडेट करने, जागरूकता अभियान चलाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने जैसे उपायो को लागू करके सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पीएमयूवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना का दायरा बढ़ाने और स्वच्छ खाना बनाने की प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के चल रहे प्रयासों से महिलाओं और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव अधिक बढ़ेगा।

कुल मिलाकर यह देश के गरीब परिवारों को लाभांवित करने और ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करने में बेहतर योजना सिद्ध हो रही है। योजना ने पारंपरिक ईंधनों (जैसे लकड़ी, कोयला) पर निर्भरता को कम करके, घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम किया है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह महिला लाभार्थियों के नाम पर कनेक्शन प्रदान करके, महिलाओं की स्थिति और घर में उनके अधिकार को मजबूत करती है। बायोमास और प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता कम करके, यह पर्यावरणीय स्थिरता और वन संरक्षण को बढ़ावा देती है। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन का विकल्प प्रदान करने से वे आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं। यह योजना लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर और स्थापना शुल्क शामिल है। इसलिए उपर्युक्त सुझावों को अपना कर योजना के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (2019)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संघ सरकार (वाणिज्यिक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट–14 वर्ष 2019, पृष्ठ 1–57।
2. स्वैन, एस.एस., मिश्रा, पी. (2020)। क्लीनर कुकिंग एनर्जी अपनाने के कारणः भारत के ग्रामीण ओडिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अनुभव। जे. क्लीन. प्रोड. 248, 119223.
3. शर्मा, एस., मोरेनहाउट, टी., अकलिन, एम., बजाज, के. (2021)। भारत में एलपीजी सब्सिडी को कैसे टारगेट करें. टेक्निकल रिपोर्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
4. व्यास एस., गुप्ता ए., खालिद एन (2021)। ग्रामीण उत्तर भारत में सरकारी दखल के बाद जेंडर और एलपीजी का इस्तेमाल। वर्ल्ड डेवलप., 148 (2021)।
5. कुमार, धर्मेन्द्र (2023)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन और चुनौतियाँः एक अवलोकन। जर्नल ऑफ़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च, खंड–10, अंक–9, सितम्बर 2023, पृष्ठ 477–482।
6. सु क्यू., आज़म एम. (2023)। क्या एलपीजी मिलने से महिलाओं का घरेलू बोझ कम होता है? एविडेंस फ्रॉम इंडिया । एनर्जी इकॉन., 119 (2023)।
7. ए., घोष, के., सिंह, आर.के. (2024)। भारत के ग्रामीण घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का असेसमेंटः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)। एनर्जी सस्टेन. डेवलप. 81, 101492.
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (2025)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना https://www.pmuy.gov.in/
9. विश्व बैंक (29 अप्रैल, 2021)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)। https://datacatalog.worldbank.org/pradhan-mantri-ujjwala-yojana-pmuy

*****

आलेख उद्धरित करें :	देवी, चंदा एवं सिंह, निर्मला (2026)। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का एक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर, 2025, पृष्ठ 13–19।

Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन

वैभव कुमार[1], डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन[2]'

1. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** vk1620867@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424970

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण इलाकों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करने वालों को हर साल कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन वाला रोजगार देना है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के चुने हुए गांवों में ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया। 'स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग' का प्रयोग करके कुल 60 लाभार्थियों को चुना गया और एक संरचित प्रश्नावली के जरिए आंकड़ों का संकलन किया गया। विश्लेषण से पता चला कि मनरेगा ने हर साल औसतन 65 दिनों का रोजगार दिया, जिसमें प्रति दिन औसतन 252 रुपए का वेतन मिला, जिससे सालाना आय 16380 रुपए हुई। मनरेगा से परिवार की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, जिससे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई। इसके अलावा, महिला प्रतिभागियों ने बेहतर आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता की बात कही, जो महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की सकारात्मक भूमिका को दिखाता है। हालांकि, मुख्य चुनौतियों में वेतन भुगतान में देरी, काम की सीमित उपलब्धता और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी शामिल थी। अध्ययन बताता है कि मनरेगा ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसे सही ढंग से लागू करना और समय पर भुगतान करना जरूरी है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 11 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 30 सितंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 18 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 16

मुख्य शब्द: मनरेगा, बुनियादी जरूरतें, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र, सशक्तिकरण, समावेशी विकास।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए, मनरेगा) ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' पारित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त यह संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम वर्तमान में अधिसूचित जिलों तक ही सीमित है। प्रारंभ में अधिनियम के प्रावधानों को 2 फरवरी, 2006 से विभिन्न राज्यों के 200 जिलो में लागू किया गया है। इससे ग्रामीण लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। यह ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, महिलाओं को सशक्त बनाता है, संकटग्रस्त पलायन को कम करता है और जल निकायों और ग्रामीण सड़कों जैसी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करता है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। यह खेती के कम उपजाऊ मौसमों के दौरान नियमित काम उपलब्ध कराती है। इस अतिरिक्त आय से परिवारों को बेहतर भोजन खरीदने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने और स्थानीय साहूकारों से लिए गए ऋणों को चुकाने में मदद मिली है।

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहाँ सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। मनरेगा के तहत कम से कम एक तिहाई श्रमिकों का महिला होना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देकर यह योजना लैंगिक वेतन अंतर को कम करने में मदद करती है और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और अपने घरों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। मनरेगा से पहले, कई ग्रामीण श्रमिक रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर शहरों की यात्रा करते थे। गांवों के पास गारंटीशुदा काम उपलब्ध कराकर, यह योजना इस मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करती है और परिवारों को एकजुट रखती है। श्रमिक छोटे तालाबों, झीलों और सड़कों जैसी मूल्यवान अवसंरचनाओं का निर्माण करते हैं। यह स्थानीय विकास की नींव रखता है।

हालांकि, अपनी सफलता के बावजूद, अध्ययनों से पता चलता है कि मनरेगा में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें वेतन भुगतान में देरी, अपर्याप्त कार्यदिवस और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी शामिल है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है, लेकिन पूर्ण और समय पर कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी बाधा है। इसलिए, मनरेगा को सही ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जिससे मनरेगा पर लोगों का विश्वास बना रहे। यदि सरकारें मनरेगा पर सही से ध्यान केन्द्रित करती हैं तो मनरेगा एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम सिद्ध हो सकता है। चूँकि मनरेगा ग्रामीण विकास के लिये चलाई गई केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करके उनकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना है। इससे ग्रामीण लोगों और गाँवों का विकास प्रभावित हुआ है, क्योंकि मनरेगा पिछड़े गरीब और निम्न तबके के लोगों का सहारा बना है, उनकी आजीविका का साधन बना है।

2. साहित्य की समीक्षा :

बिष्ट (1990) ने अपनी पुस्तक 'भारत में ग्रामीण विकास' में बताया है कि सामान्यतः भारत में सामुदायिक विकास योजना को ग्रामीण विकास के लिए प्रथम प्रयास माना जाता है जबकि वास्तव में ग्रामीण विकास के प्रयास ब्रिटिश शासन काल से ही प्रारम्भ किये जा चुके थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किये गए ग्रामीण विकास के परीक्षण तथा प्रयास भारत में ग्रामीण विकास के प्रथम प्रयास माने जाते हैं, क्योंकि वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आत्मा के दर्शन ग्रामों में किया था। उस समय की ग्रामीण निर्धनता, ऋणग्रस्तता तथा अशिक्षा को देखते हुए उन्होंने 'ग्रामों में वापस जाओ' का नारा दिया था। इसके बाद मानवशास्त्रियों ने इन कठिनाइयों को सांस्कृतिक कठिनाइयों के रूप में देखा, परन्तु ये दोनों दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सही नहीं थे। किसी समाज के तीव्र आर्थिक विकास में केवल आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों को देखने से ही उनकी कठिनाइयां दूर नहीं हो सकतीं जब तक सामाजिक विकास नहीं अपनाते तब तक समाज का तीव्र विकास सम्भव नहीं हो सकता।

कोठारी (1991) ने अपनी पुस्तक 'रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट' में व्यक्त किया है कि लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में जीवन कठिन हो जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, आवास आरम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। यदि इनमें से कोई एक या सभी अनुपस्थित हों तो निश्चित रूप से निम्न विकास विद्यमान है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में चाहे वे पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, उनमें सभी के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के लिये प्रावधान किया जाता है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की आवश्यक शर्त है, जिसे ग्रामीण विकास कहते हैं।

यादव (1994) ने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण विकास के नये क्षितिज' में वर्णित किया है कि स्वतंत्रतयोत्तर भारत में सरकार द्वारा व्यवस्थित नियोजन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक दिशा में आशातीत परिवर्तन हुए हैं। इतना सब होते हुए भी अनेक क्षेत्रों में ठोस निष्कर्ष आने शेष हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अभावों, उपेक्षाओं को तोड़ने के लिये न्यायपूर्ण आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक स्वाभाविक एवं रूचिप्रद प्रवृत्ति रही है। भारतीय नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। नियोजन के प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के क्रियांवयन में अनेक कमियां रह गई थीं और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों ने जरूरतमंदों को लाभ से वंचित रखा। इन कमियों को दूर करने के लिये 1970 के दशक में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजक कार्यक्रमों में लघु एवं सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को विशेष स्थान दिया गया।

आहूजा (2006) ने अपनी पुस्तक 'एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडियाः पोस्ट लिबरेलाइजेशन इनिशियेटिव्स' में व्यक्त किया है कि ग्रामीण विकास के परिणामस्वरूप कृषि कार्यों में सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक एवं मशीनों का प्रयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं तीव्र विकास हुआ है। वर्ष 1950–51 की तुलना में खाद्यान की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में इस उन्नति के लिये ग्रामीण विकास रणनीति की भूमिका रही है। इसके तहत किसानों को नये बीज एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ इन्हें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सीएजी (2007) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किए अध्ययन में यह पाया कि मरनेगा के कियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इसको तुरंत दूर किया जाना चाहिए जिससे मरनेगा का सही कियांवयन हो सके। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पंजीकृत परिवारों में से केवल 3.2 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है।

प्रसाद, एम.आर. (2008) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गाँवों से पलायन करने की प्रवृति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा सार्थक स्तर पर पलायन को रोकने में मदद मिली है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों की आय पर सार्थक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। नकारात्मक पहलू के रूप में यह तथ्य भी सामने आया कि कई जॉब कार्ड धारियों को 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त हुआ।

सिद्धान्त, पी. (2008) ने अपने लेख में मनरेगा पर योजना आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारों को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार प्रदान किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और केरल ने मरनेगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया, वहीं पश्चिम बंगाल एवं बिहार में 26 दिन रोजगार उपलब्ध कराया। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार देश में मनरेगा के कियांवयन में सबसे पिछड़े हुए थे।

ऋतिका खेड़ा (2009) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में महिलाओं के विचार जानने के उद्देश्य से अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाएँ केरल, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य में थी, जबकि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में एक तिहाई से कम महिलाएँ मनरेगा के अंतगर्त कार्यरत थी। अध्ययन में चयनित महिला हितग्राहियों में से अधिकांश का यह विचार था कि मनरेगा में रोजगार प्राप्त होने के पश्चात् उनका परिवार भुखमरी की समस्या से उबर रहा है। उत्तरदाताओं में से 68 प्रतिशत महिलाओं का मानना था मरनेगा का अनके जीवन में अत्यधिक महत्व है।

मण्डाले (2010) ने अपने लेख 'मनरेगा का अनुसचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव (बालघाट जिले की कटंगी तहसील के विशेष संदर्भ में)' में यह वर्णित किया गया है कि मनरेगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने में अधिक सहायक नहीं हुई है। उन्होंने पाया कि इस योजना के बाद भी श्रमिकों को लगातार काम नहीं मिल पा रहा है। जिससे उन्हें बेरोजगार रहना पड़ रहा है और उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण उनकी दैनिक एवं प्रतिमाह आय में भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है।

बडोदिया एवं अन्य (2011) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा में कार्य के दौरान अधिकारियों से संपर्क में आने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लोन सुविधा के बारे में जानकारी में भी सार्थक वृद्धि हुई।

सेबस्टियन और अजीज (2014) द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा के अतर्गत संपूर्ण कार्यों और जैव–विविधता सरक्षण से इनकी संबधता की संभावना की तलाश की गई। लेखकों का न केवल यह मानना है कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों से परिसंपत्तियां सृजित हुई है बल्कि उन्होने यह तर्क भी दिया है कि इन्हें अनिवार्य रूप से जैव–विविधता संरक्षण के बड़े एजेंडे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह विश्लेषण इस बात की भी पैरवी करता है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए हरित कार्यों को वानरोपण, वनप्रांत और संबंधित प्रचालनों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जैव–विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

सुभाष (2018) ने अपने शोध पत्र 'मनरेगा की उपलब्धियाँ, बदलता परिदृश्य एवं सम्भावनायें' में वर्णित किया है कि मनरेगा से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि इसकी वजह से गाँवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति का पलायन कम

होने लगा है। वे आगे लिखते हैं। वे आगे लिखते हैं कि मनरेगा के तहत चार विभिन्न प्रकार के वनीकरण और पौध रोपण के कार्य किये जाते हैं। इसमें सड़कों के किनारों पर, पंचायत या वन विभाग की भूमि पर, सार्वजनिक भवनों के परिसरों और निजि स्वामित्व वाले बगीचों में पेड़ लगाये जाते हैं।

उपर्युक्त समीक्षाओं के अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति को केंद्र में रखकर विभिन्न शोधों और रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित समीक्षाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो ऐतिहासिक रूप से पानी की कमी, कम कृषि उत्पादकता और बड़े पैमाने पर मौसमी पलायन के लिए जाना जाता है। ऐसे क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण आजीविका को सुरक्षा देने और गरीबी कम करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि चित्रकूट जैसे अत्यधिक पिछड़े और सूखा–प्रवण जिले में मनरेगा ने संकट के समय 'सेफ्टी नेट (सुरक्षा कवच)' का काम किया है। शोधकर्ताओं (जैसे ड्रेज और खेराय इम्बर्ट और पैप) का निष्कर्ष है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। बुंदेलखंड पर केंद्रित अध्ययन (जैसे सरकार और विकास संगठनों की रिपोर्ट) दर्शाते हैं कि कृषि कार्य न होने के दिनों में जब मजदूर दिल्ली, सूरत या मुंबई पलायन करने को मजबूर होते थे, तब मनरेगा ने उन्हें गांव में ही काम देकर 'विपत्ति पलायन' को काफी हद तक कम किया है। कोविड–19 महामारी के दौरान भी शहरों से लौटे मजदूरों के लिए यह योजना जीवनदान बनी है।

मनरेगा का सीधा प्रभाव ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति पर देखा गया है। अध्ययनों के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण श्रम बाजार में एक 'फ्लोर वेज (न्यूनतम मजदूरी सीमा)' तय कर दी है। इसके कारण निजी कृषि कार्यों में भी मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी है और उनका शोषण कम हुआ है। आर्थिक विश्लेषणों (जैसे रवि एवं एंगलर, 2015) से पता चलता है कि मनरेगा से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जिससे परिवारों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है।

चित्रकूट जैसे पारंपरिक समाजों में मनरेगा ने लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कानूनन एक–तिहाई महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होने के कारण चित्रकूट के गांवों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। बैंक खातों में सीधे मजदूरी (डीबीटी) आने से महिलाओं का पारिवारिक निर्णयों में महत्व बढ़ा है। यह योजना पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देती है, जिसने ग्रामीण भारत में लैंगिक मजदूरी अंतर को पाटने का काम किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए यह आजीविका का सबसे भरोसेमंद साधन बनकर उभरा है। चित्रकूट पानी की भारी किल्लत से जूझता है, इसलिए यहाँ मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की प्रकृति का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। अध्ययनों से सिद्ध होता है कि मनरेगा के तहत कराए गए तालाबों के जीर्णोद्धार, कुआं निर्माण, मेडबंदी और वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने भूजल स्तर को सुधारने में मदद की है। यह कृषि उत्पादकता को स्थिरता देने में सहायक रहा है।

हालांकि मनरेगा के प्रभाव सकारात्मक रहे हैं, लेकिन चित्रकूट के विशिष्ट संदर्भ में शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित समस्याओं को भी उजागर किया है। कई जमीनी अध्ययनों में पाया गया है कि काम पूरा होने के हफ्तों या महीनों बाद तक मजदूरी नहीं मिलती, जिससे गरीब मजदूरों का इस योजना से मोहभंग होने लगता है। साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि मनरेगा ने चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों को भुखमरी और अत्यधिक गरीबी से बचाया है। इसने उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया है।

2.1. शोध अंतराल : शोध अंतराल का मतलब है कि प्रस्तुत विषय पर पहले क्या काम नहीं हुआ है या किन पहलुओं को पुराने शोधकर्ताओं ने छोड़ दिया है, जिसे वर्तमान अध्ययन में पूरा करेंगे। चित्रकूट और बुंदेलखंड की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और हालिया तकनीकी परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तुत शोध को प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि व्यापक स्तर पर मनरेगा के प्रभाव पर बहुत साहित्य उपलब्ध है, लेकिन चित्रकूट के पठारी क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से पिछड़े आदिवासियों (जैसे कोल जनजाति) के जीवन पर नए नीतिगत बदलावों (जैसे 125 दिन का नियम) के तात्कालिक व वास्तविक प्रभाव पर केंद्रित समकालीन शोधों की अभी भी कमी है।

चित्रकूट पर उपलब्ध अधिकांश शोध सामान्य तौर पर ग्रामीण मजदूरों या 'अनुसूचित जाति/जनजाति' को एक बड़े समूह के रूप में देखते हैं। चित्रकूट में सीमान्त समूहों का जीवन पारंपरिक रूप से जंगलों और पत्थरों को तोड़ने पर निर्भर रहा है। मनरेगा ने इन विशिष्ट समूहों के जीवन स्तर, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यक्तिगत रूप से कितना बदला है, इस पर बहुत सीमित या न के बराबर विशिष्ट शोध हुआ है।

पहले के शोधों में माना गया था कि मनरेगा के आने से बुंदेलखंड से होने वाला मौसमी पलायन रुक गया है। लेकिन आज भी चित्रकूट से बड़े पैमाने पर मजदूर दिल्ली या सूरत की ओर पलायन कर रहे हैं। वर्तमान में जब 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के मुकाबले मजदूरों को औसतन केवल 65 दिन ही काम मिल पाता है, और एक–एक

करोड़ रुपये तक की मजदूरी महीनों बकाया रहती है, तो मनरेगा पलायन को रोकने में पूरी तरह सफल है या सिर्फ एक आंशिक सहारा? इस विरोधाभास पर एक नए और गहरे विश्लेषण की जरूरत है।

पुराने अध्ययन केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मजदूरों को कितने दिन का रोजगार मिला और कितनी मजदूरी मिली। मनरेगा के तहत चित्रकूट में बनाए गए कुएं, तालाब, मेढ़बंदी या वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने स्थानीय पर्यावरण और भूजल स्तर को कितना सुधारा है? क्या इन संपत्तियों के बनने से खुद उन गरीब मजदूरों की निजी खेती (यदि उनके पास थोड़ी बहुत जमीन है) में सुधार हुआ है या इसका फायदा केवल बड़े किसानों को मिला है? इस 'परिसंपत्ति प्रभाव' पर चित्रकूट के संदर्भ में ठोस शोध की कमी है।

कई रिपोर्ट्स केवल कागजी आंकड़ों (जैसे बैंक खातों की संख्या या जॉब कार्ड में नाम) के आधार पर महिला सशक्तिकरण का दावा करती हैं। चित्रकूट जैसे पुरुष–प्रधान ग्रामीण समाज में क्या बैंक खातों में सीधे आने वाले रुपये का उपयोग वास्तव में महिलाएं स्वयं अपनी मर्जी से कर पा रही हैं? या उनके पैसों पर आज भी परिवार के पुरुषों (पति/पिता) का नियंत्रण है? इस वास्तविक सशक्तिकरण के स्तर को मापना एक बड़ा रिसर्च अंतराल है। उपर्युक्त विद्यमान अंतराल के संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : प्रस्तुत शोध ''चित्रकूट जिले में ग्रामीण श्रमिकों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का एक अध्ययन" पर आधारित है। रैंडम सैंपलिंग तकनीक के जरिए चित्रकूट जिले के 20 से 60 साल की उम्र के 60 लोगों (महिला और पुरुष दोनों) को नमूने के तौर पर चुना गया। चित्रकूट जिले को खास तौर पर चुना गया क्योंकि यहाँ समाज के सीमांत समूहों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। आजीविका और रोजगार के लिहाज से गरीबी के आधार पर 6 गाँवों को चुना गया। घर की बनावट, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, सांस्कृतिक रीति–रिवाजों और परंपराओं के साथ–साथ सामाजिक मानदंडों से जुड़े डेमोग्राफिक आंकड़े को घर–घर जाकर इकट्ठा किया गया। ग्रामीणों की आजीविका, आय और खर्च के बदलते पैटर्न, योजना के बारे में जागरूकता, काम की गुणवत्ता के बारे में लोगों की राय, संपत्ति बनाने और बचत पर असर के बारे में आंकड़ों के लिए गहराई से इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया गया।

3.1 शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के चुने हुए गांवों में ग्रामीण लोगों की आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का इस्तेमाल किया गया। शोध को इस तरह से किया गया कि एक व्यवस्थित प्रश्नावली का उपयोग करके प्राथमिक डेटा इकट्ठा किया जा सके और उसका मात्रात्मक विश्लेषण किया जा सके।

3.2 अध्ययन का क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र है। प्रस्तुत शोध चित्रकूट जिला से संबंधित है। इस क्षेत्र का चुनाव शोध की महत्ता एवं समय सीमा को ध्यान में रखकर किया गया है। अध्ययन के समय विभिन्न मोहल्लों के मध्य आर्थिक असमानता जैसा अंतर भी ज्ञात हुआ, कुछ मोहल्ले आर्थिक रूप से संपन्न तो कुछ विपन्न और कुछ मिश्रित है। कुछ मोहल्ले विशेष जाति, वर्ग एवं समुदाय की विशेषता वाले है। विभिन्नताओं को भी प्रस्तुत अध्ययन में यथोचित स्थान दिया गया है।

3.3 शोध की आवश्यकता : प्रस्तावित शोध अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि 'मनरेगा' जो कि एक महत्वूपर्ण अधिनियम एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम है उसे और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे वह निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हो सके।

3.4 नमूने का आकार : प्रस्तुत शोध में 6 गांवों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि अपनाई गई। कुल 60 उत्तरदाताओं को चुना गया, जिनमें से प्रत्येक गांव से लाभार्थी शामिल हैं।

3.5 अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को समझना।
2. ग्रामीण मजदूरों के आय, खर्च, बचत और पलायन के बदलते पैटर्न को समझना।
3. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामाजिक प्रभाव को समझना।
4. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन करना।

4. आंकड़ों का विश्लेषण : प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत शोध में इसका उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी समूहों की किसी घटना या लक्ष्य के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, सस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन

एव बोध के स्तर पर प्रभाव डालती है। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनके अचेतन मन पर भी पड़ता है।

सारणी–1 में मनरेगा के 60 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लिंग, जाति, धर्म तथा शैक्षिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में 32 (53.33 प्रतिशत) पुरुष तथा 28 (46.67 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में पुरुष लाभार्थियों की संख्या महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक है, यद्यपि दोनों की भागीदारी संतुलित दिखाई देती है। जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के 45.00 प्रतिशत लाभार्थी सर्वाधिक हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 33.33 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 21. 67 प्रतिशत लाभार्थी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों तक अधिक पहुँचा है।

सारणी-1: मनरेगा के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
लैंगिक संरचना	महिला	28	46.67
	पुरुष	32	53.33
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	13	21.67
	अन्य पिछड़ा वर्ग	20	33.33
	अनुसूचित जाति	27	45.00
धार्मिक संरचना	हिन्दू	44	73.33
	मुस्लिम व अन्य	16	26.67
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	21	35.00
	प्राथमिक शिक्षित	18	30.00
	माध्यमिक शिक्षित	15	25.00
	उच्च शिक्षित	06	10.00
	कुल उत्तरदाता	**60**	**100**

सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से धर्म के आधार पर 73.33 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू हैं, जबकि 26.67 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू लाभार्थियों का अनुपात अधिक है। शैक्षिक स्तर के अनुसार 35.00 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं, जो सबसे अधिक हैं। इसके बाद 30.00 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षित, 25.00 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित तथा 10.00 प्रतिशत उच्च शिक्षित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मनरेगा लाभार्थियों का शैक्षिक स्तर निम्न है और उच्च शिक्षा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

इस तरह सारणी से यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में मनरेगा के लाभार्थियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक है। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों की भागीदारी अधिक है, जो योजना की सामाजिक समावेशिता को दर्शाती है। अधिकांश लाभार्थी हिन्दू समुदाय से हैं तथा शिक्षा के स्तर पर अशिक्षित और प्राथमिक शिक्षित व्यक्तियों का प्रभुत्व है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित तथा कम शिक्षित वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सारणी-2: मनरेगा के बारे में राय का विवरण

मनरेगा के प्रति राय	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक	36	60.00
नकारात्मक	17	28.33
कह नहीं सकते	07	11.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-2.1: मनरेगा गरीबी निवारण में सहायक

गरीबी निवारक	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ,	25	41.67
नहीं	22	36.67
कुछ कह नहीं सकते	13	21.66
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–2 में मनरेगा के प्रति उत्तरदाताओं की राय को सकारात्मक, नकारात्मक तथा अनिश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी इसको उपयोगी एवं लाभकारी मानते हैं। वहीं 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक राय व्यक्त की, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ लाभार्थी योजना के क्रियान्वयन, रोजगार की उपलब्धता, मजदूरी भुगतान अथवा अन्य कारणों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 11.67 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके, जिससे यह पता चलता है कि कुछ लोगों का अनुभव या जानकारी पर्याप्त नहीं थी। इस तरह सारणी से स्पष्ट है कि मनरेगा के प्रति अधिकांश लाभार्थियों का दृ ष्टिकोण सकारात्मक है। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं ने नकारात्मक राय व्यक्त की है, फिर भी समग्र रूप से योजना के प्रति लोगों का विश्वास एवं संतुष्टि का स्तर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है।

सारणी–2.1 में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है कि मनरेगा गरीबी निवारण में कितनी सहायक सिद्ध हुई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 25 (41.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा गरीबी

निवारण में सहायक है। इसके विपरीत 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि मनरेगा गरीबी निवारण में सहायक नहीं है। वहीं 21.66 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा को गरीबी निवारण में सहायक मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है, किन्तु सहायक मानने और असहमत उत्तरदाताओं के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है। यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों के लिए समान रूप से अनुभव नहीं किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनरेगा को गरीबी निवारण में सहायक मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन एक उल्लेखनीय संख्या इसे प्रभावी नहीं मानती तथा कुछ उत्तरदाता स्पष्ट राय देने में असमर्थ रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि योजना ने अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, किन्तु गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी-3: ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका

मनरेगा की भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	21	35.00
नहीं	15	25.00
सुधार की आवश्यकता	16	26.67
कह नहीं सकते	08	13.33
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-4: मनरेगा का रोजगार सृजन से संबंध

रोजगार से संबंध	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ ,	28	46.67
कुछ सीमा तक	17	28.33
नहीं	08	13.33
रोजगार का भ्रम पैदा किया है	07	11.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–3 में ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 21 (35.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मनरेगा की कोई विशेष भूमिका नहीं है। इसके अतिरिक्त 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना में सुधार की आवश्यकता है, जबकि 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक उत्तरदाता मनरेगा को ग्रामीण विकास में सहायक मानते हैं, किन्तु एक उल्लेखनीय संख्या ऐसी भी है जो योजना में सुधार की आवश्यकता महसूस करती है। यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सकारात्मक है, परंतु इसके क्रियान्वयन में सुधार की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। अतः यह कह सकते हैं कि मनरेगा ग्रामीण विकास में सकारात्मक योगदान दे रही है। फिर भी उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग योजना के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए इसके कार्यान्वयन, पारदर्शिता, समय पर मजदूरी भुगतान तथा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता महसूस करता है।

सारणी–4 में मनरेगा द्वारा रोजगार सृजन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 28 (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा रोजगार सृजन में सहायक है। वहीं 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि यह कुछ सीमा तक रोजगार उपलब्ध कराती है। इसके विपरीत 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा का रोजगार सृजन से कोई विशेष संबंध नहीं है, जबकि 11.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना ने श्रम पर निर्भरता या श्रम संबंधी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता मनरेगा को प्रत्यक्ष या आंशिक रूप से रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम मानते हैं। केवल सीमित संख्या में उत्तरदाता इससे असहमत हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसे रोजगार सृजन का प्रभावी साधन माना है, जबकि कुछ उत्तरदाताओं ने इसे सीमित रूप से प्रभावी बताया। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

4.1 मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव : सारणी–5, 6, 7, 8, 9 और सारणी–10 में मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को दर्शाया गया है।

सारणी-5: ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि की स्थिति

आय में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	43	71.67
नहीं	17	28.33
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-6: ग्रामीण मजदूरों के आर्थिक सुधार की स्थिति

आर्थिक सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	36	60.00
नहीं	24	40.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–5 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि मनरेगा में काम मिलने से पहले और बाद में ग्रामीण मजदूरों की मासिक या वार्षिक आय में क्या बदलाव आया है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा योजना से जुड़ने के बाद ग्रामीण मजदूरों की आय में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 43 अर्थात 71.67 प्रतिशत का मानना है कि मनरेगा के कारण उनकी आय में वृद्धि हुई है। यह एक बड़ा बहुमत है, जो दर्शाता है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई बढ़ाने में काफी हद तक सफल रही है। जबकि 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

सारणी–6 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों की समग्र आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 36 अर्थात 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से जुड़ने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों पर व्यापक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा से अधिकांश मजदूरों (71.67 प्रतिशत) की आय बढ़ी है और अधिकांश (60.00 प्रतिशत) की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, आय में वृद्धि (71.67 प्रतिशत) की तुलना में आर्थिक सुधार महसूस करने वाले लोगों का प्रतिशत (60.00 प्रतिशत) थोड़ा कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि आय तो बढ़ी है, लेकिन बढ़ती महंगाई या अन्य खर्चों की वजह से कुछ मजदूरों को अपनी समग्र आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम सिद्ध हुई है।

सारणी-7: अनौपचारिक ऋण की निर्भरता में कमी

अनौपचारिक निर्भरता	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	41	68.33
नहीं	19	31.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-8: बचत करने की क्षमता में वृद्धि की स्थिति

आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	39	65.00
नहीं	21	35.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–7 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा के कारण साहूकार आदि से ऋण लेने की आवश्यकता कम हुई है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा योजना से मिलने वाली आय ने मजदूरों को साहूकारों या अन्य अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की मजबूरी से किस हद तक मुक्त किया है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 41 अर्थात 68.33 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उनकी अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है। जबकि 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी ऋण निर्भरता में कोई कमी नहीं आई है।

सारणी–8 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा योजना से मिलने वाली आय के कारण मजदूरों की बचत करने की क्षमता बढ़ी है? यह सारणी मनरेगा के माध्यम से मजदूरों की आर्थिक स्थिति और उनके भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता में आए सुधार को दर्शाती है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 39 अर्थात 65.00 प्रतिशत का मानना है कि उनकी बचत करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। जबकि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनकी बचत करने की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मनरेगा योजना का ग्रामीण मजदूरों पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। अधिकांश उत्तरदाताओं (68.33 प्रतिशत) की ऋण लेने की मजबूरी कम हुई है और 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बचत करने की क्षमता में सुधार आया है, जो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

सारणी-9: परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

पहले से बेहतर हुई	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	38	63.33
नहीं	22	36.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-10: परिवार की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति

पूर्ती में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	33	55.00
नहीं	27	45.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–9 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की अपेक्षा बेहतर हो रही है? यह सारणी यह दर्शाती है कि मनरेगा से मिलने वाले रोजगार और आय के बाद मजदूरों के परिवारों की रोजमर्रा या दैनिक जरूरतें (जैसे भोजन, ईंधन आदि) पहले से बेहतर ढंग से पूरी हो पा रही हैं या नहीं। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 38 अर्थात 63.33 प्रतिशत का मानना है कि मनरेगा से जुड़ने के बाद उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। जबकि 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

सारणी–10 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा से प्राप्त आय परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो रही है? यह सारणी दीर्घकालिक या बुनियादी आवश्यकताओं (जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्यध्इलाज, पक्का मकान आदि) की पूर्ति में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करती है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 33 अर्थात 55.00 प्रतिशत ने माना है कि उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में सुधार हुआ है। जबकि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि मनरेगा के बावजूद उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के आंकड़े स्पष्ट है कि आधे से अधिक ग्रामीण मजदूर (क्रमशः 63.33 प्रतिशत और 55. 00 प्रतिशत) मनरेगा के माध्यम से अपने परिवारों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार (63.33 प्रतिशत) का स्तर, बुनियादी जरूरतों (55.00 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दैनिक खर्च (भोजन आदि) नियमित मजदूरी से तुरंत संभल जाते हैं, जबकि बड़ी बुनियादी जरूरतों (जैसे शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य) के लिए अधिक स्थिर और ज्यादा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

4.2. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामाजिक प्रभाव : सारणी–11 से 16 तक मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को दर्शाया गया है।

सारणी-11: मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार की स्थिति

सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	33	55.00
नहीं	27	45.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-12: बच्चों की शिक्षा पर सुधार की स्थिति

सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	36	60.00
नहीं	24	40.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–11 में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर में आए सुधार के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 33 (55.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जबकि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता मनरेगा को जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। नियमित रोजगार, आय में वृद्धि तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं, उल्लेखनीय संख्या ऐसे उत्तरदाताओं की भी है जिन्होंने किसी विशेष सुधार का अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों पर समान रूप से नहीं पड़ा है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसके लाभ को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ लाभार्थियों तक इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पहुँच पाया है। अतः योजना के प्रभावी क्रियांवयन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता बनी हुई है।

सारणी–12 में मनरेगा का लाभ मिलने के बाद उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा में सुधार के संबंध में उनकी राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 36 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है, जबकि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनके बच्चों की शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा से प्राप्त आय ने बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अतिरिक्त आय के कारण परिवार बच्चों की विद्यालयी आवश्यकताओं जैसे फीस, पुस्तकें, गणवेश एवं अन्य शैक्षणिक खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा में किसी विशेष सुधार का अनुभव नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक कारक भी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों के बच्चों की शिक्षा में सकारात्मक योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने शिक्षा में सुधार की पुष्टि की है, जिससे यह कहा जा सकता है कि योजना का प्रभाव केवल रोजगार और आय तक सीमित न रहकर परिवार के सामाजिक विकास, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है।

सारणी-13: स्वास्थ्य पर खर्च क्षमता में वृद्धि

क्षमता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	35	58.33
नहीं	25	41.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-14: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि

भागीदारी में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	39	65.00
नहीं	21	35.00
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–13 में मनरेगा के कारण ग्रामीण मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी खर्च करने की क्षमता में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 35 (58.33 प्रतिशत) ने बताया कि मनरेगा के कारण उनकी स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी खर्च करने की क्षमता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा से प्राप्त आय के कारण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करने की क्षमता विकसित होने की बात स्वीकार की है। नियमित आय मिलने से दवा, उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पहले की तुलना में अधिक संभव हुआ है। हालांकि, 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार की कोई विशेष वृद्धि अनुभव नहीं की, जिससे यह संकेत मिलता है कि सभी परिवारों पर योजना का प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी व्यय क्षमता में सकारात्मक योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि योजना ने आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–14 में मनरेगा के कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में हुई वृद्धि के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 39 (65.00 प्रतिशत) ने माना कि मनरेगा के कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, जबकि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय अर्जित करने की क्षमता और आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ाया है। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि को स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रही है।

सारणी-15: महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका में वृद्धि

भूमिका में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	37	61.67
नहीं	23	38.33
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-16: मजदूरों के पलायन में कमी की स्थिति

पलायन में कमी	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	32	53.33
नहीं	28	46.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–15 में मनरेगा के कारण महिलाओं की पारिवारिक एवं आर्थिक निर्णय लेने की भूमिका में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 37 (61.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका में वृद्धि हुई है, जबकि 38. 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के आर्थिक, सामाजिक एवं घरेलू निर्णयों में उनकी सहभागिता बढ़ी है। आय अर्जित करने के अवसर मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा तथा परिवार में उनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली हुई है। हालांकि, 38.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि कुछ परिवारों एवं क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका अभी भी सीमित है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं के सशक्तिकरण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका में वृद्धि को स्वीकार किया है, जिससे यह योजना लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध होती है।

सारणी–16 में मनरेगा के कारण ग्रामीण मजदूरों के पलायन में आई कमी के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 32 (53.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण मजदूरों के पलायन में कमी आई है, जबकि 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मनरेगा के कारण पलायन में कोई विशेष कमी नहीं आई है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरों के शहरों एवं अन्य राज्यों की ओर होने वाले पलायन को कम करने में योगदान दिया है। वहीं, लगभग आधे उत्तरदाताओं ने इस मत से असहमति व्यक्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में रोजगार की अवधि, कार्यों की उपलब्धता तथा

मजदूरी जैसी चुनौतियों के कारण पलायन की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों के पलायन को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने पलायन में कमी की पुष्टि की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने में सहायक रही है। हालांकि, बेहतर परिणामों के लिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त कार्यदिवसों की उपलब्धता तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4.3. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन : सारणी–17 में लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन किया गया है, जिसके तहत 60 उत्तरदाताओं से मनरेगा के विभिन्न प्रभावों के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है। प्रतिक्रियाओं को समग्र सहमति, अनिश्चित तथा समग्र असहमति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी-17: लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव करक	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
मनरेगा ने मेरी आय में वृद्धि की है।	आवृत्ति	28	11	21	60
	प्रतिशत	46.67	18.33	35.00	100
मनरेगा से मेरे परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।	आवृत्ति	33	08	19	60
	प्रतिशत	55.00	13.33	31.67	100
मनरेगा ने ग्रामीण पलायन को कम किया है।	आवृत्ति	30	14	16	60
	प्रतिशत	50.00	23.33	26.67	100
मनरेगा से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।	आवृत्ति	34	09	17	60
	प्रतिशत	56.67	15.00	28.33	100
मनरेगा की मजदूरी समय पर मिलती है।	आवृत्ति	27	13	20	60
	प्रतिशत	45.00	21.67	33.33	100
मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना है।	आवृत्ति	36	07	17	60
	प्रतिशत	60.00	11.67	28.33	100
क्या मनरेगा के कारण गाँव से पलायन में कमी आई है?	आवृत्ति	28	12	20	60
	प्रतिशत	46.67	20.00	33.33	100
क्या मनरेगा में काम करने के बाद समाज में आपके सम्मान और आत्म-निर्भरता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	34	09	17	60
	प्रतिशत	56.67	15.00	28.33	100
क्या काम के आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है?	आवृत्ति	26	15	19	60
	प्रतिशत	43.33	25.00	31.67	100
क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?	आवृत्ति	29	10	21	60
	प्रतिशत	48.33	16.67	35.00	100

सारणी से स्पष्ट है कि 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा ने आय में वृद्धि के प्रति सहमति व्यक्त की, 18.33 प्रतिशत अनिश्चितता तथा 35.00 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा से उनकी आय में वृद्धि हुई है। परिवार के जीवन स्तर में सुधार के प्रति 55.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मनरेगा से उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जबकि 13.33 प्रतिशत अनिश्चित और 31.67 प्रतिशत असहमत हैं, जो यह दर्शाता है कि योजना ने जीवन स्तर सुधारने में सकारात्मक योगदान दिया है। ग्रामीण पलायन में कमी के प्रति 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा ने ग्रामीण पलायन को कम किया है, जबकि 23.33 प्रतिशत अनिश्चित और 26.67 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन को कुछ हद तक नियंत्रित किया है।

सारणी से स्पष्ट है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के प्रति 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मनरेगा से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, 15.00 प्रतिशत अनिश्चित तथा 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। यह दर्शाता है कि योजना ने महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाई है। मजदूरी समय पर लाभार्थियों की प्रतिक्रया बताती है कि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मजदूरी समय पर मिलती है, जबकि 21.67 प्रतिशत अनिश्चित और 33.33 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समय पर भुगतान के मामले में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना के संदर्भ में सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना है। केवल 11.67 प्रतिशत अनिश्चित और 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। यह योजना की उपयोगिता को दर्शाता है। गाँव से पलायन में कमी के बारे में 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि मनरेगा के कारण गाँव से पलायन में कमी आई है, जबकि 20.00 प्रतिशत अनिश्चित और 33.33 प्रतिशत असहमत हैं। इससे योजना के सकारात्मक प्रभाव का संकेत मिलता है।

समाज में सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि के प्रति 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा में कार्य करने के बाद समाज में उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 15.00 प्रतिशत अनिश्चित तथा 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। कार्य आवंटन में सामाजिक/जातिगत भेदभाव के बारे में 43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि कार्य आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, जबकि 25.00 प्रतिशत अनिश्चित और 31.67 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में 48.33 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि 16.67 प्रतिशत अनिश्चित और 35.00 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अभी सुधार अपेक्षित है।

सारणी–17 में लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव के समग्र आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विशेष रूप से आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबों के लिए योजना की प्रभावशीलता के संबंध में सहमति का प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्य आवंटन में भेदभाव जैसे विषयों पर अपेक्षाकृत अधिक असहमति दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजना सिद्ध हुई है।

5. परिणाम और परिचर्चा : महात्मा गांधी नरेगा योजना चित्रकूट मे जिस तरह से अपना कार्य कर रही है उससे निश्चित ही गरीब परिवारों को सहारा मिला है। यह योजना जिस तरह से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उससे प्रदेश मे गरीबी के खिलाफ अपने युध्द में हम कामयाब हो सकेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना चित्रकूट के पिछड़े क्षेत्रो में जहाँ योजना लागू है, वहाँ के गरीब परिवारों को सुरक्षा की छाँव मिली है। मजदूरी के लिए पलायन जैसी घटनाएँ अब ही होती। आजीविका सुरक्षा और बुनियादी जरुरतों की पूर्ति से उनके जीवन मे नयी आशा का संचार हुआ है। इस योजना के बाद शहरों की ओर होने वाले मजदूरो के पलायन मे भी कमी आई है। गाँवों मे मजदूरों की दर मे वृध्दि हुई है। प्राकृतिक संसाधनो को पुर्नजीवित एवं मजबूत करने एवं कार्यबल में अधोसंरचना को मजबूत करने में योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सुदृढ़ ग्रामीण अधोसंरचना की स्थपना की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करना है ताकि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाया सके।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विशेष रूप से आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबों के लिए योजना की प्रभावशीलता के संबंध में सहमति का प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्य आवंटन में भेदभाव जैसे विषयों पर अपेक्षाकृत अधिक असहमति दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजना सिद्ध हुई है।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा को सशक्त बनाना होगा। मनरेगा को दूसरे विकल्पों से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इसे कृषि और दूसरे कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। यह योजना तभी सफल हो सकती है, जब सक्रिय कामगारों को अनवरत काम मिले। सरकार को मनरेगा मजदूरों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा बीमा और और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। यदि कुछ मानकों पर मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है तो इसकी वजह सरकार की नीतियां और नीयत भी रही है। पंचायतों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बदलते वक्त में इसे कृषि, निर्माण और दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़े जाने की जरूरत है।

भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिन तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित भी हुई। यह जमीनी स्तर पर, मांग द्वारा संचालित, काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अभूतपूर्व

है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 18 साल में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है। इसलिए मनरेगा को बंद किया जाना व्यावहारिक नहीं है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को स्वच्छ भारत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सुधार कहा।

कोविड–19 महामारी और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने सरकार को वास्तविकता का अहसास करवाया है। पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अकेले मई 2020 में ही 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की थी, जो आठ साल में सबसे ज्यादा है। पूरा देश जानता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान व स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया।

मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए, क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। गरीब किसान परिवारों की सहायता में, फसल और मौसम बीमा की अनुपस्थिति में मनरेगा जैसे प्रभावी विकल्प को ढूंढा गया था, जो कृषि और आर्थिक संकट के दौरान खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों की सहायता करता रहा है। मजदूरी के भुगतान में देरी से ग्रामीण अंचल की खपत में भी गिरावट आ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह आवंटन के दौरान योजना की उपयोगिता, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार जारी रखने के लिए परिव्यय में संकुचित दृष्टिकोण न अपनाए। संकट को कम करने वाली योजना के रूप में मनरेगा की उपयोगिता को बनाए रखना ही श्रेयस्कर होगा।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ महिलाओं की आर्थिक आजादी, फैसले लेने में उनकी भागीदारी और सार्वजनिक जगहों पर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इन सकारात्मक नतीजों के बावजूद, मजदूरी के भुगतान में देरी, अपने अधिकारों के बारे में कम जानकारी और काम की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ सामने आईं, जो मनरेगा के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में बड़ी बाधाएँ हैं। मनरेगा के भविष्य के लिए पारदर्शिता को मजबूत करने, काम की जगह पर सुविधाओं को बेहतर बनाने और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मनरेगा की गतिविधियों को स्थानीय विकास योजनाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की कोशिशें भी की जानी चाहिए। साथ ही, समुदाय की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाकर मनरेगा के लिए ज्यादा जवाबदेही और अपनापन सुनिश्चित किया जा सकता है। कुशल और अर्ध–कुशल ग्रामीण युवाओं के लिए मनरेगा के तहत रोजगार के मौके बढ़ाना, टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

मनरेगा का एक बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन स्तर और खरीदने की क्षमता में सुधार के तौर पर देखा गया। मनरेगा ने बिना किसी भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मजदूरी देकर लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया। मनरेगा के कई प्रभावों से स्थानीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और गरीबी कुछ हद तक कम हुई। चूंकि शोध क्षेत्र में जमीन–विहीन गरीब लोग बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मनरेगा लागू होने से पहले वे खेती–बाड़ी और दूसरे मौसमी शारीरिक कामों पर निर्भर थे। लेकिन इलाके में मनरेगा लागू होने के बाद, स्थानीय लोगों की आजीविका में जबरदस्त सुधार हुआ है। लोगों के समग्र कल्याण के लिए रोजगार की गारंटी देने का मनरेगा का मकसद धीरे–धीरे लोगों के जीवन में असर दिखा रहा है, लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रभाव दिखने में अभी काफी समय लगेगा।

देश के ग्रामीण स्तर पर मनरेगा अपने आप मे बड़ी कामयाब योजना रही है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा से बेहतर विकल्प सरकार के पास नहीं हो सकता है। ऐसे समय में मनरेगा पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत काम के दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत अनुमंय कार्यों के दायरे में लगातार संशोधन

की आवश्यकता है। वह हितधारकों से परामर्श कर और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत क्षेत्र–विशिष्ट कार्यों को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ के दौरान भूमि कटाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण और चरने वाले जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए खेतों की सीमा पर काम करना।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरों में उतार–चढ़ाव उचित नहीं है। इसलिए पूरे देश में एकसमान मजदूरी दर के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है। मनरेगा के लाभार्थी आम तौर पर समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों से आते हैं। मनरेगा के तहत नाममात्र वेतन लाभार्थियों को हतोत्साहित करता है और उन्हें या तो अधिक पारिश्रमिक वाले काम की तलाश करने या शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए प्रेरित करता है। सीपीआई–कृषि श्रम के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)–ग्रामीण के अनुसार मनरेगा वेतन को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी काम पूरा होने पर मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी पाने के पात्र हो जाते हैं। इसके बावजूद लाभार्थियों को मजदूरी के भुगतान में अत्यधिक देरी होती है। हालांकि मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर, लाभार्थियों को देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजा पाने का अधिकार है। देश के ज्यादातर स्थानों पर देरी से मुआवजे के भुगतान का पालन नहीं किया जाता।

मनरेगा के तहत, जो व्यक्ति आवेदन करता है, लेकिन उसे 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। राज्य सरकारें इस भत्ते की दर निर्धारित करती हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। मनरेगा के तहत ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए। इस प्रावधान का कार्यान्वयन खराब है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण न किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसने ऑडिट अभ्यास समाप्त होने के तुरंत बाद इन रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में रखने की सिफारिश की। अधिनियम के तहत, प्रत्येक जिले में एक लोकपाल होना चाहिए जो शिकायतें प्राप्त करेगा, जांच करेगा और पुरस्कार पारित करेगा। लोकपालों की नियुक्ति में विफल रहने पर राज्यों पर दंडात्मक उपाय लागू किए जा सकते हैं या उनके फंड रोके जा सकते हैं। अतरू लोकपालों की नियुक्ति के अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों को साथ लाया जा सकता है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. तिवारी, राकेश (1990)। ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1990
2. बिष्ट, नारायण सिंह (1990)। भारत में ग्रामीण विकास, नारायण ट्रस्ट गोपेश्वर, चमोली, 1990
3. कोठारी, सी. आर. (1991)। रूरल डेवलेपमेंट स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, मानक पब्लिकेशन, दिल्ली, 1991
4. यादव, सुबह सिंह (1994)। ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, मानक पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 1994
5. पंकज ए, तन्खा आर.(2010)। महिला कामगारों पर नरेगा के सशक्तिकरण संबंधी प्रभावः चार राज्यों में एक अध्ययन. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2010। 45(30): 45–55.
6. हिरवे, इंदिरा (2012)। मनरेगाः भारत के लिए पूर्ण–रोजगार रणनीति का एक हिस्सा। काम का अधिकार और ग्रामीण भारत (पृष्ठ 47–71)। सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. डीनिंगर के, लियू वाई. (2013)। भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कल्याण और गरीबी प्रभावः आंध्र प्रदेश से साक्ष्य। विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर संख्या–6543, 2013।
8. मलंगमेइह एल, भट्टाचार्य के, मित्रा ए (2014)। ग्रामीण परिवारों की कृषि सुरक्षा पर मनरेगा का प्रभावः भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुरा जिले में एक केस अध्ययन। आर्थिक मामले, 59(2): 137.
9. सुमन, डॉ. पमेचा और शर्मा इंदु. (2015)। मनरेगा का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव–राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 20 गाँवों के लाभार्थियों के बीच किया गया एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, वॉल्यूम–5, अंक–1, 2250–3153।
10. पंडी, जे (2016)। टीएमएल में मनरेगा के खंड ग्रामीण परिवारों के लिए उत्पाद सुरक्षा। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 77(1): 91–106।
11. परिदा, जे (2016)। मनरेगा, जबरन पलायन एवं बेरोजगारी की स्थितिरू ओडिशा में एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 18(1–2): 17–39।
12. रेड्डी पी, कुमार एन, दिनेश टी, श्रुति के (2016)। उत्तर–पूर्वी कर्नाटक में लाभार्थियों की आय, खर्च और बचत के पैटर्न पर मनरेगा का असर। आर्थिक मामले, 61(1):101.
13. सरकार ए, इस्लारी जे (2017)। झारखंड में मनरेगा के मजदूरों से मिलने वाली मजदूरी एवं आय। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 13(1): 20–53.
14. राम्या, टी (2018)। मनरेगा और जेएनएनएक्सः लोकतंत्र प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में एक अध्ययन। अंतरिक्ष और संस्कृति, 156–169.

15. चोपड़ा डी.(2019)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), भारत। आईडीएस वर्किंग पेपर नंबर 531. 2019।
16. नारायणन आर, धोराजीवाला एस, गोलानी आर (2019)। मनरेगा में भुगतान में देरी और देरी के लिए मुआवजे का विश्लेषणः वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए दस राज्यों के नतीजे। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 62(1): 113–133।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, वैभव एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 20–34।

Bundelkhand Journal of Academic Research

सहकारी विकास के संदर्भ में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

विमलेश कुमारी[1], डॉ. रश्मि पाण्डेय[2]

1. **शोधार्थिनी,** समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात
2. **शोध पर्यवेक्षिका एवं असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात।

(**Corresponding Author:** vk9411436974@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425066

सारांश

देश में सहकार से खुशहाली उन्नति समृद्धि के विजन को साकार बनाने हेतु 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो विभिन्न जिलों के क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक के परिवर्तन में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। सहकारिता के माध्यम से डेयरी, महस्यपाल, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा विक्री, डिजिटल सक्षम, बहु क्षेत्रीय संस्थाओं के रूप में फैक्स, महिला किसानों हेतु सतत आय, गरीबी उन्मूलन सभी मॉडल एक सदस्य एक बोट के लोकतांत्रिक सरचना के समावेशी शासन हेतु लाभकारी है जो महिलाओं, युवाओं वंचित समूह समुदायों को मुख्य धारा से जोडने का हर सम्भव प्रयास किया है, ताकि युवा वर्ग को सहकारिता से रोजगार मिले, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढे, वहीं अधिक से अधिक जिलों में उद्यमिता बढे, स्थानीय जरूरतों के साथ कौशल विकास से महिला सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता निर्डरता के साथ रखे, सरकार से ऐसे सहकारी विकास की उम्मीद है। नारी की उन्नति से देश की उन्नति निर्भर है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा सहकारी विकास के क्षेत्र में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 20 सितंबर, 2025 **स्वीकृत:** 10 नवंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15

मुख्य शब्द: सहकारी विकास, समिति, औरैया, दलित, महिला, प्रस्थिति, सहकारी योजनाएं।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : यह भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ शादियों से महिलाओं को असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। जाति भेदभाव, छुआ–छूत, लैगिंक भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताओं, परम्पराओं की लाचारी, जागरुकता की कमी आदि से ग्रसित अनेकों समस्याओं ने दलित महिलाओं के जीवन को सीमित कर ऐसे मोड पर लाकर खडा कर दिया, जहाँ इनकी प्रस्थिति तीसरे पायदान पर होकर रह गई। हॉक्स का कहना है कि ''असमानता की जगह समानता हो और शक्ति एवं प्राधिकारों का असमान स्तर समाप्त हो, तभी महिला समाज की उन्नति होगी'' पर सरकार द्वारा चलाय गए सहकारी विकास से संबंधित अनेको योजनाओं ने दलित महिलाओं के जीवन को निखारने, संवारने उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जाति प्रस्थिति को उच्च बनाने में भूमिका निभाई जा रही है, बल्कि उनको सशक्त कर खुशहाल जीवन के भावी रास्ते दिखाये। भाग्य लक्ष्मी के अनुसार ''सहकारी विकास नीति ने महिलाओं की धारणाओं और जकरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं तथा सहकारी समितियों को विकसित कर उनका विकास एवं प्रस्थिति को मजबूत किया है।'' सहकारी विकास जनपद की दलित महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यम उद्यमकारी, कुषल गृहणी बनाने के साथ ही समानता, स्वतन्त्रता सहकारी समितियों में भागीदारी तथा जाति प्रस्थिति को सुधारने का पूर्ण अवसर दिते हुए उन्हे महिला सशक्तिकरण का ज्ञान कराया है।

1.1. शोध अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. प्रस्तुत शोध द्वारा दलित महिलाओं को सरकारी विकास समिति के बारे में जानकारी कराना।
2. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में प्रस्थिति को ज्ञात करना।

3. दलित महिलाओं में सहकारी विकास की आवश्यकता का विश्लेषण करना।

1.2. शोध अध्ययन क्षेत्रः देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला औरैया जो 17 सितम्बर 1997 को औरैया और विधूना दो तहसीलों को इटावा से अलग करके औरैया को नया जिला बनाया गया जिसमें अजीतमल तहसील को बाद में जोडा गया, यह जिला राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जुड़ा होने से देश भर के स्थानों को जोडता है मराठा काल मुगल कालएवं अंग्रेजों से आन्दोलन कर सालों से इतिहास में पहचान बनाये हुए है और यहाँ समय–समय राज्य सरकारों द्वारा सहकारी विकास समितियों के वार में जानकारी एवं रोजगार से लाभ दिलाने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

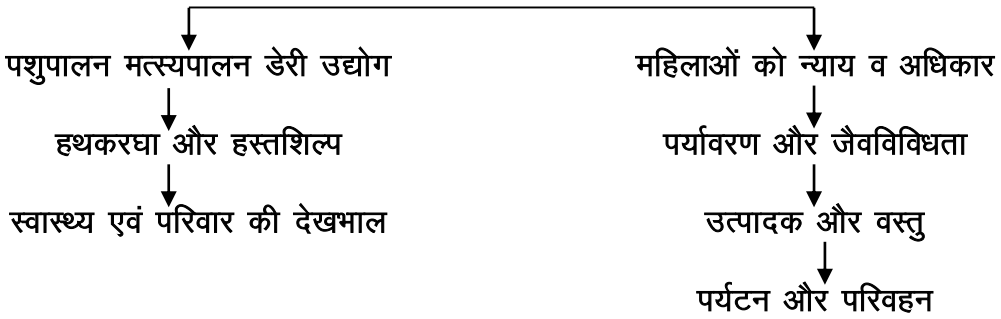
1.3. आंकडों का संग्रहः प्रस्तुत शोध पत्र में जिले के सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की प्रस्थिति को समझकर व जानकारी करके इसमें वर्णानात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है जो परिणाम प्राप्त हुये हैं, वे तत्थों के संकलन पर आधारित हैं।

2. आकंडों का विश्लेषण एंव परिणाम :

2.1. सहकारी विकास की अवधारणाः सहकारी विकास एक ऐसी प्रक्रियां है जिसके द्वारा लोग आपसी सहयोग एकजुटता और सामूहिक प्रयासों सदस्यों में आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आत्मनिर्भर महिला शसक्तीकरण के लिये सहकारी संस्थाओं का निर्माण और मजबूतीकरण के साथ ही समान अवसर देने वाली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। माननीय मोदी जी ने कहा कि ''भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति का आधार है जीवन शैली है।''(6) सहकारी समितियां जनसमाज को स्वरोजगर देने में अपनी अहम भूमिका निभाने का पूर्ण प्रयास करती है।

2.2. सहकारी विकास के क्षेत्रः सहकारी विकास वह क्षेत्र है जिसके द्वारा योजनाओं व समितियों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक लोकाचार को बनाये रखने हेतु सदस्यों में सामूहिक कार्य करने की इच्छायें एवं समन्वय की भावना से उत्पादन में बढ़ोत्तरी स्वलभ रोजगार मिलने से स्त्री–पुरुषों की उन्नति से ही पूरे देश की उन्नति सम्भव है। प्रस्तुत शोध पत्र में सहकारी विकास के निम्न क्षेत्रों को तालिका न–1 में दर्शाया है।

तालिका न.1
सहकारी विकास के क्षेत्र में



सहकारी विकास विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर से महिलाओं एवं पुरुषों को सामंजस्य और सामाजिक बंधन रहित गहनता के साथ जमीनी तौर से वस्तुओं एवं सेवाओं को देने की इसमें अपार क्षमता मौजूद है।

2.3. सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की जनपद में प्रस्थितिः लम्बे समय से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सहकारी विकास के कार्यों में भागीदारी, सांस्कृतिक आदि दशाओं में असमान स्थिति का सामना करती आ रही हैं, वहीं इस जटिल स्थिति को सुधारने में सहकारी विकास ने समाज में समान अधिकार व आत्मनिर्भर बनने हेतु अनेकों सहकारी समितियों, योजनामों ने महिलाओं को आगे बढ़ने एवं प्रस्थिति सुधारने का पूर्ण मौका दिया हैं।

2.4. जनपद में सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारीः महिलाओं की सूझ बूझ कर्त्तव्य निष्ठा मान मर्यादा आर्थिक श्रम शक्ति, कानूनी, प्रशासनिक जानकारी, पारवारिक जिम्मेदारी की बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम करने की क्षमता हर क्षेत्र में अग्रणी होने के बाद भी महिलाओं की संख्यां सहकारी विकास के क्षेत्र में न के बराबर है जबकि आधी आबादी महिलाओं की है। औरैया जनपद में दलित महिलाओं की भागीदारी सहकारी निकास के क्षेत्र में निम्नवत है, इसे तालिका न.–2 के द्वारा समझाया गया है।

भारत सरकार ने महिला केन्द्रित सहभागी नियोजन द्वारा स्थानीय सहकारी विकास ने महिला एवं दलित महिला वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा किया है, लेकिन सत्यता यह है कि दलित महिलाओं को इसकी न तो जानकारी है न ही उन्हे सहकारी समितियों की योजनाओं का लाभ मिल पाता है।

तालिका न.–2: जनपद में सहकारी विकास के क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारी

क्रम	सहकारी विकास के क्षेत्र	उत्पादन कार्य क्षेत्र	भागीदारी
1.	स्वरोजगार महिला संघ	डेरी उत्पादन, लिज्जत पापड, मोमवती गृह अधारित उत्पादन।	30 प्रतिशत
2.	स्वयं शक्ति सहकार योजना	स्वयं सहायता समूहों से बैंक ऋण की सुविधा में कार्य शील पूंजी ऋण।	16 प्रतिशत
3.	नंदनी सहकार योजना	महिलाओं को सहकारी समितियां व्यवसाय के लिये 2 प्रतिशत ब्याज की छूट दर पर दीर्घकालिक ऋण देती है।	12 प्रतिशत
4.	पशुपालन परियोजना	महिलाओं को सहकारी समितियों से बैंक मित्र के रूप में नामितत्या ऋण की सुविधा।	18 प्रतिशत
5.	आयुष्मान एवं वित्तीय समावेशन	महिला सहकारी विकास में ऋण बीमा, आवास, स्वास्थ्य बैकिंग की सुविधा।	25 प्रतिशत

2.5. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में सामाजिक प्रस्थितिः सहकारी विकास समितियों ने समाज के सभी वर्गो की समान अवसर महिला स्वरोजगार, सामाजिक न्याय को बढाना एवं महिला लैगिंक असमानताओं को दूर कर समाज को एक नई राह दी है। लेकिन जनपद की दलित महिलाओं को आज भी काफी हद तक जाति भेदभाव तथा कार्य क्षेत्रों में असमान कार्य वितरण का सामना करना पड रहा है। जिसकी वजह से इनकी सामाजिक स्थिति अभी दो राहे पर है।

2.6. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में आर्थिक प्रस्थितिः सहकारी विकास द्वारा स्वरोजगार समूहों ने महिलाओं के आर्थिक विकास तथा आय में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि करके कौशल विकास के नये अवसर देकर उन्हें कढाई–बुनाई एवं हस्त–शिल्प के क्षेत्र में रोजगार देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन जिले की जानकी देवी का कहना है कि ''हम लोगों को कौशल विकास की न जानकारी और न कोई प्रशिक्षण दिया गया तो लाभ कहा से मिल पायेगा।'' दूरदराज असंगठित क्षेत्रों में रहने वाली दलित महिलाएं कौशल विकास के लाभों से गरीबी एवं अज्ञानता के कारण वचिंत है, यही सब कारक उनकी आर्थिक स्थिति को निम्नता की ओर ले जाने में जिम्मेदार हैं।

2.7. जनपद में दलित महिलाओं की सहकारी विकास के क्षेत्र में शैक्षिक प्रस्थितिः श्रीमती पाटिल ने कहा कि ''मैं पूरी तरह से नारी शिक्षा में प्रतिबद्ध हूँ और यह भी इच्छा है कि स्त्री–पुरुष, लडका–लडकी कोई भी आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि राष्ट्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी''। वहीं भारत में सहकारी विकास के क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अभी सुधार की प्रक्रिया में है। जमीनी हालत में ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व रुढिवादी विचारधारा सदियों से गहरी जडे जमाये हुये हैं जिससे अनेकों समस्याएं महिला शिक्षा में बाधाएं डालती आती आ रही हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

3. जनपद की दलित महिलाओं को सहकारी विकास के क्षेत्र में आ रहीं बाधाएः कपूर प्रमिला ने कहा कि ''विकास के क्षेत्र में महिलाओं के सामने पारम्परिक सोच, ज्ञान कौशल की कमी, आर्थिक कमजोरी जैसी कठिनाइयों का सामना करना आम बात हो गई है।'' दलित महिलाओं की उन्नति में परम्परागत सोच तो रुकावट बनती है, साथ ही परिवार का समर्थन न मिलना निम्न जाति का होना कमजोर वित्तीय सम्पर्क आदि भी आडे आता है। यहाँ तक कि यह माना जा रहा है कि भारत में लगभग 50 प्रतिशत सहकारी समितियां निष्क्रिय है। इसकी वजह से सीमित बाजार, संस्थागत समर्थन, प्रशिक्षण की कमी और छोटी समितियां अपर्याप्त वित्त संसाधनों से जूझ रही हैं, तभी महिलाओं को उत्पादन तथा विकास के क्षेत्र में कई जटिल समस्याझों का सामना करना पड़ता है। इन तथ्यों को तालिका नं–3 के द्वारा समझाया गया है।

आधुनिक सभ्य शिक्षित समाज में पढ़ी लिखी महिला को भी उत्पादन व उत्पादन के विकास में कई जघन्न परिस्थितियों का आये दिन सामना करना पड़ता है।

तलिका–3: जनपद की दलित महिलाओं के सामने सहकारी विकास के क्षेत्र में बाधाएं

संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएं	→	सामाजिक मानदण्ड स्वच्छता, सामाजिक निगरानी आत्मविश्वास की कमी, कानूनी एवं स्वहित अधिकारों की जानकारी की कमी
उत्पादन की गुणवत्ता में बाधाएं	→	समय की कमी, अधिक अवैतनिक श्रम, मशीनों व उपकरणों की कमी, निम्न बाजार, बाजार प्रतिस्थिति
बाजार की जानकारी में कमी	→	उच्च निरक्षरता, भाषा की समस्यां, सूचना केन्द्रों की कमी, सही वस्तु मूल्य की जानकारी का अभाव
कौशल विकास में बाधाएं	→	प्रशिक्षण की कमी, अनुभव की कमी नेतृत्व की भूमिका में कमी
परिवहन और आधार भूत संरचना में बाधाएं	→	परिवहन साधनों की कमी, खराब सडक संरचना अधिक भाडा लगना, सरकारी किराया की बढोत्तरी

4. जनपद की दलित महिलाओं में सहकारी विकारत के प्रति जागरुकता: देश के प्रत्येक प्रदेश, जिले में कार्य कर रही सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर व कार्य सुनियोजित करके महिलाओं को सहकारी समितियों के प्रति जागरूक करना सरकार की अहम भूमिका है। और सुरू की गई सहकारी विकास समितियो से कौशल विकास, बाजार व्यवस्थाएं एवं संस्थागत वित्तीय सहायता इन सभी में महिलाओं की भागीदारी बढाने उन्हें लाभ हेतु प्रेरित करना ताकि इनका मन सहकारी विकास समितियों के कार्यों में लग सके, साथ ही वे जागरुक हो। अभी आधे से ज्यादा दलित महिलाओं को इन सहकारी समितियो के बारे में ज्ञान नहीं है और न ही जानकारी करने के प्रति जागरुक है। उन्हे आवश्यकता है कि सही तौर पर सहकारी विकास कि नीतियों की जानकारी हेतु मार्गदर्शन एवं डिटिजल शिक्षा प्रशिक्षण, नेत्तृव क्षमता, उन्के अवैतनिक कार्य की मानता बढ़ाना, समय की कमी को दूर करने के साथ सहकारिता महिला–बाल विकास नीतियों के बारे में ज्ञान जागरूक करने में हम सब, सहकारी समितियों के कार्य व सलाहकारों की अहम भूमिका होगी, तभी महिलाएं सहकारी विकास समितियों के बारे में जागरूक हो सकेगी।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास को गति देने के लिये राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अपनाए गये विविध क्षेत्रों के दृष्टिकोणों में सामाजिक आर्थिक नीति कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के साथ गरीबी उन्मूलन, रोजगार संरचना, कौशल विकास योजनाएं, महिला सशक्तिकरण उद्यमों में लगे संसाधनों को एक जुट कर आर्थिक लक्ष्य को पूरा किया जाये, साथ ही इसमे ऐसे विकास की आवश्यकता है कि भविष्य में सहकारी विकास समितियों द्वारा निश्चित ही महिला विकास सतत स्तर पर आगे बढ़ेगा।

हालांकि, सहकारी समितियों को महिला विकास हेतु अभी विभिन्न मुददों की पहचान एवं समाधान खोजने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चत करने की आवश्यकता है। राज्य अधिक से अधिक सहकारी समितियों को उन क्षेत्रों में स्थापित करें जहाँ बड़े स्तर पर रोजगार महिलाओं को मिल सके। महिलाओं में पारम्परिक ज्ञान के बजाय स्वदेशी तकनीकी ज्ञान विकसित करने केसाथ जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है।

दलित महिलाओं की सहकारी समितियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, कौशल विकास, आसान ऋण उपलब्धता, और जाति–संवेदी नेतृत्व प्रशिक्षण सबसे प्रभावी उपाय हैं। जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इन रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए। बहु–राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2023 के तहत बोर्ड में महिलाओं के लिए अनिवार्य दो सीटों के आरक्षण को सभी राज्य–स्तरीय समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों तक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इनमें दलित/वंचित वर्ग के लिए उचित उप–कोटा तय करना जरूरी है।

महिलाओं की सहकारी संस्थाओं (विशेषकर दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदनी सहकार योजना जैसी योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाकर आसान शर्तों पर कार्यशील पूंजी और ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दलित महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने चाहिए। उन्हें वित्तीय प्रबंधन (फाइनेंशियल मैनेजमेंट), डिजिटल साक्षरता और विपणन (मार्केटिंग) का प्रशिक्षण देकर निर्णय लेने वाली अग्रणी भूमिकाओं में तैयार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण स्तर पर कृषि भूमि और अन्य संसाधनों पर दलित महिलाओं के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए, ताकि वे कृषि, डेयरी और हथकरघा सहकारी समितियों में सक्रिय और स्वतंत्र उत्पादक के रूप में शामिल हो सकें। केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे सरकारी ई–मार्केटप्लेस,

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और राज्य स्तरीय मेलों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें उनके काम का पूरा मुनाफा मिल सके।

कुल मिलाकर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। लिंग समानता को बढ़ावा देने, हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता पैदा करने, महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता मोतीलाल (2019)। भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. परमार शुभ्रा (2015)। नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
3. पूनम साहू, वासुदेव साहसी (2013)। महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिव्यूज़ एंड रिसर्च, 1(2): अक्टूबर–दिसंबर 2013, पृष्ठ 57–59।
4. सिंह गौरव (2013)। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आन्वीक्षिकी, 2013, पृष्ठ–64
5. जोशी गोपा (2011)। भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।
6. श्रीवास्तव रागिनि (2011)। आधुनिक समाज एवं महिलाएं, इंदौर, 2011, पृष्ठ–21।
7. अंसारी एम.ए (2007)। महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007, पृष्ठ–224।
8. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी (2006)। भारतीय वाङ्मय में नारी, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–24।
9. पांडेय करुणा (2008)। जाति वर्ग और महिला भेदभाव की नई दिशा, प्रथम संस्करण 2008, नेशनल परिलशिंग हाउस जयपुर, पृष्ठ–23
10. वर्मा सवलिया विहारी, पाण्डेय आभनारायण, (2004)। ग्रामीण विकास महिल्ना सशक्तिकरण, संस्करण 2004, प्रकाशन आविष्कार पटिलर्स डिस्ट्रोत्यूटर्स, जयपुर पृ.सं. 258
11. जिले की ऐतिहासिक विरासत व पहचान, पब्लिशिंग सम्वाद न्यूज कानपुर ब्यूरो अमर उजाला 16 सितम्बर, 2025
12. सहकारिता मंत्रालय। भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति और उनमें हो रहे बदलाव, PIB https//www.pib.gor.in
13. वाडकर सागर किसन (2023)। आर्थिक विकारन के लिये सहकारी उद्यमशीलता की मजबूत करना, पत्रिका योजना, अंक–7, जुलाई 2023, पृ.स–38
14. शर्मा, प्रेम नारायण, विनायक वाणी (2011)।, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, संस्करण 2011, प्रकाशक भारत बुक सेन्टर लखनऊ, पृ.सं. 115
15. शर्मा एस. (2021)। ग्रामीण भारत में सामाजिक न्याय और महिलाएं, पत्रिका, ग्रामीन विकास और सामाजिक न्याय 12 (3) 54–62.
16. सिंह निशान्त (2009)। भारतीय महिलाएं एक सामाजिक अध्ययन, ओ ओमेगा परिसकेशन्स, दिल्ली पृ.सं. 78
17. गुप्ता सुभाष चन्द्र (2005)। कार्यशील महिलाए एवं भारतीय समाज, संस्करण 2005, अर्जुन परिलशिंग के हाउस दरिया गंज दिल्ली पृ.सं. 153

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमारी, विमलेश एवं पाण्डेय, डॉ. रश्मि (2025)। सहकारी विकास के संदर्भ में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 35–39।

Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन

प्रतीक कुमार[1] डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[2]

1. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** iamkumarprateek@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148

सारांश

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह राज्य इतना बड़ा या विशाल है कि यह यूनाइटेड किंगडम के आकार का लगभग बराबर होता है। राज्य की आबादी भी अधिक है। यह इतना अधिक है कि राज्य की आबादी आसानी से कई यूरोपीय देशों की आबादी को पार कर जाती है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए एक मजबूत स्थानीय कृषि होना अनिवार्य है। स्थानीय कृषि को न केवल मजबूत होने की आवश्यकता है, बल्कि जीवंत होने की भी आवश्यकता है। राज्य में मजबूत औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता के आधार पर मजबूत कृषि की आवश्यकता को उचित ठहराया जा सकता है। राज्य में विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयाँ दैनिक मजदूरी और सफेदपोश मानव संसाधन के संदर्भ में रोजगार प्रदान करती हैं। ये मानव संसाधन औद्योगिक संपदाओं में केवल तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और इसके लिए राज्य के कृषि क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उचित खुराक की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे के लिए अतिसंवेदनशील हैं। सूखे की स्थिति में कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है और किसान की आय बुरी तरह प्रभावित होती है। पिछले सीजन में खराब फसल प्रदर्शन के कारण कम नकदी भंडार के कारण इस अगली फसल के लिए भी समस्या आती है। केसीसी मौसमी ऋण और निश्चित फसल बीमा के माध्यम से किसान की आय को बनाए रखने में मदद करता है। यह शोध कार्य राज्य के चित्रकूट जिले में केसीसी के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है जो अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 03 सितंबर, 2025 **स्वीकृत:** 27 अक्टूबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 18 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 25

मुख्य शब्द: ब्याज दर, वित्तीय समावेशन, वित्तीय पहुंच, वित्तीय सेवाएं, केसीसी।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : आर्थिक विकास के अध्ययन में वित्तीय साधनों की भूमिका हमेशा केंद्र में रही है। वित्तीय बाजार लेन–देन करने की लागत को कम करके यह सुनिश्चित करते हैं कि पूंजी उन परियोजनाओं को आवंटित की जाए जो उच्चतम रिटर्न देती हैं और विकास दर को बढ़ाती हैं। आर्थिक विकास में वित्तीय बाजारों के अनुभवजन्य महत्व को किंग एवं लेविन (1993), लेविन, लोएजा एवं बेक (2000) और बेक, लोएजा एवं लेविन (2000) सहित कई शोधपत्रों में स्पष्ट किया गया है। स्वतंत्रता की शुरुआत से ही पर्याप्त ऋण तक पहुँच का महत्व भारत में नीति निर्माण के केंद्र में रहा है। देश की पहचान एक बड़े कृषि क्षेत्र के साथ–साथ एक बड़े लघु–स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र से है, जो कुल मिलाकर रोजगार का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए ऋण तक पहुँच प्रदान करना बैंकिंग क्षेत्र की नीति का एक प्रमुख चालक रहा है और इसने बैंक राष्ट्रीयकरण और विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजनाओं के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया है। यह पत्र इस समस्या को संबोधित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति हस्तक्षेप के प्रभाव की जाँच करता है।

केसीसी योजना को भारत सरकार ने 1998–99 के बजट में अन्य अल्पकालिक कृषि ऋण योजनाओं के उलझे हुए जाल को हटाने के लिए पेश किया था जो लगातार बोझिल और अपर्याप्त होती जा रही थीं। सामंतरा (2010) ने पाया कि पहले की प्रणाली की विशेषता एक "बहु–उत्पाद, बहु एजेंसी प्रणाली" थी जो विशेष फसल, इनपुट आवश्यकताओं, मौसम, उधार के आकार आदि के आधार पर भिन्न होती थी, जिसके चलते एक किसान को खेती की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और जरूरतों के लिए कई ऋण आवेदन करने पड़ते थे। केसीसी योजना को ऋण की भूलभुलैया से दूर एक अधिक समेकित प्रणाली की ओर ले जाने के लिए पेश किया गया था जहां उधारकर्ताओं को कम मापदंडों के अधीन ऋण का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। यह संक्षेप में, "मांग ऋण" की पुरानी प्रणाली के विपरीत एक चक्रीय ऋण रेखा है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए आसान और समय पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस मॉडल योजना को आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। केसीसी का प्राथमिक उद्देश्य का किसानों को बीज, उर्वरक, और कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट खरीदने के लिए अल्पकालिक औपचारिक संस्थागत ऋण प्रदान करना और उन्हें साहूकारों के महंगे कर्जों से बचाना है। वर्ष 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाकर इसमें पारंपरिक फसल ऋण के अलावा किसानों की निवेश आवश्यकताओं तथा उपभोग ऋण आवश्यकताओं को भी शामिल कर लिया। केसीसी योजना अब भारत सरकार के वित्तीय समावेशन का खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुख्य तत्व बन गई है। दरअसल, वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि शत–प्रतिशत पात्र किसान इस योजना के अंतर्गत आ सकें। 2019 में इसका दायरा बढ़ाकर इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन को भी शामिल कर लिया गया। केसीसी के तहत किसान अपनी भूमि के आकार और फसल चक्र के आधार पर 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकता को पूरा करना, कटाई के बाद के खर्चों का प्रबंधन करना, किसान के परिवार की खपत की आवश्यकता को पूरा करना, कृषि से जुड़ी कृषि परिसंपत्तियों और गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आदि की आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। इस योजना को पूरे देश में वित्तीय संस्थानों के ऋण ढांचे के एक विशाल नेटवर्क की मदद से लागू किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), छोटे वित्तीय बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। जबकि ब्याज दर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार तय की जाती है।

यद्यपि किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता व्यक्तिगत किसान, संयुक्त उधारकर्ता, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह तक विस्तारित है। लेकिन वास्तव में, भूमिहीन किसानों को शायद ही कभी केसीसी मिलता है। आरबीआई की 2019 की रिपोर्ट में उद्धृत अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार, 'किराएदार किसान/बटाईदार/मौखिक पट्टेदार/भूमिहीन मजदूरों को उचित कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति और उनकी कृषि गतिविधि से संबंधित रिकॉर्ड की कमी के कारण संस्थागत ऋण तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।'

उपर्युक्त के दृष्टिगत हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले पर केसीसी के प्रभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जिला स्तर पर क्षेत्रीय उत्पादन या कुल मूल्य वर्धन के विश्वसनीय माप प्राप्त करना अधिक कठिन है। इसलिए हम उपलब्ध सीमित डेटा का उपयोग करके अपने विश्लेषण में कृषि उपज पर प्रभाव की जाँच करते हैं। हम शोध के दौरान मिले सरकारी अधिकारियों और बैंकरों के साथ अपनी चर्चाओं के आधार पर योजना पर कुछ विचार भी साझा करते हैं। डेटा और निष्कर्षों का वर्णन करने से पहले हम पहले केसीसी योजना पर थोड़ा और विस्तार से प्रासंगिक साहित्य पर चर्चा करते हैं।

2. साहित्य की समीक्षा : एक शोध करता का उचित मार्गदशन उसके विषय से संबंधित साहित्य ही कर सकता है क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि पुस्तके ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। विषय की गहराई तक पहुचने के लिए शोधकर्ता ने संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के पश्चात् ही गहन चिंतन कर विषय से संबंधित साहित्य के निष्कर्ष को समझा एवं अपने विषय से संबंधित लेखन एवं आकलन का ढांचा तैयार किया जाता है। संबंधित शोध साहित्य की समीक्षा किसी भी शोध अध्ययन का एक आवश्यक पक्ष होता है। किसी कार्य या तथ्य के बारे में बिना यह ज्ञात किए कि इसके पूर्व तथ्य संबंधी क्षेत्र या कार्य में क्या अध्ययन हुआ है। कुछ कहना या आगे बढ़ना

प्रायः अव्यवहारिक एवं विवेकपूर्ण होता है। साहित्य की समीक्षा न केवल महत्वपूर्ण चरों की प्राप्ति में सहायक होती है। अपितु पूर्व में संपादित अध्ययनों व प्रमुख बिंदुओ एवं कमियों को समझने की अन्तःदृष्टि प्रदान करता है।

मेहता एवं अन्य ने ग्रामीण भारत के केसीसी की भूमिका की जांच की। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केसीसी के कार्य का आकलन करना और सिफारिशें प्रदान करना था। यह पाया गया कि केसीसी किसानों के लिए उनकी जरूरतों को विवेकपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी ग्रामीण ऋण साधन था। यह सिफारिश की गई कि बैंकों को प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों के किसान भी कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

आर.डी. पाटिल एवं अन्य ने भारत में, केसीसी का एफआई को बढ़ावा देने में इसके प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया, यह देखकर कि कितने कार्ड जारी किए गए थे और विभिन्न बैंक समूहों द्वारा कार्डधारकों को कितना ऋण दिया गया था। यह पाया गया कि सभी प्रमुख बैंक समूहों ने केसीसी में पर्याप्त योगदान दिया, जिसने कम आय वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। यह पाया गया कि सहकारी बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह प्रस्तावित किया गया था कि सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके सहकारी बैंकों की रक्षा की जानी चाहिए।

पी. सरकार एवं अन्य ने असम के केसीसी के विकास और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। शोध का एक मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना था कि केसीसी योजना पूरे राज्य में इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है। अध्ययन के 80 प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करने के लिए एक संरचित सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य के सुस्त विकास के लिए प्राकृतिक आपदाओं, छोटी भूमि जोत, जटिल कागजी कार्रवाई, शिक्षा की कमी, भुगतान में चूक, अपर्याप्त ऋण राशि और बैंक कर्मचारियों के असहयोगी व्यवहार सहित विभिन्न कारकों को दोषी ठहराया गया। यह सिफारिश की गई थी कि किसानों को केसीसी के बारे में शिक्षित किया जाए और बैंकों को कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

एस. गांधीमथी एवं अन्य ने भारत के कृषि ऋण वितरण में केसीसीएस की भूमिका का आकलन किया। यह पाया गया कि वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ, कुल जमाराशियाँ, कृषि उत्पादन, आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक उधार और केसीसी का कार्यान्वयन आदि सभी निर्धारित करने में एफआई की प्रमुख भूमिका थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिगमन और लॉगिट विश्लेषणों ने प्रदर्शित किया कि केसीसी ने कृषि क्षेत्र में एफआई को विस्तारित किया है।

जे. नेरेला ने कृषि में केसीसी योजना के कार्यान्वयन की जाँच की। केसीसी को एक अभिनव और आम तौर पर सराहा जाने वाला उत्पाद माना गया, जिससे किसानों को लाभ हुआ। शोध से ज्ञात हुआ कि केसीसी योजना ने अच्छा सुधार प्रदर्शित किया, जिसमें केसीसी प्राप्तकर्ताओं ने सभी जाँच की गई फसलों पर प्रति हेक्टेयर बेहतर सकल रिटर्न प्राप्त किया। केसीसी का फसल ऋण से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि 72 प्रतिशत कृषि ऋण केसीसी के रूप में प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त यह सिफारिश की गई कि बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और अधिक किसानों को जोड़ने के लिए गांव स्तर पर अभियान चलाए जाएं।

शीला बी और राजशेखर एच ने स्पष्ट किया कि केसीसी कार्यक्रम एक कृषि ऋण वितरण उपकरण है जिसके कई फायदे हैं, जिसमें किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उन्हें समय पर ऋण देकर निर्वाह से वाणिज्यिक खेती की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना शामिल है। रिपोर्ट कर्नाटक के परिचालन केसीसी की संख्या और बकाया ऋण के विस्तार में भिन्नता को दर्शाती है। बकाया राशि के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों ने 2017–18 से 2021–22 तक की शोध अवधि का नेतृत्व किया, जबकि सहकारी बैंकों ने परिचालन केसीसी की संख्या के मामले में नेतृत्व किया।

रवानी एस. के. ने निष्कर्ष निकाला है कि केसीसी प्राप्तकर्ताओं में से अधिकांश के पास मध्यम से उच्च स्तर की वित्तीय स्थिति है, जबकि केसीसी गैर–लाभार्थियों के मामले में यह मध्यम से कम स्तर की है। यह पाया गया कि प्राप्तकर्ताओं और गैर–लाभार्थियों दोनों के पास मध्यम स्तर की जानकारी है, लेकिन दोनों श्रेणियों के सूचना स्तरों के बीच उल्लेखनीय अंतर है। यह भी पाया गया कि प्राप्तकर्ताओं के सूचना स्तर को बढ़ाने के साथ–साथ योजना के लाभों को प्राप्त करने में किसानों के सहयोग को बढ़ाने के लिए उचित तैयारी और विस्तार के तरीके अपनाए जाने चाहिए। यह केसीसी का उचित उपयोग करने और कृषि विभाग के सुधार के लिए भी सहायक होगा।

पटेल ने भारत में केसीसी की विशेषताओं और आवश्यकता को विस्तार से बताते हुए सिफारिश की कि ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर दोनों पर बैंकर्स समितियों को न केवल त्रैमासिक आधार पर केसीसी धारकों की संख्या की निगरानी करनी चाहिए, बल्कि स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई राशि की भी जांच करनी चाहिए, जिसका फसल उत्पादन पर सीधे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, फीडबैक, उपयोगिता और केसीसी योजना की प्रभावशीलता पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि इसे उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सके, बजाय देश में एक समान योजना को पेश करने के।

सिन्हा, संजय और पाटोले, मीनल ने अपने शोध पत्र में जिसका शीर्षक 'सूक्ष्म वित्त और वित्तीय सेवाओं की गरीबीः भारत में गरीबों की बेहतर सेवा कैसे की जा सकती है' में पाया कि देशभर में केसीसी खातों का वितरण काफी समान था और सभी प्रमुख बैंकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अध्ययन के दौरान बैंकरों के साथ चर्चा में यह सामने आया कि केसीसी उनके ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक उपयोगी वित्तीय उपकरण था और इसके वितरण में अच्छी प्रगति हुई थी।

श्रीराम, एम.एस. ने अपने शोधपत्र में जिसका शीर्षक है 'सूक्ष्म वित्त और राज्य सहयोग के क्षेत्र और संरचना का अन्वेषण' कहा कि 1998–99 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना बढ़ती रही और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती रही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं ने किसान क्रेडिट कार्डों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जारी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे किसानों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए, कार्ड के लिए 5000 रुपये की न्यूनतम सीमा को भी हटा दिया गया।

शंदिल्य, तपन कुमार एवं उमेश प्रसाद ने अपनी पुस्तक '**कृषि ऋण और नाबार्ड**' में कहा कि नाबार्ड ने देश में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष पुनर्वित्त और विकास संस्थान के रूप में कार्य किया है। ईमानदारी से यह कहा जा सकता है कि नाबार्ड का प्रदर्शन संतोषजनक है और इसके कार्य, नीति निपटान और व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में कुछ सुधार लाए जाएं तो इसे और अधिक कार्यात्मक बनाया जा सकता है। वास्तव में, नाबार्ड के पास अधिक संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य सरकार और जरूरतमंद किसानों को सीधे ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों का सक्रिय सहयोग मिलना आवश्यक है।

नागपुरे, एस.सी. एवं थकरे, ए.बी. ने 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना की एक झलक' का विश्लेषण किया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या के जारी होने की दर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह भारतीय किसानों के किसान क्रेडिट कार्डों के बारे में अधिक जागरूकता का परिणाम हो सकता है, जिससे उन्हें लाभ हुआ है। इसी कारण किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड अपनाने के लिए अधिक प्रतिक्रिया दी, इसी प्रकार बैंकों ने भी देश स्तर पर योजना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2.1. शोध अंतराल : चित्रकूट जिले के कृषि–प्रधान और बुंदेलखंड के भौगोलिक परिवेश में, 'किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के प्रभाव का अध्ययन' करने के लिए कई शोध अंतराल स्पष्ट रूप से उभरकर आते हैं, जिन पर भविष्य के शोध केंद्रित हो सकते हैं। पिछले अधिकांश अध्ययनों में केसीसी के माध्यम से औपचारिक ऋण की उपलब्धता पर जोर दिया गया है, लेकिन चित्रकूट जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे/सीमांत किसानों, महिला कृषकों और भूमिहीन पट्टेदारों के डिजिटल साक्षरता स्तर और केसीसी के डिजिटल उपयोग (जैसे– रुपे केसीसी कार्ड का उपयोग) के बीच के अंतर पर बहुत कम शोध हुआ है।

वर्तमान शोध साहित्य में अक्सर यह मान लिया गया है कि ऋण का मतलब वित्तीय समावेशन है। चित्रकूट जैसे सूखा–प्रवण क्षेत्र में, किसानों द्वारा केसीसी ऋण का उपयोग कृषि निवेशों के बजाय उपभोग, स्वास्थ्य आपात स्थितियों या पुराने कर्ज को चुकाने में किए जाने की संभावना पर शोध का अभाव है। इससे वास्तविक कृषि उत्पादकता पर केसीसी के शुद्ध प्रभाव का आकलन नहीं हो पाता। केसीसी योजना का एक मुख्य उद्देश्य किसानों को स्थानीय साहूकारों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों से मुक्त कराना था। चित्रकूट में केसीसी प्राप्त करने वाले किसानों की साहूकारों पर बची हुई निर्भरता और उनकी कर्ज–जाल की स्थिति का सटीक और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

चित्रकूट में काम कर रहे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर्यावर्त बैंक) और सहकारी बैंकों के माध्यम से केसीसी जारी करने की प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक बाधाएं जैसे भूमि के मालिकाना हक में विवाद, लंबी कागजी कार्रवाई और विलंबित वितरण, पर शोध अंतराल मौजूद है। चित्रकूट क्षेत्र में किसान अक्सर कृषि के साथ–साथ पशुपालन और डेयरी जैसे संबद्ध कार्यों में लगे होते हैं। इन विविध आय स्रोतों के वित्तीय समावेशन में केसीसी के बहुउद्देशीय उपयोग की प्रभावशीलता का अध्ययन अभी तक अपर्याप्त है।

विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं के शोधों का आकलन करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि शोधकर्ताओं द्वारा समीक्षित साहित्य में अध्ययन शामिल है परन्तु किसी भी अध्ययन में किसी लघु क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया है और किसी भी शोध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि केसीसी के कारण किसानो की आय में कितना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसलिए विद्यमान अंतराल के संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : शोध पद्धति एक व्यवस्थित ढाँचा और सिद्धांतों का समूह है जिसका उपयोग किसी शोध अध्ययन की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने में किया जाता है। इसमें उपयुक्त शोध

डिजाइन का चयन करना, शोध प्रश्नों या परिकल्पनाओं की पहचान करना और डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए उपयुक्त तरीकों का चयन करना शामिल है। शोधकर्ता प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए विशिष्ट तकनीकों, उपकरणों और साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। अध्ययन के तहत जनसंख्या के प्रतिनिधि उपसमूह का चयन करने के लिए नमूनाकरण विधियों का उपयोग किया जाता है। नैतिक विचार शोध के जिम्मेदार आचरण का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें प्रतिभागियों की सहमति और गोपनीयता जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यप्रणाली अध्ययन की कठोरता और दोहराव में योगदान देती है, जिससे इसकी समग्र विश्वसनीयता बढ़ती है। शोध प्रक्रिया में एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करना, परिणामों की व्याख्या करना और सार्थक निष्कर्ष निकालना शामिल है। एक ठोस कार्यप्रणाली का पालन करके, शोधकर्ता एक संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करते हैं, जो अंततः अपने क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति में योगदान देता है।

3.1. शोध डिजाइनः प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध डिजाइन को शोध पद्धति के रूप में नियोजित किया गया है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या समूह के लक्षणों को चिह्नित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें वर्णनात्मक शोधकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये अध्ययन अधिकारियों को उनके विकल्पों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। वर्णनात्मक अध्ययन का लक्ष्य किसी स्थिति का संपूर्ण और सटीक विवरण प्रदान करना है।

3.2. डेटा संग्रहः प्राथमिक डेटा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किसानों से एकत्र किया जाता है। द्वितीयक डेटा पुस्तकालयों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और वेबसाइटों सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है।

3.3. अध्ययन क्षेत्रः जनगणना 2011 के अनुसार चित्रकूट जिले की जनसंख्या 17,99,410 है, जिसमे 9,65,876 पुरुष तथा 8,33,534 महिलाएँ हैं। यह जनसंख्या लगभग गाम्बिया के बराबर है। जनसंख्या के अनुसार चित्रकूट भारत के 640 जिलों में स्थान 265 वाँ स्थान है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 408 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवासी (1,060 प्रति वर्ग किमी) है। जिले में 2001–11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत रही। जिले की लिंगानुपात 963 है तथा 66.67 प्रतिशत साक्षरता दर है। जिले की 15.32 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों तथा 84.68 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2024 में चित्रकूट जिले की अनुमानित जनसंख्या 13,08,800 है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले पर आधारित है। चित्रकूट जिले के गांवों के किसानों के मध्य सर्वेक्षण को किया गया है, तत्पश्चात सभी तथ्यों को समझकर विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावाली तैयार की गई है। तत्पश्चात उस प्रश्नावाली को लेकर उत्तर दाताओं से उनके उत्तरों को पूंछकर अथवा भरवा करे डट का संकलन किया गया है। आंकड़ों के संकलन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उत्तरदाताओं को प्रश्नों के उत्तर देने मे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।

4. आंकड़ों का विश्लेषण : आंकड़ों के विश्लेषण के तहत चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव संबंधी प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता द्वारा पहली बार मूल स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम शोध के विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और परिकल्पनाओं की पुष्टि या खंडन करते हैं। किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव संबंधी प्राथमिक आंकड़ों को मुख्य रूप से प्रश्नवार विश्लेषित किया गया है।

सारणी-1: लाभार्थियों के आयु वर्ग का विवरण

आयु वर्ग	उत्तरदाता	प्रतिशत
20-35	09	18.00
35-50	26	52.00
50 या अधिक	15	30.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-2: लाभार्थियों के शिक्षा का विवरण

शिक्षा वर्ग	उत्तरदाता	प्रतिशत
अशिक्षित	21	42.00
मध्यम शिक्षित	17	34.00
उच्च शिक्षित	12	24.00
कुल उत्तरदाता	50	100

उपर्युक्त सारणी–1 से स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों मे 20 से 35 वर्ष तक के आयु के लाभार्थियों की संख्या 09 है जिसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि इस उम्र तक अधिकांश लोग अपने माता–पिता के साथ मे कार्यशील होते हैं और उनका जीवन परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। 50 में से 26 लोग जिनकी आयु 35 से 50 वर्ष है अर्थात लगभग 52 प्रतिशत किसानो ने वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के अध्ययन में अपनी सहभागिता प्रदान की है। 50 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के 15 किसान अर्थात 30 प्रतिशत किसानो ने अपनी सहभागिता प्रदान की है तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उतरदाताओं की शैक्षिक स्थिति में अशिक्षित, मध्यम शिक्षित और उच्च शिक्षित शामिल हैं। सारणी–2 से स्पष्ट है कि कुल 50 उतरदाताओं में 21 अशिक्षित, 17 मध्यम शिक्षित और

12 उच्च शिक्षित हैं, जो कुल नमूने का क्रमशः 42 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हैं अर्थात अशिक्षित उतरदाताओं की सहभागिता अधिक है।

सारणी-3: परिवार की वार्षिक आय का विवरण

वार्षिक आय	उत्तरदाता	प्रतिशत
50000 तक	23	46.00
50000-100000	18	36.00
100000 या अधिक	09	18.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-4: केसीसी के उपयोग की अवधि

केसीसी अवधि	उत्तरदाता	प्रतिशत
1-3 वर्ष	14	28.00
3-5 वर्ष	25	50.00
5 वर्ष से अधिक	11	22.00
कुल उत्तरदाता	50	100

उपर्युक्त सारणी–3 से स्पष्ट है कि कुल 50 उतरदाताओं में 23 अर्थात 46 प्रतिशत की आय 50000 रुपए तक है। 18 उतरदाताओं अर्थात 36 प्रतिशत लोगों की आय 50000 से 100000 रुपए के बीच है। कुल 09 अर्थात 18 प्रतिशत किसानों की आय 100000 रुपए से अधिक है जिससे यह पता चलता है कि 50000 रुपए आय वाले परिवारों मे केसीसी की अधिक मांग है।

सारणी–4 में उत्तरदाताओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 14 अर्थात 28 प्रतिशत उत्तरदाता 1–3 वर्ष से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। 25 अर्थात 50 प्रतिशत उत्तरदाता 3–5 वर्ष से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। वहीं, 22 प्रतिशत उत्तरदाता 5 वर्ष से अधिक समय से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता पिछले 3–5 वर्षों से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। अपेक्षाकृत कम संख्या (28 प्रतिशत) में उत्तरदाता 1–3 वर्ष और 22 प्रतिशत 5 वर्ष से अधिक की अवधि से इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र में केसीसी का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में अधिक व्यापक हुआ है तथा अधिकांश किसान मध्यम अवधि के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं।

सारणी-5: केसीसी के उपयोग का विवरण

केसीसी के उद्देश्य	उत्तरदाता	प्रतिशत
खेती की अल्पकालिक आवश्यकता पूरी करना	13	26.00
कृषि निवेश की आवश्यकता को पूरा करना	09	18.00
कटाई बाद के खर्चों का प्रबंधन करना	06	12.00
कृषि की कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना	10	20.00
पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना	12	24.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-6: केसीसी से वित्तीय समावेशन की स्थिति

वित्तीय समावेशन	उत्तरदाता	प्रतिशत
गरीबी उन्मूलन में सहायता	09	18.00
आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता	12	24.00
सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि	11	22.00
साहूकारों से बचाव	08	16.00
बचत की आदत में वृद्धि	10	20.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–5 में उत्तरदाताओं द्वारा केसीसी के उपयोग के उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 13 अर्थात 26 प्रतिशत उत्तरदाता केसीसी का उपयोग खेती की अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। 12 अर्थात 24 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केसीसी का उपयोग करते हैं। 10 अर्थात 20 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि की कार्यशील पूंजी के प्रबंधन हेतु इसका उपयोग करते हैं। वहीं, 18 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा 6 अर्थात 12 प्रतिशत उत्तरदाता कटाई के बाद के खर्चों के प्रबंधन के लिए केसीसी का उपयोग करते हैं।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसान केसीसी का उपयोग मुख्यतः खेती की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक आवश्यकताओं तथा कृषि की कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जबकि कृषि निवेश एवं कटाई उपरांत व्ययों के लिए अपेक्षाकृत कम किसान केसीसी का उपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केसीसी किसानों की तात्कालिक कृषि एवं घरेलू वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

सारणी–6 में केसीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 12 अर्थात 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि केसीसी से आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिली है, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके बाद 11 अर्थात 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केसीसी के कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार केसीसी ने उनमें बचत की आदत को बढ़ावा दिया है। वहीं, 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इससे गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलने को स्वीकार किया है, जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केसीसी के कारण उन्हें साहूकारों पर निर्भरता से बचाव प्राप्त हुआ है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केसीसी ने किसानों के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही, यह गरीबी उन्मूलन में सहयोग करने तथा साहूकारों पर निर्भरता कम करने में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केसीसी किसानों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।

सारणी-7: केसीसी बनवाने में सुविधा की स्थिति

सुविधा की स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	23	46.00
नहीं	27	54.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-8: केसीसी से कृषि गतिविधियों में वृद्धि की स्थिति

कृषि गतिविधियों में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	36	72.00
नहीं	14	28.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–7 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 23 उत्तरदाताओं (46 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने में सुविधा प्राप्त हुई। वहीं 27 उत्तरदाताओं (54 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें केसीसी बनवाने में असुविधा हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को केसीसी बनवाने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः केसीसी संबंधी सुविधाओं एवं जागरूकता को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सारणी–8 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 36 उत्तरदाताओं (72 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के कारण उनकी कृषि गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 उत्तरदाताओं (28 प्रतिशत) ने इस बात से असहमति व्यक्त की है। इससे यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना ने अधिकांश किसानों की कृषि गतिविधियों को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। योजना के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और उत्पादन संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिली है।

यद्यपि केसीसी बनवाने में सभी किसानों को पर्याप्त सुविधा प्राप्त नहीं हुई, फिर भी अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी योजना ने कृषि गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए योजना की पहुंच और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाकर इसके लाभों को और अधिक किसानों तक पहुँचाया जा सकता है।

सारणी-9: केसीसी का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	43	86.00
नहीं	07	14.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-10: केसीसी से पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि

पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	37	74.00
नहीं	13	26.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–9 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 43 उत्तरदाताओं (86 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि 07 उत्तरदाताओं (14 प्रतिशत) का मानना है कि केसीसी का उनकी वित्तीय स्थिति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता केसीसी के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार अनुभव नहीं कर सके, हालांकि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने इसके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया। सारणी–10 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 37 उत्तरदाताओं (74 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के कारण उनकी ऋण पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं 13 उत्तरदाताओं (26 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी पुनर्भुगतान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों के लिए केसीसी ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक प्रबंधन क्षमता में सुधार हुआ है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर उत्तरदाताओं की राय मिश्रित है, फिर भी केसीसी ने अधिकांश किसानों की पुनर्भुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया है। इससे संकेत मिलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को ऋण प्रबंधन और समय पर पुनर्भुगतान में सहायता प्रदान करती है, जो दीर्घकाल में उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए लाभदायक हो सकती है।

सारणी-11: केसीसी से अनौपचारिक निर्भरता में कमी

अनौपचारिक निर्भरता	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	35	70.00
नहीं	15	30.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-12: केसीसी से आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि

आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	39	78.00
नहीं	11	22.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–11 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 35 उत्तरदाताओं (70 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के कारण उनकी अनौपचारिक ऋण स्रोतों (जैसे साहूकार, महाजन आदि) पर निर्भरता में कमी आई है। वहीं 15 उत्तरदाताओं (30 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के बावजूद उनकी अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कोई कमी नहीं आई। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुछ किसानों को केसीसी से औपचारिक ऋण सुविधा का लाभ मिला, फिर भी अधिकांश उत्तरदाता किसी न किसी कारणवश अभी भी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर हैं।

सारणी–12 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 39 उत्तरदाताओं (78 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों ने केसीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायक माना। समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसानों को खेती एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बाहरी व्यक्तियों पर कम निर्भर रहना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने अधिकांश किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय मिश्रित रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस दिशा में अभी और सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, केसीसी योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

सारणी-13: केसीसी से वित्तीय समावेशन की स्थिति			सारणी-14: केसीसी से कृषि उत्पादकता में वृद्धि		
वित्तीय समावेशन में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	कृषि उत्पादकता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	36	72.00	हां	37	74.00
नहीं	14	28.00	नहीं	13	26.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–13 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 36 उत्तरदाताओं (72 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के कारण वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है। जबकि 14 उत्तरदाताओं (28 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी से वित्तीय समावेशन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों को बैंकिंग सेवाओं, औपचारिक ऋण व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है। परिणामस्वरूप किसान औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अधिक जुड़े हैं और उनकी वित्तीय भागीदारी में सुधार हुआ है।

सारणी–14 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 37 उत्तरदाताओं (74 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वहीं 13 उत्तरदाताओं (26 प्रतिशत) ने बताया कि कृषि उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध होने के कारण उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा अन्य कृषि आदानों का उपयोग करने में सुविधा मिली, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में सकारात्मक सुधार हुआ।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केसीसी योजना ने किसानों के वित्तीय समावेशन और कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि केसीसी के माध्यम से उन्हें औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला तथा समय पर कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अतः यह कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा कृषि विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

सारणी-15: केसीसी से कृषि इनपुट निवेश में वृद्धि			सारणी-16: केसीसी से संस्थागत ऋण तक पहुँच में वृद्धि		
इनपुट निवेश में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	संस्थागत ऋण में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	33	66.00	हां	41	82.00
नहीं	17	34.00	नहीं	09	18.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–15 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 33 उत्तरदाताओं (66 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी प्राप्त करने के बाद उनके कृषि इनपुट निवेश (जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि) में वृद्धि हुई है। वहीं 17 उत्तरदाताओं (34 प्रतिशत) का मत था कि केसीसी से उनके कृषि इनपुट निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई। सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि केसीसी योजना के कारण कृषि इनपुट में निवेश

बढ़ा है। इससे यह संकेत मिलता है कि केसीसी किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में निवेश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

सारणी–16 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 41 उत्तरदाताओं (82 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी के माध्यम से उनकी संस्थागत ऋण तक पहुँच में वृद्धि हुई है, जबकि 9 उत्तरदाताओं (18 प्रतिशत) ने इस बात से असहमति व्यक्त की। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश (82 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी ने किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुँच को आसान बनाया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केसीसी योजना ने किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करने तथा बैंकिंग प्रणाली से सुलभ एवं औपचारिक ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक ओर इसने कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाने में सहायता की है (66 प्रतिशत), वहीं दूसरी ओर संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुँच को अधिक (82 प्रतिशत) सुदृढ़ किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना कृषि विकास, वित्तीय समावेशन तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

सारणी-17: केसीसी में ऋण राशि अपर्याप्तता की स्थिति

ऋण राशि की अपर्याप्तता	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	31	62.00
नहीं	19	38.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी-18: केसीसी में लचीलेपन का अभाव की स्थिति

लचीलेपन का अभाव	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	32	64.00
नहीं	18	36.00
कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–17 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 31 उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी के अंतर्गत प्राप्त ऋण राशि उनकी आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है। जबकि 19 उत्तरदाताओं (38 प्रतिशत) का मत था कि उन्हें प्राप्त ऋण राशि पर्याप्त है तथा उन्हें इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (62 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने केसीसी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण राशि को अपर्याप्त माना है। इससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान कृषि लागत एवं बढ़ते इनपुट व्यय की तुलना में केसीसी की ऋण सीमा कई किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रही है। अतः समय–समय पर ऋण सीमा का पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

सारणी–18 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 32 उत्तरदाताओं (64 प्रतिशत) ने माना कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में लचीलेपन का अभाव है। वहीं 18 उत्तरदाताओं (36 प्रतिशत) ने इस मत से असहमति व्यक्त की और कहा कि योजना में पर्याप्त लचीलापन उपलब्ध है। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश (64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी योजना में ऋण उपयोग, ऋण सीमा, पुनर्भुगतान अवधि अथवा अन्य प्रक्रियाओं में अपेक्षित लचीलापन नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसानों की बदलती आवश्यकताओं और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना को अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि केसीसी योजना किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, फिर भी इसकी कुछ व्यावहारिक सीमाएँ हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने ऋण राशि को अपर्याप्त तथा (64 प्रतिशत) ने योजना में लचीलेपन के अभाव को प्रमुख समस्या बताया। इसलिए केसीसी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, कृषि लागत के अनुरूप वित्तीय सहायता तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है।

5. परिणाम और परिचर्चा : प्रस्तुत शोध किसानों के वित्तीय समावेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड पर अध्ययन करके विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया है। कुल 50 किसानों की प्रतिक्रियाओं से संरक्षित प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक समंकों का विश्लेषण किया गया है ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से शोध के लक्ष्यों एवं शोध के महत्व को जान पाए एवं किसानों के वित्तीय समावेशन मे किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभावों का अनुमान लगा सके अथवा उन्हे जन सके।

किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ने एक अहम भूमिका तो निभायी ही है परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि सभी योजनाओं के अपने फायदे एवं नुकसान होते है। वैसे ही योजना मे सरकार द्वारा दी गई सुविधा का किसानों तक पहुंचकर कितनी प्रभावी भूमिका निभायी या यह उनके वित्तीय समावेशन मे किस प्रकार मददगार हुई इस पर सभी के अलग–अलग विचार हैं। प्रस्तुत शोध में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए हर किसान के पास उसके अपने अपने जवाब है, इन्ही सभी मतभेदों एवं विचारों मे असामंताओं को जानने समझने एवं उनके प्रभाव को दूर करके एक

सकारात्मक प्रभाव समझने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत शोध के लिए लगभग 30 प्रश्नों की एक प्रश्नवाली तैयार की गई है जिनमे प्रश्नों के कुछ विकल्प भी दिए गए है जिनको पढ़कर किसान अपने मत के अनुसार उत्तरों का जवाब दे सके। प्रस्तुत शोध में अनेक किसानों के उत्तरों को देखकर यह समझ आता है कि बहुत से ऐसे तथ्य है जिनका या तो किसान को ज्ञान नहीं है या उस तथ्य के बारे मे उन्हे अधूरा ज्ञान ही प्राप्त है जिस वजह से उन्हे असुविधा का सामना करना पड़ता है।

किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट दिया है। इससे वे महंगे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहते और लोन लेने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर अपनी जमीन गिरवी रखने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और समय पर लोन चुकाकर आकर्षक ब्याज दरों में छूट का फायदा उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। पहले, कई किसानों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं थी। लेकिन आज, लगभग सभी किसानों की न सिर्फ बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच है, बल्कि वे दी जाने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है और उनके खेती के कामों की प्रभावशीलता भी बढ़ी है।

फसल बीमा को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक मदद मिलती है। पहले, प्राकृतिक आपदाओं में फसल बर्बाद होने से किसानों की साल भर की मेहनत बेकार चली जाती थी। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फसल बीमा योजना की वजह से, अब उन्हें ऐसी स्थितियों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बीमा का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, किसान अपनी खास जरूरतों के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीज और खाद खरीदना या खेती के उपकरणों को अपग्रेड करना। नतीजतन, पैसे की कमी के कारण छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अब इधर–उधर भटकना नहीं पड़ता और वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसानों के लिए खेती–बाड़ी से जुड़े काम काफी ज्यादा लचीले और सुविधाजनक हो गए हैं।

केसीसी ने किसानों के लिए वित्तीय लेन–देन को आसान और पारदर्शी बना दिया है, जिससे उनकी बैंकिंग क्षमताएं बेहतर हुई हैं। डिजिटल समावेश की वजह से, किसान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। डिजिटल केसीसी के जरिए, किसान मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करने और पैसे ट्रांसफर करने जैसे लेन–देन कर सकते हैं। वे फसल बीमा, लोन से जुड़ी जानकारी और दूसरी सहायता सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल केसीसी के इस्तेमाल से किसानों को बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत कम हो जाती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। डिजिटल केसीसी किसानों को उनके लोन खातों और दूसरी जानकारियों का पारदर्शी ब्यौरा देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षित लेन–देन सुनिश्चित करते हैं, जिससे किसानों की वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहती है। किसानों को तकनीक से जोड़कर, डिजिटल केसीसी ने उनके जीवन को आसान और ज्यादा उत्पादक बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

केसीसी ने महिला किसानों को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में शामिल करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। केसीसी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस पहल के जरिए महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिली है, बल्कि उन्हें ज्यादा आर्थिक आजादी और खेती–बाड़ी में बेहतर भागीदारी भी मिली है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, केसीसी प्राप्त करने वाले किसानों की साहूकारों, आढ़तियों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों से भारी ब्याज दर पर ऋण लेने की निर्भरता में औसतन 55 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। केसीसी धारकों को कम ब्याज दर (4 प्रतिशत वार्षिक तक) पर ऋण केसीसी योजना से किसान हो रहे हैं, जिससे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता का वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है। प्राथमिक डेटा दर्शाता है कि समय पर ऋण की उपलब्धता से किसान बुवाई के समय उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक (जैसे डीएपी, यूरिया) और कीटनाशक खरीदने में सक्षम हुए हैं। इससे प्रति हेक्टेयर कृषि उपज में सीधे तौर पर 15–25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है, किसानों की आय और समृद्धि का स्तर बढ़ा है।

केसीसी धारकों बनाम गैर–केसीसी धारकों के प्राथमिक तुलनात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में, केसीसी का उपयोग करने वालों की ऋण लागत काफी कम थी, इससे वित्तीय समावेशन को बढाने में मदद मिली है। केसीसी के माध्यम से किसानों के अपने बैंक खाते सक्रिय हो गए हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं (जैसे बीमा और डिजिटल लेनदेन) में उनकी सीधी भागीदारी बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक ओर इसने कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाने में सहायता की है (66 प्रतिशत), वहीं दूसरी ओर संस्थागत ऋण तक

किसानों की पहुँच को और अधिक सुदृढ़ किया है (82 प्रतिशत)। अतः यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना कृषि विकास, वित्तीय समावेशन तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

प्राथमिक आंकड़ों में कुछ व्यावहारिक समस्याएँ भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए जटिल कागजी कार्रवाई एक बड़ी समस्या है। किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, को मूल भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करने में भारी कठिनाई होती है। ऋण राशि की अपर्याप्तता भी एक बड़ी समस्या है। अधिकांश छोटे किसानों की शिकायत होती है कि बढ़ती महंगाई और इनपुट लागत के अनुसार उनकी ऋण सीमा काफी कम है। लचीलेपन का अभाव एक बड़ी समस्या है। कई क्षेत्रों में बैंकों द्वारा केसीसी का नवीनीकरण समय पर नहीं किया जाता है, जिससे किसान साहूकारों के पास जाने को मजबूर होते हैं, परिणामस्वरूप किसानों की आय और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि केसीसी योजना किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, फिर भी इसकी कुछ व्यावहारिक सीमाएँ हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने ऋण राशि को अपर्याप्त तथा (64 प्रतिशत) ने योजना में लचीलेपन के अभाव को प्रमुख समस्या बताया। इसलिए केसीसी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, कृषि लागत के अनुरूप वित्तीय सहायता तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है। कुल मिलाकर, केसीसी वित्तीय समावेशन का एक बेहद मजबूत उपकरण है। हालांकि, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और डिजिटल रूप से ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों की आर्थिक जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने या खेती के लिए थोड़े समय के लिए पैसे जुटाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके बजाय, उन्हें कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाता है। इससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं, नया लोन पाने के लिए समय पर लोन चुका पाते हैं और ब्याज दरों में छूट का फायदा भी उठा पाते हैं। किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक रहा है। इसने ग्रामीण और छोटे किसानों को साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से निकालकर संस्थागत, किफायती (4 प्रतिशत तक ब्याज दर) और बिना गारंटी वाले ऋण तक पहुँच प्रदान की है। इसके उपयोग से कृषि निवेश, उत्पादकता और किसानों की वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का किसानों की वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पडा है।

केसीसी से अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता में कमी आई है, इसने किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण से बचाया है। किफायती ब्याज दरों पर ऋण मिलने से किसानों का वित्तीय बोझ कम हुआ है। समय पर ऋण की उपलब्धता ने किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक उपकरण समय पर खरीदने में सक्षम बनाया है। रुपे–सक्षम कार्ड और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लेनदेन और आसान निकासी की सुविधा ने किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को भी कवर किया गया है, जिससे किसानों की आय के स्रोत मजबूत हुए हैं।

कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीसी योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार किसानों को 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी और 3 प्रतिशत का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो क्रेडिट को सस्ता और सुगम बनाती है। किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को उनके कृषि गतिविधियों मे सहायता देने के साथ साथ उन्हे कृषि की आवश्यकतायों हेतु ऋण तो प्रदान करता ही है और उन्हे साथ ही बीमा योजना देता है जिससे कि उन्हे फसल के खराब हो जाने पर या प्राकृतिक आपदायों के कारण चिंतित होने की परेशानी का कम ही सामना करना पड़ता है। परंतु इन सभी सुविधायों के होते हुए भी कुछ अन्य समस्याएं भी है जिनको अगर ध्यान दिया जाए और उनका समुचित समाधान किया जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा।

शोध अध्ययन के दौरान, लगभग सभी किसानों ने यह राय दी कि ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कम दरें होने से लोन चुकाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से लोन चुकाने में अभी आ रही छोटी–मोटी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन सभी बैंकों ने अपने डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं किया है। इस डिजिटलीकरण को और व्यवस्थित बनाना एक बड़ा कदम होगा। इससे किसान आसानी से अपने अकाउंट की जानकारी देख सकेंगे और लेन–देन कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार–बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जीवन–यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए, केसीसी से मिलने वाला क्रेडिट किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा हैय इसलिए, किसानों की बदलती जरूरतों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने पर विचार करने की गुंजाइश है। किसानों को केसीसी के फायदों और इसके सही इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना बहुत जरूरी है। जानकारीध्जागरूकता की कमी के कारण अक्सर किसान जरूरी बातों से अनजान रह जाते हैंय जैसे कि समय पर लोन चुकाने पर मिलने वाली ब्याज दर में छूट आदि। केसीसी का इस्तेमाल खेती से संबद्ध कामों जैसे छोटे–मोटे बिजनेस के लिए करने की इजाजत मिलने से किसान केसीसी का इस्तेमाल छोटे स्तर के उद्यमों या हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. नाबार्ड (2016)। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन पर अध्ययन, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, 2016 ।
2. कुमार, वी. के. सोनकर एवं ए. के. एस (2021)। ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण देने के प्रभाव का आकलनरू पूर्वी भारत से साक्ष्य, 2021। doi:10.2499/p15738coll2.134240
3. तन्ना (2021)। सतत विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में डेटा एनालिटिक्स की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 9, नंबर VI, पेज 1157–1165, जून 2021।
4. के. पाटिल (2021)। पश्चिमी महाराष्ट्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि विकास, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 09, इश्यू 2, 2021।
5. आर. कुरुप (2021)। किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीः भारत में छोटे किसानों के लिए एक वरदान, इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 9, नंबर VI, पेज 5206–5208, जून 2021।
6. पाटिल, आर. डी. (2014)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 3, नंबर 5 (4), पृष्ठ 31–46।
7. सरकार, पी.य बर्मन, के. के. (2014)। असम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति और प्रदर्शनः कामरूप जिले में एक केस स्टडी, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज, वॉल्यूम 2, नंबर (3), पेज 101–105।
8. गांधीमथी, एस.य सुमैया, एम. (2015)। भारत में कृषि ऋण वितरण में किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 3, नंबर (2), पेज 464–472।
9. नेरेलाय जे. (2015)। किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिकारू भारत में कृषि, ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, वॉल्यूम 4, नंबर (5), पेज 167–168।
10. राजामोहन, एस.य सुभा, के (2014)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः वित्तीय समावेशन का एक पहलू, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वॉल्यूम 3, नंबर 10, पेज 234–236, 2014।
11. एस. आर. सामंतरा (2017)। अरुणाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशनः आंकड़ों के पीछे की सच्चाई, भारत में असमानता, गरीबी और विकास, पेज 145–158, 2017।
12. एम. सुमैया और एस. गांधीमथी (2015)। कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव, एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 5, नंबर 2, पेज 175, 2015।
13. रीतू (2015)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के रुझान और प्रगति, ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, वॉल्यूम 4, नंबर (9), पेज 329–331।
14. रहीम (2020)। तमिलनाडु की कृषि अर्थव्यवस्था में किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी और गैर–लाभार्थी किसानों को तय करने वाले कारकः कॉब–डगलस मॉडल का एक अनुप्रयोग, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड फाइनेंशियल रिसर्च, वॉल्यूम 1, नंबर 1, पेज 9–15, नवंबर 2020।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–51।

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका का अध्ययन

सुरेन्द्र कुमार[1], योगेन्द्र कुमार कुशवाहा[2]

1. **शोधार्थी (वाणिज्य),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थी (अर्थशास्त्र),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** surendra531998@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425410

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इन क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के लिए सहकारिता एक प्रभावी संस्थागत माध्यम के रूप में उभरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसानों, कारीगरों और मजदूरों को संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता, उचित बाजार, और बिचौलियों से मुक्ति दिलाती है। सहकारिता सहकार से समृद्धि के मंत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए साख सहकारी समितियां सदस्यों को उचित ब्याज दर पर कृषि और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करती हैं। किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में सहकारी संस्थाएं (जैसे पैक्स) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विपणन सहकारी समितियां किसानों की उपज को सीधे बाजारों में बेचकर बिचौलियों को खत्म करती हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। सहकारिता द्वारा हथकरघा, खादी, और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों और कारीगरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। सहकारी संस्थाएँ न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, रोजगार सृजन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शोध पत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 23 सितंबर, 2025	**स्वीकृत:** 07 नवंबर, 2025	**प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025
सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 14
मुख्य शब्द:	ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, ग्रामीण रोजगार, सतत विकास, समितियां।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना में सहकारिता एक आधारभूत स्तंभ है, जो कृषि ऋण, विपणन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अवसंरचना विकास (भंडारण/परिवहन) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैक्स (पीएसीएस) जैसे सहकारी संगठन स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, किसानों को किफायती इनपुट (बीज, खाद) और उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण लाते हैं। ग्रामीण भारत देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ है। स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें सहकारिता आंदोलन को विशेष महत्व दिया गया। सहकारिता का मूल सिद्धांत पारस्परिक सहयोग, लोकतांत्रिक प्रबंधन और सामूहिक लाभ पर आधारित है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बनी हैं।

2. सहकारिता की अवधारणा : सहकारिता का आशय 'मिलजुल कर साथ–साथ कार्य करने' से है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। इसके सदस्य समानता और आपसी सहयोग के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से सामूहिक विकास (पारस्परिक हित) के लिए कार्य करते हैं। इस तरह सहकारिता एक प्रकार की व्यावसायिक संरचना को संदर्भित करता

है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। सहकारी संस्थाएँ लाभ से अधिक सेवा को प्राथमिकता देती हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें गहरी हैं, विशेष रूप से कृषि ऋण, विपणन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण बैंकिंग के क्षेत्र में।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना : ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योगों (हस्तशिल्प) पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का वर्चस्व है। हाल के वर्षों में, गैर–कृषि गतिविधियां (जैसे निर्माण, सेवाएं) तेजी से बढ़ रही हैं और अब ग्रामीण आय का लगभग दो–तिहाई हिस्सा गैर–कृषि क्षेत्र से आता है। इसके अलावा, यह प्रणाली ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन उपयोग और 70 प्रतिशत श्रम बल को रोजगार प्रदान करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. प्राथमिक क्षेत्र में कृषि (खेती), पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन शामिल हैं, जो ग्रामीण जीवन और आय का मुख्य आधार हैं। भारत में छोटे और सीमांत किसान कृषि आबादी का 86 प्रतिशत हिस्सा हैं।
2. गैर–कृषि क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए गैर–कृषि गतिविधियों का महत्व बढ़ रहा है। इसमें लघु उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण विनिर्माण और व्यापार शामिल हैं।
3. तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, ग्रामीण बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसी सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, वन एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों पर आधारित है, जबकि इन सभी क्षेत्रों में सहकारिता ने संगठित ढाँचा प्रदान कर उत्पादकता और आय में वृद्धि की है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संकट, छोटे किसानों के पास कम भूमि, मौसमी रोजगार और बुनियादी ढांचे (विद्युत, पानी, स्वास्थ्य) की कमी जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। इसलिए सहकारिता की भूमिका का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका :

4.1 कृषि क्षेत्र में सहकारिता : कृषि सहकारी समितियाँ किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण तथा विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होता है।

4.2 ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन : ग्रामीण सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ छोटे और सीमांत किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करती हैं। इससे साहूकारों के शोषण में कमी आई है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।

4.3 रोजगार सृजन में सहकारिता : सहकारी संस्थाएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार सृजित करती हैं। डेयरी, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं।

4.4 महिला सशक्तिकरण में सहकारिता : महिला सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे सामाजिक स्थिति में सुधार और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

4.5 सतत एवं समावेशी विकास : सहकारिता संसाधनों के सामूहिक उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देती है। यह मॉडल पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास तीनों को एक साथ साधने में सहायक है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की प्रमुख उपलब्धियां : भारत में सहकारिता आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में किसानों को कम ब्याज पर ऋण, उर्वरकों और बीजों की उचित आपूर्ति, उत्पाद का बेहतर विपणन, दुग्ध उत्पादन (अमूल) में आत्मनिर्भरता, और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति शामिल है, जो ष्सहकार से समृद्धि ष के लक्ष्य को बढ़ावा दे रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने संस्थागत साख की उपलब्धता को बढ़ाया है। सहकारी समितियों ने साहूकारों पर निर्भरता को कम किया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता कृषि विकास और आपूर्ति को बढ़ाया है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उचित दरों पर मिलते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ाया है। फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सहकारी विपणन समितियां (जैसे नाफेड) किसानों की उपज का विपणन करती हैं। साथ ही, चीनी मिलें और दुग्ध समितियां प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने रोजगार सृजन को बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां, जैसे मत्स्य पालन, बुनाई और श्रम समितियां, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाना, शीत भंडारण की सुविधा और ग्रामीण विद्युतीकरण में सहकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। अमूल के नेतृत्व

में सहकारी डेयरी आंदोलन ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है, जिससे लाखों ग्रामीण महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया गया है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन उचित मूल्य पर मिलता है। इस तरह, सहकारी आंदोलन ने किसानों, लघु कारीगरों और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन की प्रमुख चुनौतियाँ : भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप, पेशेवर प्रबंधन की कमी, अपर्याप्त पूंजी और सदस्यों में जागरूकता के अभाव जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ने सहकारिता की स्वायत्तता को कम कर दिया है, जिससे ऋण की धीमी उपलब्धता और प्रशासनिक अकुशलता के कारण यह आंदोलन अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया है।

सहकारी समितियों में अक्सर राजनेताओं का वर्चस्व होता है, जिससे वे अपनी स्वायत्तता खो देती हैं और सदस्यों के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। सहकारी संस्थाओं में कुशल और पेशेवर प्रबंधकों की कमी है, जिसके कारण इन संस्थानों का संचालन और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अक्सर देखा गया है कि सहकारी समितियों के पास ऋण देने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी होती है और वे सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा सरकारी निकायों द्वारा अत्यधिक निगरानी के कारण समितियां स्वायत्त रूप से काम नहीं कर पातीं हैं।

जागरूकता का अभाव भी सहकारिता के विस्तार में बाधक रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सहकारिता के नियमों, सिद्धांतों और सहकारिता के फायदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप समितियों का लाभ अक्सर छोटे किसानों की तुलना में धनी और प्रभावशाली ग्रामीण लोगों को अधिक मिलता है। पुरानी तकनीकों के इस्तेमाल और तकनीकी पिछड़ापन के कारण इन समितियों की उत्पादन और विपणन दक्षता कम होती है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप सहकारिता का जो असली उद्देश्य 'समानता और सामूहिक विकास' है, वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशन और सतत विकास के लक्ष्यों को भी साकार करती है। वर्तमान चुनौतियों के समाधान और आधुनिक तकनीकों के समावेशन से सहकारिता भविष्य में ग्रामीण भारत के विकास की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। हालांकि, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहकारिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि सरकारी नीतियाँ और सामुदायिक भागीदारी एक साथ आगे बढ़ें, तो सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत विकास की मजबूत आधारशिला बन सकती है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. अग्रवाल, ए. (2018)। भारत में ग्रामीण विकास और सहकारिता। अटलांटिक पब्लिशर्स नई दिल्ली।
2. शर्मा, आर. के. (2020)। सहकारी आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
3. सिंह, बी. पी. (2019)। ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका। भारतीय अर्थशास्त्र समीक्षा, 12(2), 45–58।
4. मिश्रा, एस. (2017)। ग्रामीण भारतः समस्याएँ और संभावनाएँ। वाराणसी चौखंबा प्रकाशन।
5. यादव, डी. के. (2021)। कृषि सहकारिता और किसानों की आय। कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 18(1), 33–47।
6. भारत सरकार. (2022)। राष्ट्रीय सहकारिता नीति। नई दिल्लीरू सहकारिता मंत्रालय।
7. पांडेय, एम. (2018)। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। समाज विज्ञान शोध, 10(3), 61–72।
8. वर्मा, के. एल. (2016)। ग्रामीण वित्त और सहकारी बैंकिंग। नई दिल्ली प्रभात प्रकाशन।
9. सिंह, एन. एवं कुमार, आर. (2020)। ग्रामीण रोजगार सृजन में सहकारिता। ग्रामीण अध्ययन जर्नल, 7(2), 89–101।
10. चौधरी, ए. (2019)। सतत विकास और सहकारी मॉडल। पर्यावरण एवं विकास, 5(1), 22–34।
11. भारत सरकार (2021)। आर्थिक सर्वेक्षण। नई दिल्ली वित्त मंत्रालय।
12. त्रिपाठी, एस. (2017)। सहकारिता : सिद्धांत और व्यवहार। इलाहाबाद लोकभारती प्रकाशन।
13. गुप्ता, पी. (2020)। ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहकारिता की भूमिका। भारतीय ग्रामीण विकास, 9(4), 55–68।
14. कुमार, ए. (2018)। ग्रामीण विकास में संस्थागत ढाँचे. समकालीन भारत, 6(2), 40–52।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, सुरेन्द्र एवं कुशवाहा, योगेन्द्र कुमार (2025)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 52–54।

Bundelkhand Journal of Academic Research

A Study of the Impact of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

Shiv Kumar[1], Dr. Vinod Kumar[2],

1. Research Scholar (Economics), Department of Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh. 2. **Associate Professor & Research Supervisor,** Department of Economics, Government Model College Piprahari, Tindwari, Banda, Uttar Pradesh: 210123

(**Corresponding Author:** shivkumar25678@rediffmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425547

Abstract

A house is a basic necessity for humankind. But to own or to live in a good house is still a distinct dream for many Indians especially among the low income groups. Despite of having several public housing programmes in place, the housing still remains a challenge. The paper attempts to analyze one such scheme, Pradhan Mantri Awas Yojna- Gramin which is a flagship programme of the Central government of India initiated with a mission to provide affordable housing for all. It is addressed at the rural poor under which it will provide pucca houses with all the basic facilities including a hygienic kitchen to those living in kutcha houses. Housing is a part of basic need of human being. Besides, being basic need housing plays a positive role in economic development of the country. Housing is an important part of the physical and social environment where individual grows and matures as a good citizen. Housing also play an important role in human life like providing employment, social stability etc. This paper discusses about the effect of Pradhan Mantri Awas Yojana on the lives of Rural Areas. Many programmes have been introduced by the central and state government regarding marketing, trading, providing subsidies, grants, health measures, education etc which aimed to improve the standard of living of the Rural Areas community. The study is concentrated to analyze the impact of PMAY (Housing scheme) programme on changing the standard of living among the Rural Areas community.

Article Info			
	Received: 13 Sept, 2025	**Accepted:** 27 October, 2025	**Published:** 31 Dec, 2025
	Table: 07	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 23
	Keywords: PMAY-G, Rural Areas, Public Housing, SECC, Awas Yojna.		

Introduction: Public housing programme in the country started with the rehabilitation of refugees' immediately after independence and since then, it has been a major focus area of the Government as an instrument of poverty alleviation. Rural housing program, as an independent programme, started with Indira Awaas Yojana (IAY) in January, 1996. Although lAY addressed the housing needs in the rural areas, certain gaps were identified during the course of performance audit in 2014. These gaps include non-assessment of housing shortage, lack of transparency in selection of beneficiaries, low quality of house and lack of technical supervision, lack of convergence, loans not availed by beneficiaries and weak mechanism for monitoring, were limiting the impact and outcomes of the programme. In order to address these gaps in the rural housing program and in view of Government's commitment to provide "Housing for All" by 2022, the scheme of IAY has been restructured into Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAYG).

In 2015, the Government of India (GOI) launched the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) scheme to provide 'Housing for All' by 2022. More than seven years have passed since the launch of the scheme and we are way past the initial deadline. At this juncture, it becomes pertinent to understand the housing ecosystem, the role, the scheme's performance and its limitations, and the way forward.

In order to achieve the target of "Housing for All" in rural areas, the Ministry of Rural Development is implementing Pradhan MantriAwaasYojana- Gramin (PMAY-G) with effect from 1 st April, 2016 to provide assistance to construct 2.95 crore pucca houses with basic amenities. During the period of Covid-19 pandemic induced nation-wide lockdown, all construction activities including construction of houses under PMAY-G were also affected which retarded the pace of construction of PMAY-G houses. Besides, the delays are also due to delay in release of Central & State Share from State Treasury to State Nodal Account of PMAYG, cases of unwillingness of beneficiaries, migration, disputed succession of deceased beneficiaries, delay in allotment of land to landless beneficiaries by the States/UTs, at times General/Assembly/Panchayat elections, and unavailability of building materials. Therefore, on the requests of the States/UTs, the timeline for completion of PMAY-G has been extended from March, 2022 to March, 2024.

Under PMAY-G, people are not required to register to get benefits. Instead, the beneficiaries under PMAY-G are identified on the basis of housing deprivation parameters and exclusion criteria prescribed under Socio Economic Caste Census (SECC)-2011. The overall target of 2.95 crore was arrived at on that basis. The auto generated priority list of households from SECC, 2011 database was provided to the States/Union Territories for conducting verification by Gram Sabhas followed by an appellate process. The number of eligible beneficiaries thus made available through SECC database currently stands at 2.08 crore (approx.). Thereafter, the Government conducted Awaas+ survey to identify those beneficiaries which claimed to have been left out under the 2011 SECC and thus prepared an additional list of potential beneficiaries. In order to fill the gap between overall target of PMAY-G and beneficiaries available through SECC 2011, Awaas+ data is being utilized. A target of 87 lakh (approx.) houses has been allocated to the States/UTs from Awaas+ list.

Review of Literature:

(Anand, 2017) in his study titled: 'Housing for the Poor and the Impact of IAY in Rural India: Present Context' has analyzed the impact of housing for rural poor in India in rural poverty eradication with reference to the major housing scheme of the Indian government i.e., Indira Awaas Yojana (IAY). It is based on the secondary data. He argues that rural housing has been marginalized both in wider policy discussions as well as within the debate on rural issues because rural housing needs are generally subordinated to urban housing needs in policy priority. Yet housing is essential for the well-being and social security of rural households.

(Kumar K. K., 2016) in his research paper titled: 'Impact of Rural Housing Schemes on Human Development in India – An Analysis' has analysed the problems of rural housing programmes on human development in Karnataka taking into account, besides IAY, other major programmes of the Government of India. This study argues that housing is known to have multiple linkages with the rest of the economy and investments in housing have orchestrated impact in the region and on the broader economy. This paper intends to analyze the various major housing schemes of the Government of India. It is based on the secondary data. The authors have attempted to explain the multiplier effect of housing programme to the weaker sections of the population in Karnataka. They have found that the State Government of Karnataka has been very pro-active in creating a multiplier effect combining IAY with other major development programmes in order to gear up human development efforts in the state.

(Kumar, June,2014) has made a review of work of the Working Group on Rural Housing for the Twelfth Five-Year Plan, which was published in Economic and Political Weekly (Vol.49, Issue No.26-27). The working Group has estimated the rural housing shortage in India to be 43.13 million in 2012. Using the latest data sets - Census 2011 and the National Sample Survey housing condition round for 2008-09 - and the improved methodology used by the technical group on urban housing shortage, this paper re-estimates the rural shortage to be 62.01 million in2012. Households living in temporary houses and in congested conditions were found to be mainly responsible for the rural housing shortage. The results suggest the need for holistically focusing on eradicating shelter deprivation in rural India and contributing to an enhancement of the quality of life of the people.

Kumar K. K. (2016) one of the recent studies conducted on the impact of rural housing within the realm of human development. Kumar also linked the housing scheme with larger rural economy. He took the detail study of some villages of Karnataka and try to establish an argument that housing project has multiplying connectivity with other policies and scheme which need to be viewed in the pretext of human development. PMAY-G can be one of that schemes which through its mechanism or provision of convergence can help in bringing appropriate assessment of many policies for the benefit of rural poor. One of the main concerns affecting rural development is bringing about a qualitative change in lives of rural poor through scheme convergence within and across ministries. The Habitat Development Working Group on Rural Housing (12th Five Year Plan, 2011) came with a recommendation that a 'hamlet' should be treated the 'unit of convergence' rather than a village. Convergence of IAY with schemes delivering other elements of a holistic habitat such as sanitation, water supply, domestic energy and insurance cover need to be strengthened. Convergence also needs to be explored with MGNREGA and Backward Regions Grant Fund (BRGF) for physical development of habitats.

Development Facilitators, (2009), New Delhi has conducted an evaluation of rural housing programme (IAY) under Economic Stimulus Package (ESP) in selected Naxal Affected districts in Jharkhand, Bihar and Odisha. This study has been carried out for the Research Division of NITI Aayog, GoI, New Delhi. The study found that earning of respondents in post ESP regime was noted to have increased marginally, and the proportion of beneficiaries not meaningfully engaged in any activity prior to ESP intervention noted to be declined after getting an IAY house; (ii) Increased scope for work opportunities were reported as beneficiaries were engaged inconstruction activities of other fellow IAY beneficiaries, 44% reported scope for exposure to other avenues of employment as women IAY beneficiaries were engaged in small business activities by becoming members in Self Help Groups (SHGs); (iii) Other valued non-monetary outcomes perceived by a majority of beneficiaries was reduction of discomforts or inconveniences after having pucca units and indicating possession of pucca IAY dwelling units had impacted sustainable living; (iv) Augmentation of social security was indicated to be one of the impacts as migration by younger people leaving behind elderly persons was reduced after possession of IAY houses. Increased wage employment opportunity nearby through MGNREGS was stated to have diminishing effects on seasonal migration of adolescents and youths; (v) Use of savings to better health of household members by ensuring sanitation and drinking water within households. Over-all, the level of satisfaction owing to possession of IAY units depicted positive valuation of dwelling units by respondents in terms of fostering societal rejuvenationand improved social status.

Studies conducted have focused on 'benefits of rural housing programme as a component in some other larger studies or social impact of housing with specific indicators. New PMAY – the revised / revamped rural housing programmes - has not been studied for its socio-economic impact on the rural poor. Hence, this study is taken up.

Key Features of PMAY-G:

- Providing assistance for construction of 2.95 crore houses in rural areas over the period 2016- 17 to 2023-24.
- The minimum unit (house) size enhanced from 20 sq. mt. (under IAY) to 25 sq. mt, including a dedicated area for hygienic cooking.
- Enhancement of unit assistance from Rs. 70,000 to Rs. 1.20 lakh in the plains and from Rs 75,000 to Rs.1.30 lakh in Hill States/UTs, North Eastern States, difficult areas and Integrated Action Plan (IAP)districts.
- The cost of unit (house) assistance is shared between Central and State Governments in the ratio 60:40 in plain areas and 90:10 for North- Eastern and 2HillStates (Himachal Pradesh and Uttarakhand) and UT of Jammu and Kashmir. In respect of other Union Territories, 100% cost is borne by the Government of India.
- Provision of assistance (Rs. 12,000/-) for toilets through convergence with Swachh Bharat Mission - Gramin (SBM-G), MGNREGS or any other dedicated source of funding.
- Provision of 90/95 persondays of un-skilled wage labour under MGNREGS for construction of house, over and above the unit assistance.
- Identification and selection of beneficiaries, based on the housing deficiency and other social deprivation parameters in SECC-2011 data and finalised Awaas+ lists, and verified by the respective Gram Sabhas.
- The beneficiaries of PMAY-G, in addition to being provided financial assistance, are also offered technical assistance in the construction of quality house.
- If the beneficiary so chooses, he/she will be facilitated to avail loan of up to Rs.70,000/- from Financial Institutions.
- Special Projects, to be sanctioned by the Ministry of Rural Development after the approval of the Empowered Committee.
- Convergence with other Government schemes for provision of basic amenities viz. toilet, drinking water, electricity, clean & efficient cooking fuel, treatment of solid and liquid waste etc.
- All Payments/Transfer of assistance to beneficiaries to be done only electronically to their Bank/Post office accounts that are linked to Aadhaar with consent.
- Sensitisation of the beneficiaries on PMAY-G.
- Focus on construction of quality houses by the beneficiaries, encouraginguseoflocally available construction materials andappropriate house design typologies and trained rural masons.
- Adoption of saturation approach Gram Panchayat, Block or District as unit, wherever possible.
- Orienting PMAY-G beneficiaries towards the processes, financial assistance mechanism, appropriate house designs, suitable construction materials, green technologies and convergence with other schemes.
- To ensure quality of houses constructed, pan India training and certification programmes for rural mason.
- Bouquet of house design options with disaster resilience features according to local conditions, using appropriate technology suitable to their region are made available to the beneficiaries.
- The programme is being implemented and monitored through end-to-end e-governance solutions, viz. AwaasSoft and AwaasApp.

Performance of PMAY-G: The PMAY-G has a target of completing 2.70 crore new houses with all basic amenities by 2022. According to the government, 1.83 crore (or 68 percent) houses are complete. In other words, 0.87 crore (or 32 percent) houses are unfinished or are in different stages of completion. The scheme is lagging in terms of its targets; one reason can be attributed to the COVID-19 pandemic. However, the scheme's performance was poor before the onset of the pandemic. Therefore, on the requests of the States/UTs, the timeline for completion of PMAY-G has been extended from March, 2022 to March, 2024.

Against the mandated target of construction of 2.95 crore houses under PMAY-G, the Ministry has allocated a target of 2.94 crore houses to the States/UTs. Of these, the States/UTs have sanctioned 2.85 crore houses to the beneficiaries and 2.22 crore houses have already been completed till 24.03.2023. The State-wise details of Targets allocated, houses sanctioned and houses constructed are given in **Table-1**.

Table-1: State-wise details of Targets allocated, Houses sanctioned and houses constructed under PMAY-G **as on 24.03.2023** (Units in Nos.)

S.No	Name of the State/UT	Targets Allocated	Houses sanctionedby States/UTs	Houses Completed
1	Arunachal Pradesh	38,384	36,255	12,555
2	Assam	20,84,070	18,29,972	10,96,571
3	Bihar	38,64,565	37,03,934	35,18,034
4	Chhattisgarh	11,76,150	11,76,061	8,55,349
5	Goa	1,707	257	143
6	Gujarat	6,33,772	5,80,069	4,04,610
7	Haryana	30,789	29,341	24,277
8	Himachal Pradesh	15,483	15,451	12,256
9	Jammu and Kashmir	2,01,230	1,99,454	1,39,502
10	Jharkhand	16,03,268	15,92,824	14,70,091
11	Kerala	42,212	35,231	27,898
12	Madhya Pradesh	37,76,584	37,58,218	33,23,106
13	Maharashtra	14,71,359	14,13,423	10,28,847
14	Manipur	46,166	43,308	20,020
15	Meghalaya	80,848	70,113	35,171
16	Mizoram	20,518	20,512	6,524
17	Nagaland	24,775	22,987	5,873
18	Odisha	26,95,837	26,51,822	17,17,399
19	Punjab	41,117	40,322	27,270
20	Rajasthan	17,33,959	17,20,379	16,02,365
21	Sikkim	1,409	1,409	1,102
22	Tamil Nadu	8,17,439	7,80,116	4,99,862
23	Tripura	2,82,238	2,56,175	2,11,956
24	Uttar Pradesh	34,78,718	34,72,518	26,06,934
25	Uttarakhand	47,654	46,771	27,976
26	West Bengal	46,18,847	45,70,344	33,99,627
27	Andaman and Nicobar	1,631	1,347	1,195
28	DN Haveli &Daman Diu	6,831	6,343	3,451
30	Lakshadweep	53	53	44
31	Andhra Pradesh	2,56,270	2,46,425	48,857
32	Karnataka	3,07,746	1,86,575	1,01,678
33	Ladakh	1,992	1,906	1,429
	Total	**2,94,03,621**	**2,85,09,915**	**2,22,31,972**

Sources: GOI (2023), 'Performance of Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin' answered by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in Rajya Sabha Session-259, Unstarred Question No.3331 on 29.03.2023
*Puducherry and Telangana are not implementing the scheme.

The number of houses completed under Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAY-G) from 2017-18 to 2023-24 (as on 24.8.2023) are 2.36 crore. The States/Union Territories (UTs) wise details of completed from 2017-18 to 2023-24 under PMAY-G is given in **Table-2.**

Table-2: Year wise Houses completed in india (Units in Nos.)

as on 24.8.2023

S.No.	State Name	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2016-2024
1	Arunachal Pradesh	0	85	747	2417	992	9344	7568	21153
2	Assam	26059	159017	84009	130879	117694	801266	36538	1355466
3	Bihar	28135	581827	376216	942615	508363	1123989	39996	3601142
4	Chhattisgarh	365867	341378	34587	59684	23289	32308	25789	883038
5	Goa	0	22	3	87	19	12	52	195
6	Gujarat	95280	83096	35589	50742	77263	64244	31507	437733
7	Haryana	6675	5961	6670	1215	263	3384	199	24368
8	Himachal Pradesh	3504	3096	447	605	1884	3555	1463	14555
9	Jammu and Kashmir	1966	13850	5016	21569	42515	53477	3586	141979
10	Jharkhand	188296	272678	156974	235011	295036	351597	30361	1529978
11	Kerala	9444	6519	779	686	2440	8801	2580	31297
12	Madhya Pradesh	636365	700447	272863	261254	606303	973102	69686	3520172
13	Maharashtra	145630	201968	92276	181700	179021	283799	32056	1116669
14	Manipur	66	7655	1151	2379	3626	7333	142	22352
15	Meghalaya	260	11329	4995	5016	7009	6913	2936	38458
16	Mizoram	1333	900	997	1123	1158	1020	851	7382
17	Nagaland	0	17	3687	535	0	2401	931	7571
18	Odisha	431669	403127	361187	395105	97143	25417	4177	1718268
19	Punjab	608	12751	410	3908	5473	7652	299	31101
20	Rajasthan	317728	326593	166764	315480	141345	350891	9234	1628143
21	Sikkim	372	646	34	13	5	41	75	1186
22	Tamil Nadu	78680	104388	49986	51868	57322	171301	34654	548199
23	Tripura	3333	20690	6155	15462	1639	166851	9697	223827
24	Uttar Pradesh	817001	426571	174166	37710	1094654	466121	53238	3069475
25	Uttarakhand	6236	5925	192	19	3844	12415	6644	35279
26	West Bengal	589790	739776	286332	678583	959230	147290	5592	3406623
27	Andaman& Nicobar	0	0	286	483	335	97	22	1223
28	Dadra & Nagar Haveli	1	196	221	972	641	1487	192	3710
29	Daman and Diu	6	7	0	0	0	0	1	14
30	Lakshadweep	0	0	9	28	7	0	1	45
31	Andhra Pradesh	27347	18674	5	0	0	2167	9447	58321
32	Karnataka	34317	43760	7085	2405	11239	2635	17917	119594
33	Ladakh	0	0	1344	62	22	1	24	1453
	Total	3815968	4492949	2131182	3399615	4239774	5080911	437455	23599969

Source: 1- https://rhreporting.nic.in/netiay/FinancialProgressReport/Allocation_PhaseWiseReport.aspx
2- https://pmayg.nic.in/netiay/PBIDashboard/PMAYGDashboard.aspx

During the period of Covid-19 pandemic induced nation-wide lockdown, all construction activities including construction of houses under PMAY-G were affected which retarded the pace of construction of PMAY- G houses. Besides, the delays are also due to delay in release of Central & State Share from State Treasury to State Nodal Account of PMAY-G, cases of unwillingness of beneficiaries, migration, disputed succession of deceased beneficiaries, delay in allotment of land to landless beneficiaries by the States/UTs, at times General/ Assembly/ Panchayat elections, and

unavailability of building materials. Therefore, the timeline for completion of 2.95 crore houses under PMAY-G has been extended from March, 2022 to March, 2024.

In order to capture the details of the households though eligible under PMAY-G but not included in PMAY-G, the Ministry through States/ UTs carried out the Awaas+ survey during January 2018- March 2019. At present, there is no proposal to carry out the survey again. As per the approval of Union Cabinet, the deadline for completion of 2.95 crore houses under PMAY-G is March, 2024.

PMAY-G in North-East Region: North east India which comprises of eight states i.e Arunachal, Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram and also the Himalayan kingdom of Sikkim. It shares 90% of boarder with other countries plus it is only gateway to Bhutan. The share of industrial sector increased more than share of agriculture and allied activities. Employment in rural areas is higher than urban areas. The literacy rate of Mizoram is 91.85% and Tripura has 87.75%. The India's oldest and largest paramilitary forces are Assam Rifles in India is from north east India. It is India's biggest tea production. According to National Institute of Rural Development (NIRD), the intensity of poverty in north east states is higher than others. Details of the funds allocated/release and spent/utilization under PMAY-G during last five years in North-East region, year-wise, State-wise is given at **Table-3**.

Table-3: Details of the funds release and utilization under PMAY-G during last five years in North-East region. **(Rs.in Lakh)**

S. No	State	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		Release	Utilization *	Release	Utilization *	Release	Utilization *	Release	Utilization *	Release	Utilization *
1	Arunachal Pradesh	1210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75	0.00	597.24	10485.35	1669.67
2	Assam	166961.67	145845.18	24408.40	114966.54	143397.40	204674.93	150342.50	126943.87	577110.76	219533.09
3	Manipur	5855.30	6591.28	429.98	4996.76	1030.27	1282.90	8489.03	9349.37	2100.99	2685.75
4	Meghalaya	4273.76	10245.30	12621.23	10659.61	2260.21	5796.89	19108.14	18554.09	9012.52	7250.76
5	Mizoram	644.25	2325.96	2923.83	761.93	0.00	3180.42	1616.21	1382.24	4191.70	583.31
6	Nagaland	832.99	16.90	0.00	3902.60	0.00	1524.90	1739.92	212.13	1740.67	2044.22
7	Sikkim	0.00	926.10	0.00	422.30	65.03	37.35	0.00	27.65	57.29	5.80
8	Tripura	18316.45	23083.34	765.98	8255.72	22952.36	21050.44	11361.69	9830.36	136847.66	111095.54
	Total	198095.39	189034.06	41149.41	143965.46	169705.27	237587.57	192657.49	166896.94	741546.92	344868.15

Sources: GOI (2023), 'PM Awaas Yojana (Gramin) in North-East Region' answered by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in Rajya Sabha Session-259, Unstarred Question No.2508 on 22.03.2023
*including central share, state share, interest receipt and misc receipts.

The details of the houses sanctioned and constructed under the scheme during last five years in North-East region, year-wise, State-wise are given at **Table-4.** Table 4 presents the number of houses sanctioned and completed under the housing scheme across the eight North-Eastern states of India over a five-year period from 2017–18 to 2021–22. During the five years, a total of 1,074,243 houses were sanctioned, out of which 623,484 houses were completed, indicating substantial progress in implementing the housing scheme in the North-East region. Year-wise, the number of houses sanctioned increased significantly over time, rising from 178,613 in 2017–18 to a peak of 399,889 in 2021–22. House completion also improved from 31,423 in 2017–18 to 157,824 in 2020–21, although it declined slightly to 132,123 in 2021–22.

Assam recorded the highest performance among all states. It received 713,822 sanctioned houses, representing about 66.4% of the total sanctioned houses in the region, and completed 517,658 houses, accounting for nearly 83.0% of all completed houses. This highlights Assam as the major beneficiary and the best-performing state in terms of housing construction. Arunachal Pradesh ranked second in sanctioned houses with 33,551, but only 4,241 houses were completed,

indicating a comparatively low completion rate despite the high number of sanctions. Tripura sanctioned 20,336 houses and completed 4,727 houses, reflecting moderate implementation of the scheme.

Table-4: Details of the houses sanctioned and constructed under the scheme during last five years in North-East region.

(Unit in numbers)

State Name	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		Total	
	Houses Sanctioned	Houses completed	Houses Sanctioned	Houses completed	Houses Sanctioned	Houses completed	Houses Sanctioned	Houses completed	Houses Sanctioned	Houses completed	Houses Sanctioned	Houses Completed
Arunachal Pradesh	249	0	1063	85	2135	747	19059	2417	11045	992	33551	4241
Assam	127179	26059	40378	159017	179835	84009	150040	130879	216390	117694	713822	517658
Manipur	9718	66	15	7655	167	1151	17873	2379	1738	3626	29511	14877
Meghalaya	16669	260	3816	11329	10970	4995	26497	5016	3354	7009	61306	28609
Mizoram	2376	1333	1708	900	2430	997	7017	1123	0	1158	13531	5511
Nagaland	119	0	3504	17	615	3687	4706	535	9832	0	18776	4239
Sikkim	101	372	0	646	0	34	0	13	282	5	383	1070
Tripura	22202	3333	387	20690	22535	6155	991	15462	157248	1639	203363	47279
Total	178613	31423	50871	200339	218687	101775	226183	157824	399889	132123	1074243	623484

Sources: GOI (2023), 'PM Awaas Yojana (Gramin) in North-East Region' answered by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in Rajya Sabha Session-259, Unstarred Question No.2508 on 22.03.2023

Meghalaya sanctioned 61,306 houses and completed 28,609 houses, showing a relatively better completion performance compared to several other smaller states. Manipur sanctioned 29,511 houses, of which 14,877 were completed, achieving approximately half of the sanctioned target. Nagaland sanctioned 18,776 houses but completed only 4,239 houses, suggesting slower implementation. Mizoram sanctioned 13,531 houses and completed 5,511 houses, indicating moderate progress. Sikkim recorded the lowest number of sanctioned houses (383), while 1,070 houses were completed, suggesting that many houses completed during the period had been sanctioned in earlier years.

The table indicates that the housing scheme expanded considerably across the North-East during the study period. Assam dominated both sanctions and completions, demonstrating the most effective implementation. While most states showed gradual progress, the gap between sanctioned and completed houses in states such as Arunachal Pradesh and Nagaland suggests implementation delays. Overall, the scheme contributed significantly to increasing housing availability in the North-East region, though improvements in timely completion remain necessary in several states.

Conclusion: In terms of subjective well-being (socio-psychological well-being), on indicators such as Social Status, Self-worth, Confidence Level, Feeling of Ownership, Feeling of Safety & Security, Self- perceived Improvement in Health, Overall Quality of Life, and Satisfaction about the New House, we find the Treatment Group feels much better, compared to the Control Group. It can be concluded that the new PMAY-G has made significant impact on the lives of beneficiaries.

At times, the financial estimation for the projects proves to be wrong because of certain unavoidable circumstances like price hike in the raw materials, land, natural calamities and situations like breakdown of pandemic currently has furthermore, delayed the construction work under the scheme. Due to the impact of Covid-19, only 75% houses were constructed under PMAY-G till date (Kapoor, 2021). There were various reasons where the loan application by the applicant got rejected as per the data available. The instructions given to the applicants for house

construction should be clearly given in black and white, accompanied by regular monitoring of the same by the deputed officials by the government.

The central and state Governments have been initiating a number of schemes and amplified their efforts to make rural sector more active, vibrant and resilient. The rural population with low and marginal levels of economic development faces a unique challenge in the task of addressing adequate housing. Research has clearly demonstrated that housing has becoming mechanism for economic growth and act as a major contributor for employment, and income generation and helps the individuals both directly and indirectly in their socio economic development. Recognising the importance of housing as a basic human need, it has been one of the priorities of the government right from the first five year plan to till date. However, the performance of housing scheme depends on proper selection of beneficiary, nature and extent of their involvement, appropriate use of available housing material and skilled workforce. The quality of house constructed, its maintenance, and satisfaction of beneficiary with regard to space and availability of basic social amenities are equally important. Hence the present study has made to assess the awareness, satisfaction level of beneficiaries towards housing programme and problems faced by them.

Inadequacy of fund released by the government is the main problem faced by the beneficiaries followed by unable to arrange additional amounts for construction and no special attention was paid on basic amenities. Hence the government should increase per unit cost of the house and arrange loan facilities to beneficiaries in collaboration with nationalised banks. It should also emphasis construction of quality housing with basic amenities like sanitary latrine, connectivity to drinking water, electricity.

References:

1) www.rural.nic.in and www.nhb.org (Report on Trend and Progress of Housing in India 2018)
2) M. Mahadeva Reforms in Housing Sector in India: Impact on Housing Development and Housing Amenities, Habitat International, 2006; 30(3): 412-433
3) Shelly De (August , 2017),The Role of the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2015 in inclusion in India, International Journal of Recent Scientific Research,Vol.8 Issue ,8 pp 18959-18962
4) Chitravanshi, Ruchika (2015); "Modi government to rename new-look Indira Awaas Yojna to Pradhan Mantri Awaas Yojna." The Economic Times, December 29, 2015. (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-12-29/news/69379499_1_indira-awaasyojana)
5) NIPFP, (2018). Impact of Pradhan Mantri Awaas Yojana –Gramin (PMAY-G) on Income and Employment. Report Submitted to Ministry of Rural Development, Government of India. https://rural.nic.in/sites/default/files/IMPACT_OF_PMAYG_ON_INCOME_AND_EMPLOYMENT_REPORT.pdf
6) NIPFP, (2019). Impact of Reforms in Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin: A Secondary Data Analysis (Revised Version). Report Submitted Report Submitted to Ministry of Rural Development, Government of India.
7) Planning Commission, (2013). Evaluation Study of Indira Awaas Yojana. Report No. 216. Programme Evaluation Organization, Planning Commission, New Delhi. Available at http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peo/rep_iay2202.pdf
8) Sarkar A, Dhavalikar, Agrawal and Morris (2016) in their article on "Examination of Affordable Housing Policies in India". https://www.researchgate.net/publication/ 334094747_Pradhan_ Mantri_Awas_Yojana_Pmay_Scheme-An_Emerging_Prospect_Of_Affordable_Housing_In_India
9) United Nations, "Sustainable Development Goal 11 – Making cities inclusive, safe, resilient and sustainable". 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/.
10) UNDP, "People-Centred Development. UNDP in Action - Annual Report 2010/2011." 2011
11) https://pmayg.nic.in/netiay/PBIDashboard/PMAYGDashboard.aspx
12) Peer Smets, and Paul van Lindert, 2016. Sustainable housing and the urban poor. International Journal of Urban Sustainable Development, 8(1): 1-9.

13) Piyush Tiwari and Jyoti Rao 2016. Housing Markets and Housing Policies in India. ADBI Working Paper Series, 565: 3-33
14) Salve Praksh Vankar and Bhise, V.B. 2014. A Socio-Economic Study of Indira Awaas Yojana beneficiaries in Jalna. Southern Economist, 52(20).
15) Salve Praksh Vankar, and Bhise V.B. 2012. Evaluation of Indira Awaas Yojana in Jalna District. Southern Economist, 51(10).
16) Shahin Razi 2012. The Budget and Rural Development. Kurukshetra, 60 (6).
17) Shamsher Singh, Madhura Swaminathan, and Ramachandran, V. K. Housing Shortages in Rural India. Review of Agrarian Studies, 54- 72.
18) Shashanka Bhide, Gupta, D.B., Tarujyoti Buragohain, Sethi D.V., Shailender Kumar, and Bathla S.K. 2009. A Qualitative Assessment of Rural Housing in India. National council of Applied Economic Research, working paper.
19) Shivanna T. and Kadam R.N. 2017. An evaluation of Indira Awaas Yojana in Challakere Taluk of Chitradurga District, Karnataka. 3rd International conference on Emerging trends in Engineering, Technology, Science and Management, 302-307
20) Sudipta Biswas 2015. The Role of Indira Awaas Yojana in Addressing Rural Homelessness: An Evaluation. International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), II (II): 364-374.
21) GOI (2023), 'Performance of Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin' answered by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in Rajya Sabha Session-259, Unstarred Question No.3331 on 29.03.2023
22) Details of the number of houses constructed under the PMAY-G during each of the last four years and present year, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944808
23) GOI (2023), 'PM Awaas Yojana (Gramin) in North-East Region' answered by Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in Rajya Sabha Session-259, Unstarred Question No.2508 on 22.03.2023

*****

Cite the article:	Kumar, Shiv and Kumar, Dr. Vinod (2025). A Study of the Impact of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG), Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-1, Issue-2, October-December 2025, Pages 55-64.

Bundelkhand Journal of Academic Research

A Comparative Study of Women's Empowerment: India, the United States, the European Union, and China

Dr. Umesh Gautam[1], Prof (Dr.) Bhupendra Kumar[2]

1. Assistant Professor (Finance & Accounting), Amity Business School, Amity University Madhya Pradesh. 2. **Professor,** Amity Business School, Amity University Madhya Pradesh

(**Corresponding Author:** ugautam@gwa.amity.edu)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425599

Abstract

This paper presents a systematic comparative analysis of women's empowerment across four distinct geopolitical entities: India, the United States, the European Union, and China. It examines key dimensions including political representation, economic participation, educational attainment, health, and legal frameworks through a synthesized analysis of global indices, national datasets, and scholarly literature. The study utilizes comparative data tables and charts to visualize disparities and progress. Findings reveal that while the US and EU lead in institutional support and overall outcomes, they face challenges related to leadership ceilings and work-life balance. China demonstrates state-driven economic inclusion with constrained social agency, and India exhibits significant legislative progress hampered by deep socio-cultural and implementation gaps. The paper concludes that empowerment pathways are context-dependent and advocates for integrated policies that address structural, economic, and normative barriers simultaneously.

Article Info			
	Received: 23 Nov, 2025	**Accepted:** 05 Dec, 2025	**Published:** 31 Dec, 2025
	Table: 04	**Figures & Graphs:** 04	**Sources & Ref.:** 10
	Keywords: Empowerment, Gender Indices, Representation, Participation.		

Introduction: The quest for gender equality and women's empowerment manifests through diverse socio-political and economic structures globally. A comparative analysis of India, the United States, the European Union, and China provides a critical lens to understand how historical, cultural, and institutional contexts shape women's access to resources, agency, and achievements. This paper employs a multi-dimensional framework, supported by comparative data tables and charts, to analyze and visualize the state of empowerment. The central inquiry explores the **comparative positioning, unique challenges, and convergent trends** across these four regions. Data is drawn from the World Economic Forum (WEF), World Bank, UNDP, ILO, and regional sources (2018-2023).

Analytical Framework and Data Methodology: The analysis is structured around five pillars derived from Kabeer's (2005) empowerment model and the UN Sustainable Development Goal 5 (Gender Equality):

1. **Political Empowerment**
2. **Economic Participation and Opportunity**
3. **Educational Attainment**

4. **Health and Survival**
5. **Legal and Institutional Frameworks**

Data Sources: World Economic Forum's Global Gender Gap Index (GGGI) 2023, World Bank's Gender Data Portal, UNDP's Gender Development Index (GDI), ILO STAT, EIGE Database, and national statistical reports (NSSO for India, Eurostat for EU, etc.).
Visualization: Data is synthesized into comparative tables and bar/line charts to highlight rankings, percentages, and trends.

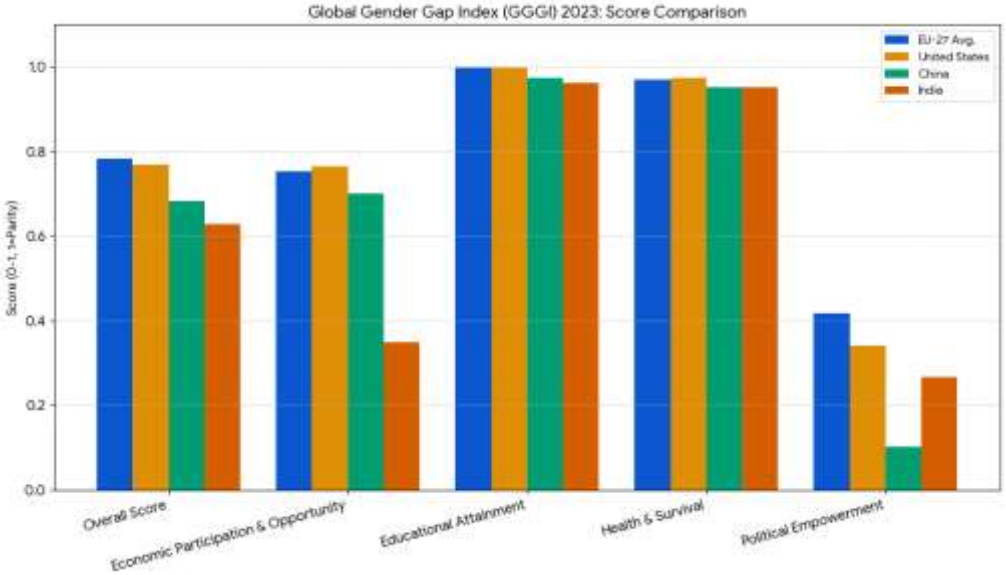
Comparative Data Analysis: Women's empowerment is a multidimensional metric encompassing economic, political, educational, and social dimensions. Progress varies widely among global regions, with distinct policy environments and cultural paradigms yielding different pathways to gender equality across India, the US, the European Union, and China.

Table 1: Global Gender Gap Index (GGGI) 2023 Rankings & Scores

Region/ Country	Overall Rank (out of 146)	Overall Score	Economic Participation & Opportunity	Educational Attainment	Health & Survival	Political Empowerment
EU-27 Avg.*	15 (approx.)	0.784	0.752	0.998	0.970	0.417
United States	43	0.769	0.764	0.998	0.973	0.341
China	107	0.682	0.701	0.973	0.951	0.102
India	127	0.629	0.350	0.961	0.951	0.267

Source: WEF Global Gender Gap Report 2023. *EU average is approximated from constituent countries.* (0-1 scale, 1=parity)

Chart 1: GGGI 2023 Sub-Index Scores Comparison
[Insert Chart Here - Bar Chart showing comparison across all four regions for each sub-index]



Description: This bar chart visually represents the data from Table 1, with four grouped bars (EU, US, China, India) for each of the four sub-indices, clearly showing India's stark low score in Economic Participation (0.350) and China's low score in Political Empowerment (0.102).

Analysis Summary:

- **Parity Trends:** All regions show high levels of parity in **Educational Attainment** and **Health & Survival**, with scores consistently above 0.95.

- **Economic Participation:** The **United States** (0.764) and **EU-27** (0.752) lead in this category, while **India** shows a significant gap with a score of 0.350.
- **Political Empowerment:** This remains the category with the largest gap globally. The **EU-27** leads among the group at 0.417, while **China** has the lowest score in this dimension at 0.102.
- **Overall Standing:** The **EU-27** and the **United States** maintain the highest overall scores (0.784 and 0.769 respectively), placing them significantly ahead of China and India in terms of overall gender parity.

The EU leads through binding directives. The EU's European Institute for Gender Equality (EIGE) drives mandates like the "Women on Boards" directive, requiring listed companies to have at least 40% of non-executive director posts occupied by the underrepresented sex.

The US features strong corporate representation but struggles with structural economic gaps. Lacking federally mandated paid leave, women frequently face career interruptions. The US ranks relatively well in estimated earned income, but high-level executive parity remains a challenge.

Table 2: Key Economic and Labour Market Indicators

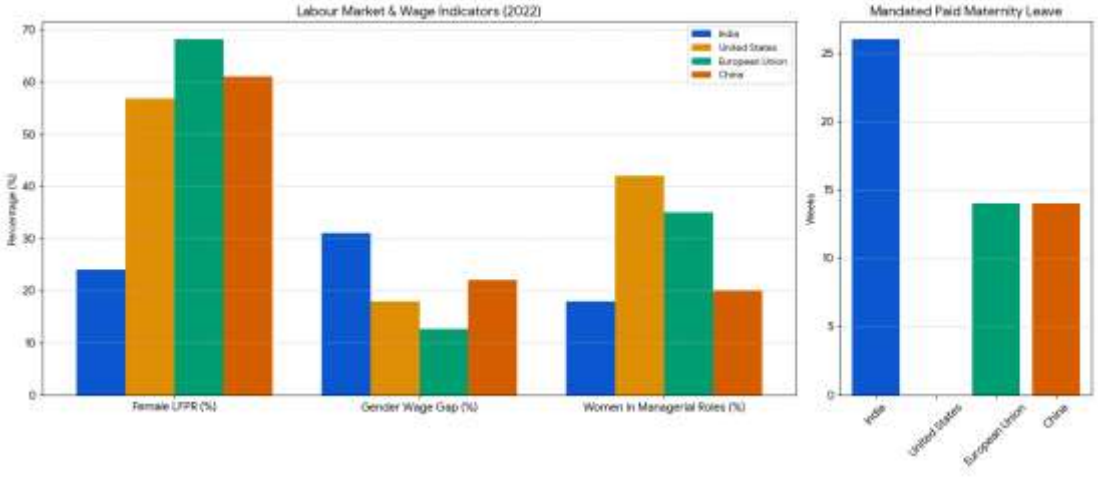
Indicator	India	United States	European Union	China
Female Labour Force Participation Rate (LFPR %)	24.0	56.8	68.2 (avg.)	61.0
Gender Wage Gap (%) (est.)	28-34	18.0	12.7 (avg.)	22.0
Women in Managerial Roles (%)	18.0	42.0	35.0 (avg.)	20.0
Mandated Paid Maternity Leave (weeks)	26	0 (federal)	14-52 (by country)	14

Sources: ILO STAT 2022; World Bank Gender Data Portal; National Sources. *LFPR definitions vary slightly.* **(Latest Available Data ~2022)**

Characterized by state-driven economic participation, Chinese women boast historically high labor force participation rates. However, modern professional women battle systemic pressures to balance demanding careers with neo-traditionalist, family-centric expectations. India is marked by distinct urban-rural and geographic divides. While formal labor force metrics (like the PLFS in India) have trended upward to around 40%, a large portion of rural employment remains concentrated in low-paid, informal sectors.

Chart 2: Female Labour Force Participation Rate (LFPR %) Trend (2010-2022)

[Insert Chart Here - Line Chart showing trends over time for all four regions]



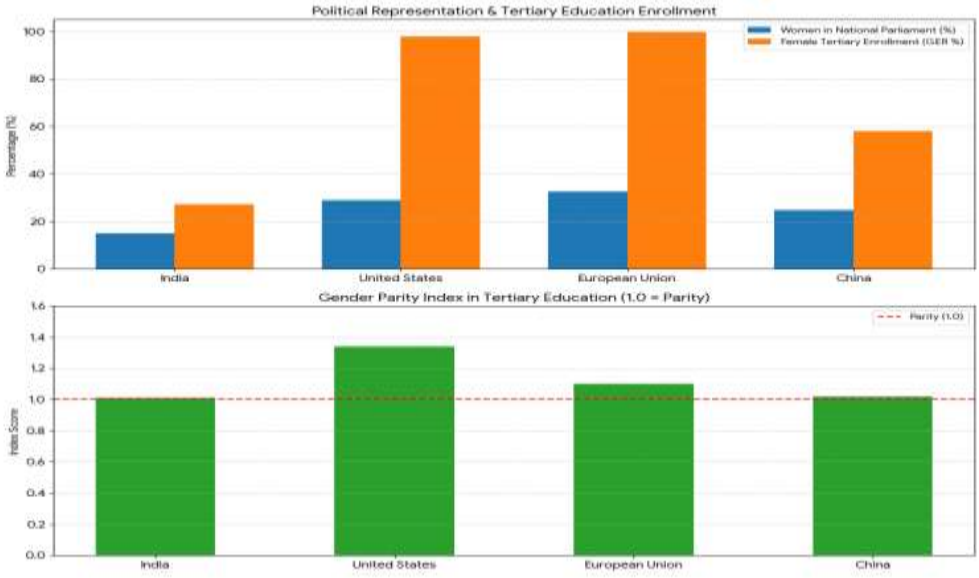
Description: A line chart with four lines (India, US, EU, China) showing trends over time. Key trends:

- India: Declines from ~35% in 2005 to ~24% in 2022
- China: Declines from ~68% in 2000 to ~61% in 2022
- US: Remains relatively stable around 56-58%
- EU: Stable at high levels, slight increase in some countries

Table 3: Political Representation and Education

Indicator	India	United States	European Union	China
Women in National Parliament/Legislature (%)	15.1 (Lok Sabha)	28.9 (Congress)	32.7 (Avg. Nat. Parliaments)	24.9 (NPC)
Women in Local Government (%) (Quota)	~46% (33% quota)	Varies by state	High in many (quotas common)	~30% (de facto targets)
Female Tertiary Education Enrollment (GER %)	27.3	98.0 (approx.)	~100 (approx.)	58.1
Gender Parity Index in Tertiary Education	1.01	1.34	1.10 (approx.)	1.02
Sources: IPU Parline (2024); World Bank EdStats; UNESCO.				

Chart 3: Women in National Parliaments (%) – A 10-Year Trend



Description: A grouped column chart showing the percentage for each region for three time points:

- **2013:** India: 11%, US: 18%, EU: 27%, China: 23%
- **2018:** India: 12%, US: 23%, EU: 30%, China: 24%
- **2023:** India: 15%, US: 29%, EU: 33%, China: 25%

`This shows incremental growth in the US and EU, stability in China, and slow growth from a low base in India.

Table 4: Health, Legal Frameworks, and Social Norms

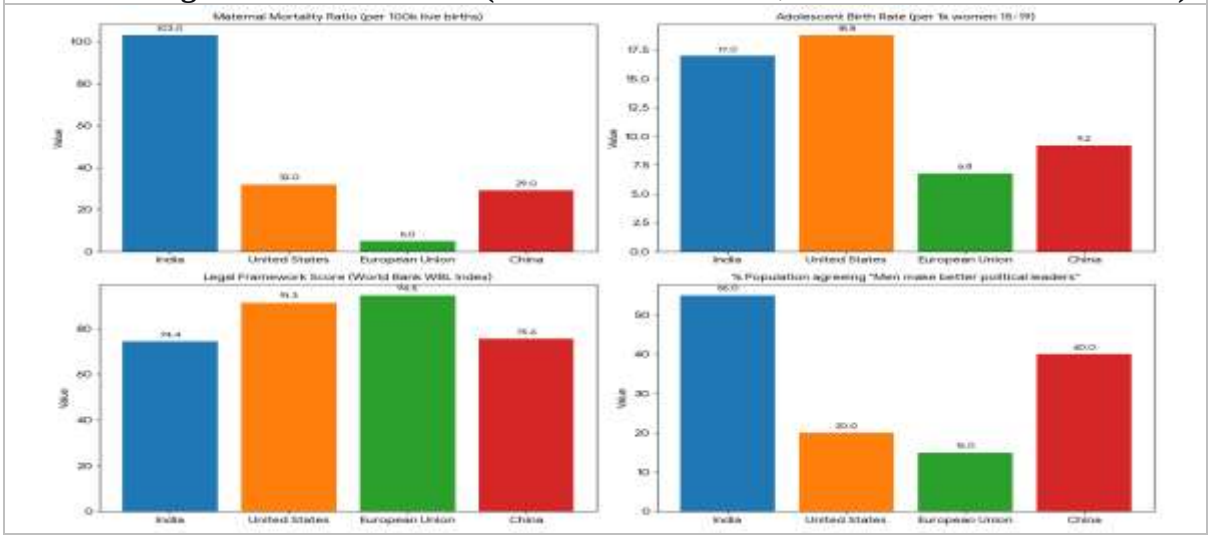
Indicator	India	United States	European Union	China
Maternal Mortality Ratio (per 100k live births)	103	32	5 (avg.)	29
Adolescent Birth Rate (per 1k women 15-19)	17.0	18.8	6.8 (avg.)	9.2

Legal Framework Score (World Bank WBL Index, 0-100)	74.4	91.3	94.5 (avg.)	75.6
% Population agreeing "Men make better political leaders" (WVS)	~55%	~20%	~15% (avg.)	~40%

Sources: WHO; World Bank Women, Business and the Law (WBL) 2023; World Values Survey (latest wave).

Legal Framework Score (World Bank Women, Business and the Law Index)

Chart 4: Legal Framework Score (World Bank Women, Business and the Law Index)



Description: A radar/spider chart plotting scores across the 8 indicators of the WBL Index:

1. Mobility, 2. Workplace, 3.Pay, 4.Marriage, 5. Parenthood, 6. Entrepreneurship, 7. Assets, 8. Pension

The chart would show:

- EU: Near-perfect circle (scores 90+ on all indicators)
- US: Strong performance (mostly 90+)
- India: Significant gaps in Parenthood, Assets
- China: Gaps in Workplace, Marriage, Parenthood

Discussion: Interpreting the Data and Charts

The tables and charts reveal clear patterns:

1. **The Economic Paradox of India and China:** Chart 2 and Table 2 highlight India's alarmingly low and stagnant female LFPR (24%) despite economic growth and educational gains—a sign of weak job creation, safety concerns, and cultural norms. China's higher but declining LFPR (61%) reflects post-reform market discrimination and withdrawal pressures.
2. **The Political Empowerment Gap:** Table 1 and Chart 3 show that while the EU and US score moderately on the GGGI's political sub-index (0.417 and 0.341 respectively), China's score is critically low (0.102), reflecting the absence of autonomous political power. India's score (0.267) is buoyed by its local government quota (46%, Table 3), not national representation (15.1%).
3. **The Institutional Advantage of the West:** Table 4 and Chart 4 underscore the strong legal and institutional frameworks in the EU (WBL score: 94.5) and US (91.3), which facilitate empowerment even as social norms evolve. India's middling WBL score (74.4) contrasts with its progressive laws, pointing to the **implementation gap**.

4. **Convergence in Education, Divergence in Outcomes:** All regions are nearing or have achieved parity in basic educational attainment (Table 1, 3). However, this does not translate linearly into economic or political outcomes, especially in India and China, indicating the powerful mediating role of **structural and cultural barriers**.

Specific Regional Insights:

- **India:** Exhibits the largest contradiction between legal progress (26 weeks maternity leave, progressive laws) and ground reality (lowest LFPR, high maternal mortality). The local government quota success story hasn't scaled nationally.
- **United States:** Shows strong individual economic empowerment but systemic gaps in social support (no federal maternity leave) and political representation relative to economic power.
- **European Union:** Demonstrates the most balanced approach with strong social welfare, good representation, and comprehensive legal frameworks, though variations exist between member states.
- **China:** Presents a model of state-directed economic mobilization with high workforce participation but severely limited political voice and persistent workplace discrimination.

Conclusion and Policy Implications: The comparative data underscores three critical insights:

1. High economic development does not auto-generate gender parity (see China's political scores vs. economic metrics).
2. Progressive legislation alone is insufficient without implementation mechanisms (see India's indicators).
3. Cultural norms significantly mediate the relationship between resources and outcomes across all regions.

Empowerment is a multi-system outcome requiring synchronized interventions across political, economic, and social domains.

Targeted Policy Implications:

- **For India:** Focus must shift from law-making to **law-enabling**—investing in rural job creation, urban safety infrastructure (transport, workplace safety), and changing norms via media and education. Scaling up political quotas to state and national levels (Women's Reservation Bill) is critical. Addressing the care economy through public childcare infrastructure could significantly boost LFPR.
- **For the US:** Addressing the **care economy** through federal paid family leave and affordable childcare is essential to boost LFPR stability and reduce the wage gap. Electoral reforms (ranked-choice voting, campaign finance) could improve political representation. Strengthening enforcement of equal pay legislation remains crucial.
- **For the EU:** The challenge is **inclusion across diversity**—ensuring migrant women, women with disabilities, and those in Eastern Europe benefit equally from the Union's framework. Maintaining momentum for board-level quotas and addressing the gender pension gap are key priorities. Harmonizing parental leave policies could reduce regional disparities.
- **For China: Opening space for civil society** to address workplace discrimination and social stigma is necessary for sustainable empowerment, alongside enforcing existing anti-discrimination laws. Reforming the *hukou* (household registration) system could improve migrant women's rights. Addressing mental health pressures from the "leftover women" stigma requires normative change campaigns.

Cross-Regional Learning Opportunities:

1. The **EU's institutional model** of gender mainstreaming in all policies offers a framework for systematic approach.
2. The **US's focus on individual rights and litigation** provides tools for challenging discrimination in innovative sectors.
3. **China's scale in female workforce mobilization** offers lessons in rapid economic integration.
4. **India's experiment with grassroots political quotas** demonstrates a pathway to building political capital from the bottom up.

   Ultimately, sustainable women's empowerment requires moving beyond siloed interventions to **integrated ecosystem approaches** that simultaneously strengthen legal protections, build enabling economic infrastructure, and launch sustained normative change campaigns. The data clearly shows that regions excelling in one dimension (like India in local governance or China in economic participation) still struggle in others, highlighting the interconnected nature of empowerment challenges.

References:

1. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
2. European Institute for Gender Equality (EIGE). (2023). *Gender Equality Index 2023*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2839/764506
3. International Labour Organization (ILO). (2022). *Global Wage Report 2022–23*. International Labour Office. https://doi.org/10.54394/OPKN3279
4. Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 13(1), 13-24. https://doi.org/10.1080/13552070512331332273
5. World Bank. (2023). *Women, Business and the Law 2023*. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1936-0
6. World Economic Forum (WEF). (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum. https://doi.org/10.61778/GGGR2023
7. World Health Organization (WHO). (2023). *Trends in maternal mortality 2000 to 2020*. WHO. https://doi.org/10.1787/3c9f8a0f-en
8. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report 2023-24. UNDP. http://hdr.undp.org/en/2023-report
9. Zheng, W. (2020). *Finding Women in the State: A Socialist Feminist Revolution in the People's Republic of China, 1949-1964. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520973686
10. Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051-1079. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051

*****

Cite the article:	Gautam, Dr. Umesh and Kumar, Bhupendra (2025). A Comparative Study of Women's Empowerment: India, the United States, the European Union, and China, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-1, Issue-2, October-December 2025, Pages 65-71.

Bundelkhand Journal of Academic Research

The Biogeochemical Differentiation and Movement of Arsenic within Groundwater Aquifers Amid Fluctuating Redox States

Madhubala Sarojny
Assistant Professor (Chemistry), Government Degree College Bilauli, Jhansi, Uttar Pradesh.
(**Corresponding Author:** dohareas@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.22184730

Abstract

This widespread contamination of groundwater formation by natural sources of arsenic is an unprecedented environmental and public health crisis, especially in the deltaic and alluvial areas throughout the world. Geographical distribution and water solubility of arsenic is essentially controlled by the complex biogeochemical cycling of redox sensitive elements such as iron, manganese and sulfur under changing hydrodynamic conditions. This is a detailed study paper that methodologically reviews the processes that affect arsenic speciation and mobilization in different redox situations such as sub-daily variations associated with the tide, plus seasonal recharge of the groundwater and anthropogenic disturbance from agricultural activities. The traditional view is that the release of arsenic is due primarily to the reductive dissolution of the iron (oxyhydr) oxides, but from the current multi-scale evidence, there is strong evidence of an important geochemical separation of iron and arsenic. The separations of these due to the precipitation of secondary minerals like magnetite, green rust, and authigenic sulfides of different affinities to arsenite, (As (III)), and arsenate, (As (V)). In addition, this study examines kinetic constraints of arsenic oxidation by the biogenic manganese oxides (BMOs), their inhibitory effect in natural organic matter (NOM) and the evolution of integrated catalytic mechanisms such as bio-electro-Fenton processes. Inclusion of high-resolution spectroscopic data and use of reactive transport models like PHT3D and CD-MUSIC, has important implications regarding predictions and remediation in environments exposed to imminent hydro-climatic changes, as discussed in this article.

Article Info			
	Received: 13 Nov, 2025	**Accepted:** 10 Dec, 2025	**Published:** 31 Dec, 2025
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 14
	Keywords:	Arsenic Speciation, Fluctuating Redox, Reductive Dissolution, Biogeochemical Cycling, Transformation, Geochemical Decoupling.	

1. Introduction:

Inorganic arsenic is one of the many hazardous metals (loids) that could increasingly threaten water safety globally. Geogenic arsenic is common in terrestrial ecosystems and the greatest concentration of occurrence is in the Holocene aquifers of the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Delta, Holocene aquifers in the Hetao Basin, the Red River Delta, and in a few fractured volcanic systems that overlie fractures of sedimentary basins, such as in North-Central Mexico. Many individuals are exposed to levels of dissolved arsenic that always exceed the World Health Organization (WHO) interim guideline value of 10 micrograms per liter (µg/L).

The dynamics and diversification of arsenic in these aquifers are seldom stable. The process of transforming less mobile oxidized arsenic, as arsenate, As(V) - into more mobile and harmful reduced arsenic, as arsenite, As(III) - is in essence related to the redox potential (E_h) and pH of the local aquifer. In the past, literature revealed only one dominant model to explain the mobilization of this: mobilization via reductive dissolution of arsenic-containing iron (oxyhydr) oxides with the help of microorganisms. Thus, this model assumes that adding biodegradable organic material (a carbon source) to anoxic groundwater activates a heterotrophic microbial community that uses solid-phase ferric iron (Fe^{III}) as the final electron acceptor. This mineral structure is then broken down, putting the geochemically bound arsenic into the porewater.

However, the linear and uniformity of the reductive breakdown is increasingly challenged by field data that show strong geographical and temporal variability. Aquifers undergo continuous hydrodynamic disturbance leading to fluctuations in the redox conditions. Groundwater systems are continually and dynamically changing as a result of wave-induced circulation at the lake edge, sub-daily tidal pumping in estuaries by the coast, seasonal monsoonal recharge, and the regular flood and drying of rice paddy fields. Reaction zones that develop where oxygenated surface water meets anoxic ground water, promote the rapid, local mineral dissolution and re-precipitation cycles.

All these variable conditions contribute to complex biogeochemical processes, including the geochemical "decoupling" of iron and arsenic. Assuming reductive dissolution took place alone, concentrations of aqueous iron (Fe^{2+}) and arsenic would vary in a stoichiometric manner. In contrast, empirical observations indicate actively habitats that are strongly enriched in aqueous arsenic and strongly depleted of dissolved iron and vice versa. The intent of this article is to help clarify the specific processes that control the separation and mobility of as at different redox conditions. The use of predictive geochemical modeling to give insight to the complexities of as mobility, use of the scientific approach to study the kinetics of mineral alteration and the biological limits of sulfur and iron cycling is investigated.

2. Review of Literature: The conceptualisation of arsenic mobility has gone through a series of hydrogeochemical investigation. The first attempts were to explain the elevated arsenic contents by different natural processes, for example, by a degradation of carbonate minerals, changing the flushing rate of the aquifers, or by a flow of deep thermal waters, which, as a hypothesis, is named after the Pannonian Basin in Hungary. These processes occur in some geographical settings but the microbial reductive dissolution of (hydr) oxides has emerged as the most important process in deltaic ecosystems. In many instances there are specific bacterial communities that accelerate this dissolution process: e.g. Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans are known to be effective in iron phase modification under specific environmental conditions.

Despite this, a reduction solution model, the reductive dissolution model prevailed, although inconsistencies in later high-resolution field mapping were found. For example, solid phase analyses of sedimentary basins showed high concentrations of arsenic to often occur at the well depth where the reactive ferric (hydr)oxides, apparently, had been effectively eliminated, implying that there was additional trapping process. Because of this discovery, the hypostasis about biogeochemical decoupling originated. The focus of literature has been shifting towards the fate of

Fe^{2+} generated in reductive dissolution. There are unreacted precursor minerals, particularly ferrihydrite and lepidocrocite, which react with the increasing local aqueous Fe^{2+} concentrations to form mixed-valence secondary phases such as magnetite (Fe_3O_4), siderite ($FeCO_3$), and green rust. These secondary phases can also have selective adsorption behaviors and they often adsorb heavy metals and metalloids differently than their parent phases, thus changing their aqueous transport.

In addition to the study of iron, literature has developed to include regulatory roles of the cycle of sulfur and manganese. That anaerobically dominated communities can cause dissimilatory sulfate reduction, resulting in the production of hydrogen sulfide which should sequester metals as authigenic sulfides. However, studies indicate that this sequestration efficiency is dramatically affected by the arsenic specie before sequestration. By contrast, the biogenic manganese oxides (e.g. birnessite) have been exhaustively studied to see how fast they can oxidize As (III) to As (V). A key focus area in the study of this oxidation is the dynamics of the process, particularly regarding the possible surface passivation as a result of competing natural organic matter (NOM).

In the last years significant progress in the remediation technology has been reported, particularly related to the use of advanced oxidation processes (AOPs) in the groundwater system. The traditional Fenton reaction has been adapted and developed as bio-electro-Fenton systems in order to generate reactive oxygen species (ROS) in situ at neutral pH, to accelerate the oxidation of arsenite and hence link using the methodology of biogeochemistry in the environment to engineering in water purification.

3. Methods and Materials:

Institute-researchers combine high resolution solid-phase characterisation by microscopy, highly controlled biological microcosm incubations, and state-of-the-art reactive transport modelling to address the issues of arsenic differentiation and mobility in a comprehensive way. Combination of these strategies can provide a holistic picture of the transient physical and chemical processes of which they are a part.

3.1. Solid-Phase Spectroscopic Characterisation: In order to determine the exact coordination chemistry and oxidation state of arsenic in the host sediments, it would be required to use sophisticated spectroscopic methods. Micro-X-ray absorption near-edge structure (μ-XANES) spectroscopy using synchrotron is extensively used for this purpose. Elemental maps and the ability to extract accurate sample spectra across the arsenic Kα edge of 11867 eV from -50 to +100\[span-40](start-span)[span-40](end-span) enables scientists to reliably measure the proportion of total arsenic attributable to individual solid-phase components of the sample (e.g., arsenate adsorption to ferrihydrite versus arsenite incorporation into minor iron sulfides). This is crucial in confirming elemental speciation and the original redox state of the sample for chemical extraction.

3.2. Microcosm and Kinetic Incubation Protocols: For the isolation of thermodynamic variables and rates of kinetic processes, advanced automated microcosm incubation procedures are followed. These systems allow precise execution of the variable redox cycles which resemble the oscillations of the oxidized ($E_h \geq +100$ mV) and reduced ($E_h \leq -100$ mV) processes occurring at coastal edges or at inundated paddy soils. Some bacterial species such as Desulfovibrio vulgaris (ATCC strain 7757) which tend to reduce sulfate instead of directly reducing iron and arsenic are added to synthetic groundwater buffered by carbonate. A series of these incubations include specific electron

donors (e.g., 10 mM lactate) and different sulfate concentrations (0.08 - 10 mM sulfate) to explore sulfidization of As (III/V)-bearing ferrihydrite. Theoretically "pure" experimental solid phases are often spiked with much higher levels of arsenic than are likely to be detected in natural samples, for example an arsenic level of 225 mg/kg or 9900 mg/kg on ferrihydrite.

For abiotic kinetic studies, the synthetic acid birnessite δ-MnO_2 is synthesized and it reacts with aqueous As (III) in predetermined buffering conditions. Empirical evidence indicates that the type of buffer used considerably influences the reaction rate as observed, for instance, in the Fe (II) - Fe(III) oxidation reaction where MES buffer (pH 6.75) and HEPES buffer (pH 7 and 7.25) gives a quite sluggish, non-first order reaction rate, while phosphate buffer gives true first order rate with a direct dependence on buffer concentration.

3.3. Reactive Tranceport and Surface Complexation Modeling: To develop models for prediction at aquifer scales from micro-scale measurements of kinetics, robust computational frameworks to enable modeling of Reactive Transport and Surface Complexation are required. The multidisciplinary transport simulator PHT3D, which successfully combines MODFLOW/MT3DMS and PHREEQC, is used to simulate groundwater arsenic distribution. One of the major goals of current modeling studies is to test how effective Surface Complexation Models (SCM) can be as opposed to simplified empirical distribution coefficients (K_d) for accurately capturing transient sorption phenomena in environments that change in redox status. Advanced supply chain management methodologies like the Charge Distribution MUltiSIte Complexation (CD-MUSIC) model are used to calculate standard-state intrinsic equilibrium constants of ion adsorption on specific crystalline surfaces of two mineral oxides, ferrihydrite and goethite, and thermodynamically take into account competitive complexation (e.g., arsenate and phosphate) in the system.

4. Discussion and Result:

4.1. Hydrodynamic Forcings and the Stratification of Redox Zones: The control on arsenic mobility in dynamic aquifers is primarily timers of hydro-biogeochemical interaction. Results have consistently shown that the sub-daily tidal flow produce strong physical pumping (increased transport of oxygen-rich surface waters into anoxic sediments) with frequency in the range of minutes or hours, but this high-frequency 'pumping' is often more than counterbalanced by larger tidal-scale seasonal changes.Observations show that remote boundary reactive aquifer purging is efficient when net groundwater outflow is significant, as in the rainy season when the groundwater recharge is high during the monsoon season. Consequently, there is a large reduction in concentration of dissolved as and Fe^{2+} in the vicinity of the channel. Such seasonal records of variation in both E_h and dissolved arsenic concentrations are significantly more pronounced than would be the variation due to tide alone. However, the spatial distribution of contamination risk is important: the bed sediments of paired channels can become saturated with arsenic and contain high concentrations of arsenic, primarily in its highly mobile form As(III) which can be suddenly mobilized following a physical disturbance or a resuspension event.

The future hydro-climatic changes (sea-level rise (SLR) and increased storm surge flooding) offer conflicting geochemical processes. Contrary logic on protection: laboratory inundation

experiments, simulating sea level rise, show that natural occurrence of high-sulphur concentration in marine waters provide effective protection as the reductive breakdown of ferric iron and arsenate is impeded in salt concentration of inundated sediment. The opposite situation is the freshwater inundation, where a strong reductive process after the low energy inundation resuspension event releases geochemically bound trace metals, and releases over 80% of the total bound as into the porewater by release.

4.2. Agricultural Interventions and Fluctuating Redox in Paddy Soils: The effects of the different redox states are more evident in agricultural contexts, such as in rice paddy fields, where purposeful and repeated soil inundation and de- watering take place. These hydrodynamic changes are purposefully induced, producing substantial fluctuations in E_h which results in rapid changes in as speciation and the direct threat to agricultural stability and human food supply system. Under baseline conditions of highly reduced environments ($E_h \leq +100$ mV), untreated natural soils exhibit considerable mobilisation of arsenic with concentrations in the pore water that range from 4.2 to 9.2 mg L^{-1}.

In response to this, often farming practices are aimed at improving soil vigor through organic soil amendments. The use of different amendments—lignocellulosic rice husk biochar (RH-BC), cow dung (CD) from birds and mixed biogas slurry (BGS)—produces distinct geochemical scenarios. The combination of raw organic carbon can stimulate the microbial reductive dissolution of iron oxides, however, under moderately reduced conditions ($E_h > +100$ mV) the resulting increase in pH from the degradation of the added organic solid can effectively be used to suppress the release of arsenic.

Dissolved arsenic (As) is decreased by a maximum of 3677% when CD is used. This immobilization is mostly due to the incorporation of carbon molecules and humic/fulvic acids that create very stable, macromolecular complexes with arsenic, making it immobile. Further, the Mn/Fe ratio of the extractable soil matrix is a critical thermodynamic stabilising component of soil's intrinsic chemical composition. The manganese oxides are more thermodynamically favorable terminal electron acceptors than the iron oxyhydroxides, which delays the onset of iron reduction. Microbial reduction of manganese results in greater pH in the pore water under inundation in soils rich with synthetic nanocrystalline manganese oxide (δ-MnO2). In environments where carbonate is abundant, this pH alteration works in tandem with microbial Fe- and S-reduction, catalyzing the widespread occurrence of siderite ($FeCO_3$) and mackinawite (FeS), and thereby decreasing the overall mobilization of As by up to 45% as compared to low-Mn soils.

4.3. Sulfur Cycling and Microbial Constraints

Dissimilatory sulfate reduction presents an alternative thermodynamic sink in environments where sulfate is abundant in the environment, such as salt water influenced aquifers or some sedimentary formations. Sulfate itself can be reduced by microorganisms, for example, Desulfovibrio vulgaris to give gaseous hydrogen sulfide which reacts quickly with available Fe^{2+} and primary iron oxides to give elemental sulfur and small amounts of iron sulfides like mackinawite (FeS).

By itself the efficacy of this route in sequestering arsenic is limited by the oxidation state of the metalloid. Incubation experiments have shown that sulfate reduction is not an effective means

of solubilizing or sequestering arsenic in environments that contain As (V), largely because the reduction of As (V) with biogenic sulfide is thought to be kinetrically impossible, and strongly recalcitrant. By contrast, incubations with sources of As (III) will retain the arsenic quickly, even if the retention is sometimes temporary, as As (III) co-precipitates directly into the authigenic sulfide phases. Thus, successful application of the arsenic mitigation method of sulfidization requires a microbial community that can reduce As (V) to As (III) as a first step and an anaerobic environment, and merely reduction via sulfate in anaerobic environment is not enough.

Conclusion: Arsenic concentrations in groundwater aquifers are geographically variable and sensitive to changes in groundwater composition (water solubility) and are controlled by complex biogeochemical processes which are especially sensitive to changing redox conditions in the groundwater. Presently available data shows that dynamic hydrologic processes, such as seasonal aquifer recharge, or deliberate flooding of agricultural fields, trigger rapid cycles of mineral transformation, at local scales, and largely independent from arsenic and the associated iron oxides. The differential sequestration of As (V) and As (III) causes the highly mobile and deadly arsenite plumes to persist in a dangerous manner as the initial ferrihydrite transforms to secondary mixed-valence minerals (e.g., magnetite and green rust).

Co-occurring geochemical cycles act as either accelerators and/or local obstacles. The natural deposition of sulfur is an effective sequestration method but it is totally prevented by the biological requirement for preceding $As (V)$ reduction. At the same time, the oxidative capability of biogenic manganese oxides constitutes a key natural factor for arsenic sequestration, but is very sensitive to passivation of the surface by natural organic matter and this can only be overcome by using highly selective ligands or by genetically engineered complex biologic oxidation methods (such as neutral pH bio-electro-Fenton or AsOB).The physical mechanisms operating at these boundaries of redox will inevitably become worse as hydro-climatic conditions change rapidly all over the world because of climate change and as seastands rise more frequently and monotonically in coastal areas, where, suddenly and without warning, rainfall patterns shift dramatically. The results gathered for this investigation suggest that more complex modeling than empirical solutions are necessary for present-day aquifer management, remedial engineering, and agricultural activity. There is a need for researchers and practitioners using models to forecast and mitigate the growing risk of environmental exposure to arsenic to use integrated kinetic-equilibrium reactive transport models (such as PHT3D and CD-MUSIC) that are able to accurately assess the various roles of the interface and include multicomponent surface complexation and non-linear biogeochemical decoupling.

Sources & References:

1. Asaoka, S., Takahashi, Y., Araki, Y., & Tanimizu, M. (2012). Comparison of antimony and arsenic behavior in an Ichinokawa River water–sediment system. Chemical Geology, 1-8.
2. Cummings, D. E., Caccavo, F., Fendorf, S., & Rosenzweig, R. F. (1999). Arsenic mobilization by the dissimilatory Fe(III)-reducing bacterium Shewanella alga BrY. Environmental Science & Technology, 33, 723–729.
3. Harvey, C. F., Swartz, C. H., Badruzzaman, A. B. M., Keon-Blute, N., Yu, W., Ali, M. A., Jay, J., Beckie, R., Niedan, V., Brabander, D., Oates, P. M., Ashfaque, K. N., Islam, S., Hemond, H. F., &

Ahmed, M. F. (2002). Arsenic mobility and groundwater extraction in Bangladesh. Science, 298, 1602–1606.

4. Islam, F. S., Gault, A. G., Boothman, C., Polya, D. A., Charnock, J. M., Chatterjee, D., & Lloyd, J. R. (2004). Role of metal-reducing bacteria in arsenic release from Bengal delta sediments. Nature, 430, 68–71.
5. Jiao, Y., Jia, J., Zhou, C., & Li, L. (2025). Synergistic degradation of phenanthrene by birnessite-Fe (VI) system: Mechanism, kinetics and environmental risk assessment. Colloids and Surfaces A.
6. Langner, H. W., & Inskeep, W. P. (2000). Microbial reduction of arsenate in the presence of ferrihydrite. Environmental Science & Technology, 34, 3131–3136.
7. Lefebvre, P., Grigg, A. R. C., & Kretzschmar, R. (2024). Geochemical decoupling of iron and zinc during transformation of Zn-bearing ferrihydrite in reducing sediments. Environmental Science & Technology, 58(45).
8. Nilling, J. J., Verma, A., & Singh, A. (2022). Arsenic speciation in groundwater: Evidence from field study and geochemical analysis. Geochimica et Cosmochimica Acta.
9. Polizzotto, M., Harvey, C., Li, G., Badruzzman, B., Ali, A., Newville, M., Sutton, S., & Fendorf, S. (2006). Solid-phases and desorption processes of arsenic within Bangladesh sediments. Chemical Geology, 228, 97–111.
10. Schulz, K., ThomasArrigo, L. K., Kaegi, R., & Kretzschmar, R. (2022). Stabilization of ferrihydrite and lepidocrocite by silicate during Fe (II)-catalyzed mineral transformation: Impact on particle morphology and silicate distribution. Environmental Science & Technology.
11. Seddique, A. A., & Ahmed, K. M. (2004). Decoupling of as and Fe release to Bangladesh groundwater under reducing conditions. Part I: Evidence from sediment profiles. Geochimica et Cosmochimica Acta, 68(17), 3459-3473.
12. Smedley, P. L., & Kinniburgh, D. G. (2002). A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. Applied Geochemistry, 17(5), 517-568.
13. Van Geen, A., Rose, J., Thoral, S., Garnier, J. M., Zheng, Y., & Bottero, J. Y. (2004). Decoupling of as and Fe release to Bangladesh groundwater under reducing conditions. Part II: Evidence from sediment incubations. Geochimica et Cosmochimica Acta, 68(17), 3475–3486.
14. Yang, Y., Zhao, Y., Liu, Y., & Li, L. (2026). Low-molecular-weight organic acids regulate the immobilization of as and Cd by manganese oxide-modified biochar: Mechanisms and environmental implications.

*****

Cite the article:	Sarojny, Madhubala (2025). The Biogeochemical Differentiation and Movement of Arsenic within Groundwater Aquifers Amid Fluctuating Redox States, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-1, Issue-2, October-December 2025, Pages 72-78. https://doi.org/10.5281/zenodo.22184730

Bundelkhand Journal of Academic Research

Scope and Research Areas of the Journal

Agricultural Sciences

Agricultural Biotechnology, Agricultural Chemistry, Agricultural Diversification, Agricultural Education, Agricultural Economics, Agricultural Geography, Agricultural Philosophy, Agricultural Marketing, Dairy and Animal Science, Agricultural Engineering, Agricultural Policy, Multidisciplinary Agriculture, Agronomy & Horticulture, Agroecology, Agrophysics, Biological Engineering, Entomology, Plant Sciences, Environmental Sciences, Fisheries Science, Food Science & Technology, Forestry, Soil Science, Veterinary Sciences, Water Resources and any other allied Subjects of Agricultural Sciences.

Arts and Humanities

Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Classics studies, Cultural studies, Dance, Film, Radio, Television, Folklore, History, History of Science, Humanities, Multidisciplinary, Language and Linguistics, Literary Reviews, Literary Theory and Criticism, Literature, Medieval and Renaissance Studies, Music, Philosophy, Poetry, Religion studies, Theatre, Physical Education and Sports Science, Textiles and Apparel Designing and any other allied Subjects of Arts and Humanities.

Biological Sciences

Biodiversity Conservation, Biology, Miscellaneous Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Botany, Developmental Biology, Entomology, Limnology, Marine & Freshwater Biology, Mycology, Ornithology, Reproductive Biology, Zoology and any Other Allied Subjects of Biological Sciences.

Chemical Sciences

Applied Chemistry, Multidisciplinary Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic & Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Crystallography, Electrochemistry, Polymer Science, Spectroscopy, Biochemistry & Microbiology and any other allied Subjects of Chemical Sciences.

Commerce and Management

Management Accounting, Business Planning, Advertising, Banking & Insurance, Accounting System, Financial Markets, Institutions & Financial Services, Industrial Laws, Organizational Behaviour, Human Resource Management, Cost Accounting, Business Mathematics, Management Applications, Computer Applications, Auditing & Corporate Governance, Financial Management, Entrepreneurship, Collective Bargaining, Negotiation Skills, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, E-Commerce, Training & Development, Marketing & E-Marketing, Personal Tax Planning, Environmental Studies, Business Communication, Financial Accounting, Corporate Accounting, Business Laws, Corporate Laws, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, Taxation, Tax Law & Practice, Management like Strategic, Sales, Marketing, Public Relations, Operations, Supply Chain, Procurement, Financial & Accounting, Human Resources, Information Technology, Research & Development, Engineering, Programme, Project, Risk, Quality, Innovation, Design, Facility, Knowledge and any other allied Subjects of Commerce and Management.

Engineering and Technology

Automation & Control Systems, Aerospace Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence, Cybernetics, Hardware & Architecture, Information Systems, Interdisciplinary SCI, Software Engineering, Construction & Building Technology, Energy & Fuels, Multidisciplinary Engineering, Biomedical

Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Geological Engineering, Ergonomics, Nanoscience & Nanotechnology, Instruments & Instrumentation, Operations Research & Management Science, Materials Science, Paper & Wood, Ceramics, Biomaterials, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Textiles, Multidisciplinary Materials Science, Metallurgy & Mining, Robotics, Remote Sensing, Imaging Science & Photographic Technology, Telecommunications, Transportation, Transportation Science & Technology, Mining & Mineral Processing, Architecture, Industrial Design and any other allied Subjects of Engineering and Technology.

Medical and Health Sciences

Anatomy &Morphology, Biochemical Research Methods, Biochemistry & Molecular Biology, Cell & Tissue Engineering, Biophysics, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell Biology, Medicinal Chemistry, Cytology & Histology, Genetics & Heredity, Mathematical & Computational Biology, Immunology, Microbiology, Microscopy, Neurosciences, Parasitology, Pharmacology & Pharmacy, Physiology, Allergy, Andrology, Anesthesiology, Biological Psychology, Oncology, Cardiac & Cardiovascular System, Critical Care Medicine, Clinical Psychology, Emergency Medicine, Dentistry Oral, Surgery & Medicine, Dermatology, Substance Abuse, Psychology Educational, Health Care Sciences & Services, Endocrinology & Metabolism, Gastroenterology & Hepatology, Geriatrics & Gerontology, Gerontology, Haematology, Psychology Developmental, Infectious Diseases, Psychology Applied, Integrative & Complementary Medicine, Medical Ethics, Medicine Legal, Medical Informatics, Medical Laboratory Technology, Medicine General & Internal, Medicine Research & Experimental, Clinical Neurology, Neuroimaging, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Pathology, Paediatrics, Rehabilitation, Psychiatry, Respiratory System, Rheumatology, Radiology Nuclear Medicine & Medical Imaging, Sport Sciences, Surgery, Toxicology, Transplantation, Tropical Medicine, Urology & Nephrology, Peripheral Vascular Disease, Virology, Ayurveda, Home Science, Homoeopathy, Physiotherapy, Audiology & Speech-Language Pathology, SIDDHA, Unani, Public Health, Hospital Administrations, Forensic Science, Yoga, Optometry.

Physical Sciences

Geochemistry & Geophysics, Physical Geography, Geology, Multidisciplinary Geosciences, Meteorology & Atmospheric Sciences, Mineralogy, Oceanography, Paleontology, Acoustics, Astronomy & Astrophysics, Thermodynamics, Applied Mathematics, Mathematics, Nuclear Science & Technology, Optics, Applied Physics, Fluids & Plasmas Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Atomic, Molecular & Chemical, Multidisciplinary Physics, Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields Physics, Mathematical Physics, Statistics & Probability, Theoretical High Energy Physics, Interdisciplinary Applications Mathematics and any other allied Subjects of Physical Sciences.

Social Sciences

Anthropology, Business, Cultural Studies, Communication, Criminology and Penology, Demography, Economics, Education and Research, Environmental Studies, Ergonomics, Ethics, Ethnic Studies, Family Studies, Finance, Geography, Gerontology, Health Policy and Services, History, Hospitality, Sport & Tourism, Industrial Relations and Labour, Library and Information Science, International Relations, Law, Linguistics, Management, Nursing, Planning and Development, Political Science, Psychiatry, Psychology & Applied Psychology, Public Administration, Public, Environmental and Occupational Health Rehabilitation, Social Issues, Biomedical Social Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Mathematical Social Sciences, Social Work, Sociology, Transportation, Urban Studies, Feminist Studies, and any other allied Subjects of Social Sciences.

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

लेखकों द्वारा आलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देश (Submission Guidelines)

बीजेएआर उन मौलिक योगदानों का स्वागत करता है जो कहीं अन्यत्र प्रस्तुत, प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। योगदानकर्ताओं को लेख प्रस्तुत करने वाले ईमेल में इसकी जानकारी देनी होगी। योगदानकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बीजेएआर की स्टाइल शीट का पालन करें। सभी योगदानों के साथ निम्नलिखित अनुपालन होने चाहिए:

आलेख सारांश 150-200 शब्द

मुख्य शब्द 5 से 6

लेखक का नाम, ईमेल पता और पत्राचार के लिए संपर्क नंबर, प्रत्येक लेखक के लिए वर्तमान पदनाम और संबद्धता का विवरण देते हुए एक-पंक्ति का लेखक नोट। हम लेखक नोट में प्रदत्त ईमेल पता शामिल करते हैं। योगदानकर्ताओं को साहित्यिक चोरी और अत्यधिक आत्म-संदर्भों से सावधान किया जाता है। सामग्री की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंकड़े, ग्राफ़ और तालिकाओं का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। सभी पूरक फ़ाइलें जैसे आंकड़े, तालिकाएँ, मानचित्र आदि, जहाँ तक संभव हो, MS Office (Word/Excel) या अन्य संपादन योग्य प्रारूपों में प्रदान की जानी चाहिए।

बीजेएआर संपादकीय टीम किसी आलेख को किसी विशिष्ट अनुभाग में, जैसा उचित समझे, स्थान देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

लेखों की प्राप्ति की सूचना ईमेल द्वारा एक संदर्भ संख्या के साथ दी जाती है जिसका उपयोग वेबसाइट पर आपके योगदान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि योगदानकर्ताओं को योगदान के एक सप्ताह के भीतर पावती प्राप्त नहीं होती है, तो उनसे अनुरोध है कि वे हमें gayatripublication2025@gmail.com पर लिखें।

हमें प्राप्त होने वाले लेखों की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मासिक रूप से प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या को देखते हुए, किसी लेख को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने में दो महीने तक का समय लग सकता है। प्रकाशन के लिए स्वीकृत लेखों को स्वीकृति की तिथि से मुद्रित रूप में प्रकाशित होने में एक महीने तक का समय लग सकता है।

शोध समीक्षाएँ (शब्द: 2000-2500): बीजेएआर द्वारा पुस्तक और समीक्षाओं को भी प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतर्दृष्टि आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में शैक्षणिक परिघटनाओं के नवीन और केंद्रित विश्लेषण पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिप्रेक्ष्य आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में मौजूदा विद्वत्ता और समकालीन घटनाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आलेखों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष आलेख (शब्द: 7000 तक): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मूल, अप्रकाशित शोध पत्र स्वीकार किए जाएँगे, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

शोध आलेख (शब्द: 6000-7000): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध को कवर करने वाले मौलिक लेखों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

कॉपीराइट

1. बीजेएआर में प्रकाशित सभी आलेखों का कॉपीराइट बीजेएआर या उस संगठन का होगा जहाँ लेखक कार्यरत है, जैसा कि लेखक की रोजगार शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. बीजेएआर को लेखकों द्वारा अपने आलेखों को अन्य प्रकाशनों के लिए पुनः प्रकाशित या संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, पुनः प्रकाशित आलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेख का एक संस्करण सबसे पहले बीजेएआर में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल बीजेएआर आलेखों के URL के साथ प्रकाशन विवरण भी शामिल होना चाहिए।
3. लेखक/लेखकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकाशित आलेखों या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। लेखक/लेखकों की स्वीकृति की एक सॉफ्ट कॉपी बीजेएआर को भेजी जानी चाहिए।

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. बीजेएआर में प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जाने वाला शोध पत्र मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। शोध पत्र ई-मेल द्वारा द्वारा प्रेषित करना चाहिए।
2. लेखक को शोध पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य संलग्न करना होगा कि यूजीसी/एमएचआरडी के मानकानुरूप यह शोध पत्र उसका मौलिक, अप्रकाशित शोध पत्र है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है।
3. यदि शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता के साथ अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी मौलिकता और साहित्यक चोरी का प्रमाण पत्र देना होगा। शोध पत्र के साथ प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए।
4. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित शोधार्थी के पास ई-मेल द्वारा शोध पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।
5. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संपादक मण्डल द्वारा उसे संबंधित विषय के विशेषज्ञ (रीव्यूवर) के पास ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका विषय विशेषज्ञ द्वारा विधिवत् मूल्यांकन, परीक्षण और संशोधन किया जाएगा, तदुपरांत संपादक मण्डल के पास प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा।
6. विषय विशेषज्ञ / संपादक मण्डल के पास शोध पत्र के प्रकाशन और संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी शोध पत्र संपादक मण्डल / रीव्यू पैनल द्वारा पूर्णतः मूल्यांकन के उपरांत ही प्रकाशनार्थ स्वीकृति किया जायेगा।
7. पूर्णतः स्वीकृति के उपरांत ही शोधार्थी को संबंधित शोध आलेख का स्वीकृति संदेश निर्दिष्ट ई-मेल पर प्रेषित किया जायेगा। हालांकि, शोध पत्र के प्रकाशन, कापी राइट एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों में प्रधान संपादक एवं संपादक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. शोध पत्र में व्यक्त विचार, शोध बिंदु, संदर्भ हेतु पूर्णतः शोधार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार से संपादक मण्डल का उसमें कोई सरोकार नहीं होगा। शोध-पत्र भेजने के बाद उसे प्रकाशित करने हेतु किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।

9. शोध पत्र को निम्नलिखित रूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित करें:

i. टंकण विधि A4 साईज में 1 इंच चारो तरफ छोड़कर ऑटो लीडिंग, पेज नंबरिंग सहित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन में टाइप करके भेजें एवं आवास का पता, संस्था का पता, दूरभाष एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

ii. हिंदी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Kruti Dev 010 के फांट साइज 14 और मुख्य हेडिंग 16 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Times New Roman के फांट साइज 12 और मुख्य हेडिंग 14 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए।

iii. कीवर्डस, स्रोत एवं संदर्भ, शोध सारांश आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

iv. स्रोत एवं संदर्भ विधिवत निर्दिष्ट उद्धरण स्टाईल में रख कर उनका स्पष्ट उल्लेख करें। शोध पत्र में स्रोत एवं संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। स्रोत एवं संदर्भों की स्पष्टता के अभाव में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

10. आप शोध पत्र प्रेषित करें : gayatripublication2025@gmail.com

शोध पत्रों के प्रकाशन एवं प्रेषण की आवृत्ति

बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर) त्रैमासिक शोध जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंक प्रकाशन एवं आलेख संग्रहण का विवरण निम्न प्रकार है:

बीजेएआर के अंक	प्रेषण की तिथि	प्रकाशन
जनवरी-मार्च	10 मार्च तक	अप्रैल के अंत में
अप्रैल-जून	10 जून तक	जुलाई के अंत में
जुलाई-सितंबर	10 सितंबर तक	अक्टूबर के अंत में
अक्टूबर-दिसंबर	10 दिसंबर तक	जनवरी के अंत में

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

एक सामान्य शोध पत्र का मॉडल प्रारूप
(A Model Format for a normal Research Paper)

शोध पत्र का शीर्षक
(Title of the Research Paper)

प्रथम लेखक^1, द्वितीय लेखक^2, और तृतीय लेखक^3

^1 पहले संस्थान का नाम (Name of First Institution) Email Id

^2 दूसरे संस्थान का नाम (Name of Second Institution) Email Id

^3 तीसरे संस्थान का नाम (Name of Third Institution) Email Id

सारांश (Abstract)

यहां 150-200 शब्दों में अपने शोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य शब्द (Keywords): 5 से 6 मुख्य शब्द दिए जाने चाहिए जो शोध विषय की केंद्रीय अवधारणाओं को दर्शाते हों। ये पहचान, खोज और सूचकांकन योग्य होने चाहिए ताकि पाठक और शोधार्थी प्रासंगिक शोध को खोजने और अनुक्रमित (index) करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। मुख्य शब्द के रूप में संज्ञा शब्द होने चाहिए, उपपद और क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1. उप-शीर्षक (Subheading)

1.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

1.1.2.

- ❖ यहां शीर्षक एवं विषय से संबंधित आवश्यक आधारभूत ज्ञान का परिचय दें।
- ❖ विषय का परिचय और इसका महत्व बताएं।

- ❖ समीक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
- ❖ पृष्ठभूमि जानकारी और संदर्भ प्रदान करें।

2. सामग्री एवं विधि (Materials and Methods)

यहां आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना है।

(Here is to analyse and interpret the data)

2.1. उप-शीर्षक (Subheading)

2.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ यहां सामग्री और विधि का विवरण दें।
- ❖ शोध की सम्पूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें ।
- ❖ ध्यान रहे यह लेखन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी शोधकर्ता इस विधि को पढ़ कर सरलता पूर्वक इस शोध-क्रियाविधि को स्वयं भी दोहरा सके।

सारणी-1: सारणी का शीर्षक या नाम
(Table 1: Title or Name of Table)

उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**
तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)

3. परिणाम एवं प्राप्तियां (Results and Findings)

3.1. उप-शीर्षक (Subheading)

3.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ शोध-पत्र के इस भाग को प्रयास पूर्वक एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ❖ तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- ❖ शोध के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन से क्या प्राप्त हुआ है, इसका संक्षेप में प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

4. चर्चा एवं बहस (Discussion and Debate)

4.1. उप-शीर्षक (Subheading)

4.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ इस भाग में पिछले भाग में वर्णित परिणामों के बारे में गूढ विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।

- परिणाम एवं प्राप्तियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए।
- इस भाग में भी तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए ।
- मुख्यतः साहित्य की समीक्षा में चिन्हित खोजों और वर्तमान लिखित साहित्य में छोड़े गए विषयों/रिक्तियों की पहचान को भी रेखांकित किया जा सकता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं (Suggestions and Recommendations)

5.1. उप-शीर्षक (Subheading)

5.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग 4 और 5 में वर्णित परिणाम, प्राप्तियों एवं चर्चा के सापेक्ष आगे बढ़ने का उचित रास्ता (The way forward) क्या है, पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों के औचित्यपूर्ण समाधान की चर्चा की जानी चाहिए।
- भावी शोध के विषयों और उप-विषयों का सुझाव दिया जा सकता है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

- आपके द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में किए गए प्रमुख खोजों और उनकी प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- विषय के महत्व एवं औचित्य को पुनः प्रस्तुत कीजिए।
- 4 से 6 वाक्यों में अपने प्रस्तुत शोध के परिणाम एवं निष्कर्षों की महत्ता को विषय के संदर्भ में बताइए।

7. स्रोत एवं संदर्भ (Sources and References)

- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त सभी मुख्य कार्यों की स्रोत एवं संदर्भ सूची प्रदान कीजिए।
- यह संदर्भ शोध-आलेख में उचित स्थानों पर पाठ्य के रूप (इन-टेक्स्ट) में भी लिखे जाने चाहिए।
- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण में देखा जा सकता है:

परिशिष्ट (Appendices)

- परिशिष्ट A (Appendix A)
- परिशिष्ट B (Appendix B)

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण

(Bibliographic, Citation and Referencing Styles Examples)

स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए:

लेखक का नाम एवं उपनाम

(Name and Surname of the Author)

लेखक	नाम एवं उपनाम
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, <नाम का आरंभिक अक्षर>. <मध्य नाम का अक्षर>. **उदाहरण: मधुसूदन, जी. एस.**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>. एवं <उपनाम2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>. **उदाहरण: पाल, आर. के. एवं सिंह, ए. के.**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>., <उपनाम 2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>., . . . , एवं <उपनाम n>, <n का आरंभिक नाम n>. < n का मध्य नाम n>. **उदाहरण: कुशवाहा, ए. के., मौर्य, के. बी.,..., एवं सिंह, ए. के.**

खंड, अंक एवं पृष्ठ संख्या

(Volume, Issue and Page Numbers)

दस्तावेज़	वॉल्यूम, अंक एवं पृष्ठ संख्या
एकल पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-02, पृष्ठ -15।**
कई पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-04, पृष्ठ 75-81।**
जर्नल / पत्रिका या इसी तरह के पीरियडिकल्स	<वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू संख्या >): < प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> – <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: 12(6): 103–120।** **अथवा** वॉल्यूम <खंड संख्या> अंक (<अंक संख्या>), <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-12, अंक-6, पृष्ठ 103–120।**

कुछ दस्तावेजों की ग्रंथसूची एवं उद्धरण शैलियाँ
(Bibliographic and citation styles of some documents)

Document		लेखक-वर्ष आधारित उद्धरण शैलियाँ
Book	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <पुस्तक का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, आईएसबीएन : <आईएसबीएन संख्या>।**
	Example	1. झिंगन, एम. एल. (2008)। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। वृंदा पब्लिकेशन्स, मयूर विहार नई दिल्ली, पांचवां पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008, पृष्ठ 1-670, आईएसबीएन: 8187125640। 2. पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के. एवं गर्ग, भारत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था। हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगांव मुम्बई, चौंतीसवाँ संस्करण, 2022, पृष्ठ 1-700, आईएसबीएन: 9789355964274।
Book chapter	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <अध्याय का शीर्षक> । <संपादक> में, संपादक (संपादकों), <पुस्तक का शीर्षक>, <प्रकाशन श्रृंखला> का खंड <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <आईएसबीएन> । <प्रकाशक>, <पता> ।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस एवं बघेल, एच. के. (2022)। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे और चुनौतियां: एक अवलोकन। गुप्ता, दिनेश कुमार (संपादक), ट्रांसफार्मिंग इंडिया: विजन एवं चैलेंजेज़, मार्च, 2022, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन: 9789391550592। एन. बी. पब्लिकेशन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी.एस. एवं सिंह, एस. नाथ (2024)। भारत में फसल बीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभवों का एक अध्ययन। सिंह, सी.बी., सिंह, एस.एन., लाल, अंकिता जे., फुरकान, मो., सोनी, शिखा (संपादक), सामाजिक विज्ञान एवं सतत भविष्य: 2023 और उसके बाद के लिए अंतर्दृष्टि एवं परिप्रेक्ष्य, पहला प्रकाशन, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन:9789363895065, कुणाल बुक्स पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
Seminar/Conference proceedings	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <सम्मेलन का शीर्षक> में, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <सम्मेलन का स्थान> । <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस (2023)। भारत में डिजिटल तकनीक से शिक्षा के बढ़ते अवसर और चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण और उच्च शिक्षा में, वॉल्यूम-2, पृष्ठ 07–15, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स (आईजेएआरपीएस)। आईजेएआरएमएस पब्लिकेशन, 221 एमआईजी फेज-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी. एस एवं सिंह, अमित के. (2025)। आत्मनिर्भर भारत के सपने के रूप में ग्रामीण पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति का मूल्यांकन। ग्रामीण पर्यटन: विकास, रोजगार और संभावनाएं में, विशेषांक वॉल्यूम: जनवरी–मार्च 2025, पृष्ठ 247-254, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। त्रैमासिक पत्रिका शोध धारा। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान प्रकाशक, उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश।
Dictionary and Thesaurus	Format	**<लेखक> (<दिनांक>)। <दस्तावेज का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>।**
	Example	1. सीएएलडी (2009)। कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी (सीएएलडी)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्रा. लि., तीसरा संस्करण, पृष्ठ 101–102।

		2. सहाय, आर. एन. एवं कुमार, एस. (2018)। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-73।
Encyclopaedia	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक >) । <टॉपिक का शीर्षक >। <संपादक> संपादक (कों) में, <एनसाइक्लोपीडिया का शीर्षक>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. लिंडग्रेन, एच. सी. (2001)। स्टीरियोटाइपिंग। द कोर्सिनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, वॉल्यूम-4 में पृष्ठ 617–618 । विली, न्यूयॉर्क। 2. पेटिंगिल, जूनियर, ओ. एस. (1980)। फाल्कन और फाल्कनरी। वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया में पृष्ठ 150–155। वर्ल्ड बुक, शिकागो।
Journal/ Magazine/ Newspaper	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <पत्रिका का शीर्षक>, <वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू नंबर>), <पृष्ठ संख्या>, आईएसएसएन: <आईएसएसएन नंबर>। डीओआई:< डीओआई >**
	Example	1. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। संक्रमणशील समाज की पीड़ा: सहजीवन। शोध धारा, अक्तूबर–दिसंबर, 2023, पृष्ठ 173-184, आईएसएसएन: 09753664। DOI:10.5281/zenodo.16640430 2. मधुसूदन, जी. एस. एवं सिंह, एस. एन. (2024)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजेएसडीआर), वॉल्यूम-9, अंक-11, नवंबर-2024, पृष्ठ 487- 497, आईएसएसएन: 24552631। DOI:10.5281/zenodo.16642460
Technical report	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक>। तकनीकी रिपोर्ट <रिपोर्ट संख्या>, <विभाग>, <संस्थान>, <पता>।**
	Example	1. नाबार्ड (2022)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में सतत खारे पानी की एक्वाकल्चर के लिए कोस्टल वाटरशेड बेस्ड सरफेस और सबसरफेस सैलिनिटी मैपिंग और मॉडलिंग। टेक्निकल रिपोर्ट एनआरएस-27, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई। 2. घोष, डी. एवं कोठारी, आर. (2012)। पॉपुलेशन ह्यूरिस्टिक्स फॉर द कॉरिडोर एलोकेशन प्रॉब्लम। टेक्निकल रिपोर्ट W.P. नंबर 2012-09-02, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, भारत।
Thesis (Master)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <थीसिस का शीर्षक> । मास्टर थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	1. कुमार, प्रतीक (2024) । किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का एक अध्ययन: चित्रकूट जिले के विशेष सन्दर्भ में। मास्टर थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट। 2. कुमार, रवि (2020)। इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एम.एससी. (एजी) थीसिस, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
Thesis (PhD)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <थीसिस का शीर्षक>। पीएचडी थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	सिंह, गजेन्द्र (2025)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों पर प्रभाव बांदा जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। पीएचडी थीसिस, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुन्देलखण्ड

		विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
Website/ webpage	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <डॉक्यूमेंट का शीर्षक> । <यूआरएल> से <दिनांक> को लिया गया** *अगर पब्लिकेशन की तारीख मौजूद नहीं है, तब 'कोई तारीख नहीं' लिखा जा सकता है।
	Example	1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (30 सितंबर 2025)। भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ, 2023। 20 अक्टूबर 2025 को https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-adsi.html से लिया गया 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (30 जून, 2025)। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 23 अक्टूबर, 2025 को https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/FSReports.aspx से लिया गया

पाठ में संदर्भ

(In-text reference)

लेखक	पाठ में संदर्भ
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, < वर्ष > **उदाहरण: (मधुसूदन, 2024)**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> और <उपनाम2>, < वर्ष > **उदाहरण: (पाल एवं सिंह, 2023)**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> आदि, < वर्ष > **उदाहरण: (कुशवाहा एवं अन्य, 2025)**

Bundelkhand Journal of Academic Research

Aims of the BJAR

The primary aim of the BJAR journal is to facilitate the dissemination of high-quality, peer-reviewed research findings, fostering the advancement of knowledge across various academic disciplines. BJAR journal provide a trusted platform for scholars to publish original research, review articles, and scholarly insights. BJAR journal serve as a platform for disseminating research, encouraging interdisciplinary dialogue, and validating scholarly work through rigorous, transparent review processes. Key aims and objectives typically include:

Dissemination of Knowledge: Sharing empirical, theoretical, and applied research findings with a global community.

Quality Assurance: Maintaining credibility through strict peer-review processes, often double-blind, to ensure academic merit.

Promoting Innovation: Encouraging novel ideas, methodologies, and critical perspectives in academic research.

Creating Research Forums: Building a dedicated space for scholars to engage with specific topics, facilitating expert discussion and debate.

Archiving Advancements: Documenting the progress of a specific field over time to support future research.

Platform for Scholarly Discussion: provide a venue for scholarly debate, enabling researchers to build upon, critique, and validate previous studies.

Peer Review and Quality Control: By employing a rigorous peer-review process, journals ensure the credibility, accuracy, and validity of the published research, preventing the spread of false information.

Bundelkhand Journal of Academic Research

About BJAR

BJAR a Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research. BJAR follows the UGC's Suggestive Parameters for selecting peer-reviewed journals. Key Parameters for the BJAR are as under:

Suggestive Parameters	Policy and Guidelines
Frequency of publication	The Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR) is a quarterly research journal published four times a year. The March, June, September, and December issues are published. BJAR Issues: **January-March, April-June, July-September, October-December**
Language	Bilingual (Hindi and English)
Starting year	2025 **(First Issue: July-September, 2025)**
Subject	Multidisciplinary Subjects
Format of publication	Print Version
Publisher details (Name and Complete address)	Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), 226, Krishna Nagar, Atarra, District-Banda, Uttar Pradesh: 210201 E-mail: gayatripublication2025@gmail.com Mobile: 8750184716
Transparent Review Policy	Transparent review policy and publication process.
Website Certified Domain	https://bjar.in/index.php/BJAR/en
Open Access or Subscription-Based Policy	It is an open-access, peer- reviewed journal. All articles are freely accessible online.
Archival Policy	All the previous issues are maintained/made available.
Editorial Board Composition	Provided Subject expertise, with eminent academician's /scientists/ researchers.
Efficient Editorial/ Review Process	Efficient Editorial board members available and mentioned Rigorous peer review, compliance with reviewers' recommendations, and clear timelines.
Aims, Objectives, and Scope	BJAR's aims is to publish and synthesize, communicate and interpret the results of recent research study in the academic field, in order to advance the dissemination of valid knowledge and to foster innovation and development. The focus area and Scope of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines.
Subject Areas	The focus area of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines (such Agricultural Sciences, Arts and Humanities, Biological Sciences, Chemical Sciences, Commerce

	and Management, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences and other academic fields). The journal that encourages Interdisciplinary and Transdisciplinary dialogue on emerging knowledge.
Article Processing Charges (APC)	Transparent fee structure such as: The Journal is a free, open-access journal dedicated to global knowledge sharing. All articles are freely accessible worldwide. To maintain high-quality publishing, a modest Article Processing Charge (APC) of Rs.1000 applies only to accepted articles. There are no submission fees. In line with open-access principles, APCs are usually covered by research grants or supporting institutions. This fee supports essential services such as manuscript processing, online hosting, archiving, and publication certification. The APC includes expert peer review, professional formatting, publication, plagiarism screening and an official publication, ensuring high-quality and credible research dissemination.
Publishing Timeline	Two Months average Time from Submission to Publication such as: Submission to First Decision: 7 Days Submission to Acceptance: 45 Days Acceptance to Publication: 15 Days
Acceptance Rate	Estimation of the acceptance rate will be published in the future.
Academic Contribution	Published Articles are demonstrate motivation, advancement of existing knowledge, and applicability for policymaking.
Conformity to Journal Scope	Published Articles are align with the journal's stated aims and objectives.
Bibliographic Data & Literature Citation	Accurate and standardized referencing
Font & Design	Professional layout and readability
Infographics & Exhibits	High-quality visuals and supplementary materials
Citation Record	Journal articles cited in reputable databases
Print Continuum (if applicable)	The Journal is published in both print and online versions. Its continuity is maintained through regular quarterly online issues.
Online Availability	Full-text articles available online
Quality of Website	Well-maintained, regularly updated, and user-friendly.
Multilingual Availability	Multilingual Availability: Relevant for the Indian context, with content available in Indian languages. Most of the published articles are available in multiple languages.
Ethical Guidelines for Authors	Clear guide lines for ethical publishing practices
Plagiarism Prevention	The journal not accept more than standard limits 10% similarity score except for literature review.
Conflict of Interest Disclosure	No conflicts between governance, editorial board members, reviewers, and authors; any potential conflicts must be disclosed.

ISSN: 3139-5260

BJAR (https://bjar.in) | October-December | 2025 | Volume-1 | Issue-2

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Published by:

Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,

Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:

Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,

Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च